छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष–2005–2006

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़
का
आर्थिक सर्वेक्षण

2005–2006

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2005–06'' नामक प्रस्तुत प्रकाशन में राज्य की आर्थिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रकाशन का यह छठवॉ अंक है ।

इस प्रकाशन के दो भाग है । प्रथम भाग में शासन की नीतियों के संदर्भ में प्रदेश की सामाजार्थिक एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास की गतिविधियों का विवेचनात्मक अध्ययन है । भाग–2 में संबधित सांख्यिकी तालिकाएॅ प्रस्तुत की गई हैं । इस प्रकाशन हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है, इसके लिए हम उनके आभारी है । संचालनालय के वे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होने इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं ।

आशा है, प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान सामाजार्थिक स्थिति एवं विकास की गतिविधियों/उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा । प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु सुझावों का सहर्ष स्वागत है ।

रायपुर,
दिनांक : फरवरी 2006

(प्र. कु. बिशी)
संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

भाग–एक

आर्थिक विवेचना

भाग–एक

: विषय सूची :

क्र.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आर्थिक स्थिति –एक समीक्षा	1–5
2	राज्यीय आय	6–10
3	कृषि	11–27
4	भाव स्थिति	28–34
5	पशुपालन एवं डेयरी विकास	35–39
6	मत्स्य विकास	40–41
7	वानिकी	42–45
8	जल संसाधन	46–50
9	उर्जा	51–58
10	उद्योग	59–70
11	खनिज	71–72
12	परिवहन सुविधाएँ	73–75
13	श्रम एवं रोजगार	76–85
14	सामाजिक क्षेत्र	86–114
15	सहकारिता	115–115
16	बचत एवं विनियोजन	116–121
17	पंचवर्षीय येाजना	122–123

अध्याय–1

आर्थिक स्थिति–एक समीक्षा

1. वर्ष 2003–2004 में सामान्य वर्षा होने से प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादक गतिविधियों में वृद्धि परिलक्षित हुई थी किन्तु 2004–05 में कम वर्षा/अवर्षा से कृषि क्षेत्र (पशुधन सहित) में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 12.84 प्रतिशत की कमी अनुमानित की गई । वर्ष 2003–04 में सकल घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान, प्रचलित भावों पर 38610 करोड़ रूपये से बढ़ कर 2004–05 में 40220 करोड़ रूपये अनुमानित है । इस प्रकार आलोच्य अवधि में उत्पाद गतिविधियों में 4.17 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई । प्रचलित भावों के आधार पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2003–04 के 32620 करोड़ की तुलना में वर्ष 2004–05 में 33614 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया जो वर्ष 2003–04 से 3.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।

बाक्स न–1.1

प्रगति की संभावनायें

राज्य शासन द्वारा क्रियान्वित की गई जल संसाधन से संबंधित अनेक कार्ययोजना के फलस्वरूप तथा वर्ष 2005–06 में कृषि अनुरूप वर्षा होने के कारण चालू वर्ष में कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है । कृषि उत्पादन में यह वृद्धि पिछले वर्ष की अल्पवर्षा को देखते हुए कहीं, अधिक होगी । यह अनुमान लगाया गया है कि कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की 618933 लाख रूपये से वृद्धि होकर वर्ष 2005–06 में 642390 लाख रूपये अनुमानित है ।

राज्य शासन द्वारा नवीन औद्योगिक नीति (2004–09) की घोषणा की गई है । औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों को संसाधित कर वैल्यू एडीशन में वृद्धि किया जाना है । राज्य शासन द्वारा देश के कई प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ एम.ओ.यू. में हस्ताक्षर किए गए हैं । जिसमें उद्योग के विकास के लिए अनुसांगिक सुविधायें उपलब्ध कराई जाने के फलस्वरूप उद्योग क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है । यह अनुमान किया गया है कि उद्योग क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष, 844467 लाख रूपये से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 913713 लाख रूपये होगा । राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं औद्यिगक क्षेत्र का योगदान लगभग 37 प्रतिशत है । कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास राज्य के अन्य क्षेत्रों में सहायता करता है । उपरोक्त स्थिति को देखते हुए यह अनुमान किया गया है कि वर्ष 2005–06 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होकर 4411770 लाख रूपये होने की संभावना है तथा इसके

2. छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2004–2005 में असमान्य वर्षा के कारण लगभग समस्त फसलों के उत्पादन खरीफ एवं रबी में, क्रमशः 16.88 एवं 13.49 प्रतिशत की कमी हुई है ।

वर्ष 2005–06 में छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व विभाग द्वारा कम वर्षा, अवर्षा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए खरीफ फसल का औसत जानकारी के आधार पर प्रदेश के 15 जिलों के 90 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया तथा महासमुन्द जिलें के 73 ग्रामों में राहत कार्य संचालित किए गए हैं । इस हेतु भारत सरकार से कन्टीजेंसी प्लान तैयार कर 309.54 करोड़ रू. एवं 5.88 लाख मे.टन चावल (खाद्यान्न) का आवंटन प्रदाय करने हेतु निवेदन किया गया है । भारत सरकार से राज्य शासन को 2005–06 वित्तीय वर्ष में आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) के अन्तर्गत रू. 4190.50 लाख एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिता निधि (एन.सी.सी.एफ) के अन्तर्गत 5274.00 लाख रू. नगद एवं 3000 मे.टन चावल प्राप्त हुआ ।

प्रदेश में अप्रैल 2005 से 30 जून 2005 तक राहत कार्यो का संचालन किया गया जिसके अन्तर्गत प्रदेश की 8940 ग्राम पंचायतों में 22419 कार्यो के अन्तर्गत औसतन प्रतिदिन 921772 जरूरत मंद मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ।

वर्ष 2005–06 जिला कलेक्टरों को उपलब्ध कराई गई राशि से 695 नये तालाब, 1223 तालाबों का गहरीकरण, 1988 सड़क एवं पहुॅचमार्ग, 14 पुल–पुलिया रपटा, 19 वनीकरण एवं वृक्षारोपण, 324 नहर जलाशय तथा 127 अन्य विकास कार्य इस प्रकार कुल 4390 परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया जिसके अन्तर्गत 875.41 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजित किया गया ।

राज्य शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक क्विंटल चावल निःशुल्क वितरण हेतु रखा गया है, जो जरूरतमंदो को यथासमय उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । इसके अतिरिक्त आपदा की स्थिति में निःसहाय व्यक्तियों को रू. 20.00 तथा निराश्रित बच्चों को रू. 10.00 प्रतिदिन देने का भी प्रावधान किया गया है ।

3. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (भिलाई केन्द्र) में वर्ष 2004 में वर्ष 2003 की अपेक्षा सामान्य सूचकांक में क्रमशः 1.14 प्रतिश्त की कमी एवं खाद्य समूह सूचकांक में 5.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है । वर्ष, 2005 (7 माह का औसत) में वर्ष

2004 की अपेक्षा खाद्य समूह के सूचकांक में 0.45 प्रतिशत तथा सामान्य सूचकांक में 11.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है ।

इसी प्रकार अखिल भारत स्तर पर वर्ष 2004 में सामान्य समूह सूचकांक 500 था जो वर्ष 2005 में 532 (7 माह का औसत) हो गया है । इसी प्रकार खाद्य सूचकांक वर्ष 2004 में 495 से बढ़कर वर्ष 2005 में 521 अंक (7 माह का औसत) हो गया । अतः वर्ष 2005 में वर्ष 2004 की अपेक्षा सामान्य एवं खाद्य समूह सूचकांक में अखिल भारतीय स्तर पर क्रमशः 6.40 प्रतिशत एवं 5.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है ।

4. राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र द्वारा वर्ष 2004–2005 में 4. 511 मिलियन टन हाट मेटल, 4.582 मिलियन टन क्रुड स्टील, 3.935 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया जो कि, पिछले वर्ष के उत्पादन से क्रमशः 36, 17, 25, प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2004–2005 में भारत एल्युमीनियम कम्पनी, कोरबा द्वारा 224110 में. टन एल्युमिना हाईड्रेड का रिकार्ड उत्पादन किया गया ।

5. तेजी से औद्योगीकरण के कारण विद्युत की मांग बढ़कर 1600 मेगावाट से 2000 मेगावाट हो गई साथ ही पूर्व में भारत सरकार द्वारा आंवटित 498 मेगावाट विद्युत को कम कर 210 मेगावाट करने से विद्युत संकट की स्थिति बनी हुई है ।

अगस्त 2005 तक 212 नग 33/11 के.व्ही. ट्रान्सफार्मरों की क्षमता में वृद्धि की गई साथ ही 50957 सिंचाई पंपों का उर्जीकरण किया गया तथा 175780 नग एकलबत्ती कनेक्शन स्थापित किए गए ।

6. मार्च 2005 तक कुल 18518 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जो कुल आबाद ग्रामों का 93.79 प्रतिशत है ।

7. रोजगार कार्यालयों में जनवरी 2005 से जुलाई 2005 तक कुल 1.01 लाख व्यक्तियों का पंजीयन किया गया है, इस तरह कुल 9.52 लाख व्यक्तियों का पंजीयन जीवित पंजी में दर्ज है । इसी अवधि में 426 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जिसमें 24 महिलाएं 36 अनुसूचित जाति, 147 अनुसूचित जन जाति, 116 अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मिलित थे ।

8. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में कुल उपलब्ध 19341. 61 लाख़ रू. एवं 236164 में. टन चावल के आवंटन में से 17757.39 लाख रू. एवं 209305 में. टन चावल का व्यय किया जा कर तीन करोड़ अड़तालिस लाख आठ सौ .चालीस मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया एवं 56147 कार्य पूर्ण किए गए ।

9. वर्ष 2004–05 में 1965 शहरी युवा व्यवसाईयों को छोटे उद्यम हेतु ऋण एवं अनुदान के प्रकरण में से 1722 युवा उद्यमियों को लाभान्वित किया गया । रोजगार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 2579 व्यवसाईयों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 1663 महिलाएँ हैं ।

10. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 208.34 लाख है, जिसमें 104.74 लाख पुरूष एवं 103.60 लाख स्त्रियॉ हैं । इस प्रकार राज्य में स्त्री–पुरूष अनुपात 989 है जबकि अखिल भारत में स्त्री–पुरूष अनुपात 933 है ।

वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 208.34 लाख में से 96.80 लाख मुख्य कार्यशील व्यक्ति हैं । इन मुख्य कार्यशील व्यक्तियों में से 34.88 लाख कृषक एवं 15.52 लाख खेतिहर मजदूर हैं, शेष 20.14 लाख कार्यशील व्यक्ति अन्य आर्थिक कार्यकलापों में संलग्न है । कुल जनसंख्या में मुख्य कार्यशील जनसंख्या 46.46 प्रतिशत है।

प्रदेश में जन्म–मृत्यु पंजीयन के स्तर की आंकलन यदि न्यादर्श पंजीयन प्रणाली अनुसार वर्ष 2003 में जन्म दर 25.2 और मृत्यु दर 8.5 आंकी गई है, जबकि सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अनुसार वर्ष 2004 में जन्म दर 17.21 एवं मृत्यु दर 6.63 है । इस प्रकार न्यादर्श पंजीयन प्रणाली के वर्ष 2003 को आधार माने तो राज्य में जन्म पंजीयन का स्तर 68.29 प्रतिशत एवं मृत्यु पंजीयन का स्तर 78.00 प्रतिशत निर्धारित होता है ।

11. दिसम्बर 2005 की स्थिति में संपूर्ण राज्य में पूर्व/प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च/उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं की संख्या क्रमशः 41971, 1227 एवं 1439 है, तथा इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक 34.51 लाख माध्यमिक 11.59 लाख एवं उच्च/उच्चतर माध्यमिक 5.30 लाख है ।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में 116 महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें 81.65 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं ।

12. शासन के राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2004–05 में 84388 मोतियाबिंद के आपरेशन किए गए तथा राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण योजना में 6558 नये रोगियों का पता लगाकर जांच एवं उपचार भी किया गया है । वर्ष 2004–2005 में राष्ट्रीय टीकाकरण के अन्तर्गत 6.31 लाख गर्भवती महिलाओं तथा 5.90 लाख बच्चों को डी.पी. टी, 6.00 लाख बच्चों को बी. सी. जी. एवं 5.72 लाख बच्चों को मीजल्स के टीके तथा 5 साल तक के 58.30 लाख से भी अधिक बच्चों को पोलियों की दवा पिलाई गई ।

13. राज्य की स्त्रोत विहीन बसाहटों एवं आंशिक पूर्ण बसाहटों में वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत 6.54 हजार बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । जिसके विरूद्ध माह जुलाई 2005 तक 3960 बसाहटों एवं 717 शालाओं में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया ।

14. छत्तीसगढ़ राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2002–2007 में राज्य योजना मण्डल द्वारा कुल परिव्यय 11000 करोड़ का तैयार कर योजना आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया । योजना परिव्यय का प्रमुख क्षेत्रकवार वित्तीय लक्ष्य सामाजिक सेवायें (5256.15 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (2506.65 करोड़), ग्रामीण विकास (1158.91 करोड़), कृषि एवं संबद्ध सेवायें (880.97 करोड़) को प्राथमिकता दी गई है । इसी प्रकार राज्य की वार्षिक योजना 2005–06 राज्य येाजना मण्डल ने 4275 करोड़ रूपये परिव्यय का प्रस्ताव तैयार किया गया । वार्षिक योजना 2005–06 में सर्वाधिक राशि का प्रावधान सामाजिक सेवा क्षेत्रक के विकास हेतु रूपये 1613.50 करोड़ का किया गया है । जो कुल योजना परिव्यय का 37.74 प्रतिशत है ।

समष्टिगत आर्थिक संकेतांक

क्र	मद	2003–04	2004–05
1	**पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि**		
	सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव, साधन लागत पर)	22.23%	4.17%
	विद्युत उत्पादन	0.59%	4.94%
	कृषि उत्पादन	38.19%	-7.83%
	अनाज उत्पादन	100.62%	-21.67%
2	अनाज उत्पादन (मेट्रिक टन में)	9215925	7219101
3	विद्युत उत्पादन (एम.के.डब्लू.एच.)	7916.425	8307.6
4	राज्य सरकार का व्यय (करोड़ रूपये में)	8173.57	8495.22
5	राज्य सरकार की आय (करोड़ रूपये में)	5969.94	7263.66
6	राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (करोड़ रूपये में)	(-2203.63)	(-1231.56)

अध्याय– 2

राज्यीय आय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2003–04 में 38610 करोड़ रू. अनुमानित है, जिसमें 4.17% की वृद्धि होकर वर्ष 2004–05 के त्वरित अनुमान 40220 करोड़ रू. आकलित किये गये । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है ।

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

(करोड़ रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2002–03	2003–04 (प्रा.)	2004–05(त्व.)	2004–05 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	10510.21	13689.35	12275.00	–10.33
2	द्वितीयक क्षेत्र	9259.47	11474.01	13270.38	15.66
3	तृतीयक क्षेत्र	11818.00	13446.95	14674.97	9.13
	सकल रा.घ.उ.	**31587.68**	**38610.31**	**40220.35**	**4.17**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू)	14761	17711	18086	1.83

स्थिर (1993–94) भावों के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2003–04 में 21462 करोड़ रू. अनुमानित किया गया । जिसमें 3.16% की वृद्धि होकर वर्ष 2004–05 में यह 22139 करोड़ रू. आकलित किया गया ।

स्थिर (1993–94) भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान

(करोड़ रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2002–03	2003–04(प्रा.)	2004–05(त्व.)	2004–05 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	5789.23	7509.29	7120.45	–5.18
2	द्वितीयक क्षेत्र	5445.66	6223.82	6682.07	7.36

क्र.	क्षेत्र	2002–03	2003–04(प्रा.)	2004–05(त्व.)	2004–05 में % वृद्धि
3	तृतीयक क्षेत्र	7240.63	7728.45	8336.37	7.87
	सकल रा.घ.उ.	**18475.51**	**21461.56**	**22138.89**	**3.16**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू)	8633	9845	9928	0.84

छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2004–05 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में **प्रतिशत वितरण** क्रमशः 30.52, 32.99 एवं 36.49 रहा जबकि इसी अवधि में स्थिर (1993–94) भावों के आधार पर उपरोक्त क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत क्रमशः 32.16, 30.18 तथा 37.65 अनुमानित प्रतिवेदित हुआ ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रावार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2003–04 (प्रा.)		2004–05(त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1993–94) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1993–94) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	35.46	34.99	30.52	32.16
द्वितीयक क्षेत्र	29.72	29.00	32.99	30.18
तृतीयक क्षेत्र	34.83	36.01	36.49	37.65
सकल रा.घ.उ.	**100**	**100**	**100**	**100**

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान.

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2003–04 में 32620 करोड़ रू. अनुमानित है, जिसमें 3.05% की वृद्धि होकर वर्ष 2004–05 के त्वरित अनुमान 33614 करोड़ रू. आंकलित किये गये । प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) वर्ष 2003–04 में 14963 रू.

अनुमानित है, जो वर्ष 2004–05 में 15073 रू. प्रतिवेदित किया गया । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है ।

प्रचलित भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

(करोड़ रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2002–03	2003–04 (प्रा.)	2004–05 (त्व.)	2004–05 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	8957.83	11802.95	10274.05	–12.95
2	द्वितीयक क्षेत्र	6852.42	8674.49	10084.12	16.25
3	तृतीयक क्षेत्र	10660.12	12142.69	13255.45	9.16
	शुद्ध रा.घ.उ.	**26470.37**	**32620.13**	**33613.62**	**3.05**
	प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) (रू. में)	12369	14963	15073	0.74

स्थिर (1993–94) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 2003–04 में 18065 करोड़ रू. अनुमानित किया गया जिसमें 2.03% की वृद्धि होकर वर्ष 2004–05 में यह 18432 करोड़ रू. अनुमानित किया गया है ।

सेक्टर वार स्थिति निम्नानुसार है ।

स्थिर (1993–94) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान

(करोड़ रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2002–03	2003–04(प्रा.)	2004–05(त्व.)	2004–05 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	5995.18	6599.84	6112.01	–7.39
2	द्वितीयक क्षेत्र	3882.61	4514.09	4810.56	6.57
3	तृतीयक क्षेत्र	6511.04	6951.42	7509.66	8.03
	शुद्ध रा.घ.उ.	**16388.83**	**18065.35**	**18432.23**	**2.03**
	प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	7658	8287	8266	–0.26

वर्ष 2004–05 में स्थिर भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के त्वरीत अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद 8266 रू. रहा ।

छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2004–05 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में **प्रतिशत वितरण** क्रमशः 30.57, 30.00 एवं 39.43 रहा जबकि इसी अवधी में स्थिर (1993–94) भावों के आधार पर उपरोक्त क्षेत्रों में शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रतिशत क्रमशः 33.16, 26.10 तथा 40.74 अनुमानित प्रतिवेदित हुआ ।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रावार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2003–04 (प्रा.)		2004–05 (त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1993–94) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1993–94) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	36.18	36.53	30.57	33.16
द्वितीयक क्षेत्र	26.59	24.99	30.00	26.10
तृतीयक क्षेत्र	37.23	38.48	39.43	40.74
शुद्ध रा.घ.उ.	**100**	**100**	**100**	**100**

छत्तीसगढ़ की राज्यीय एवं प्रति व्यक्ति आय शुद्ध (प्रा.)

(संदर्भ तालिका क्र. 2.1 एवं 2.2)

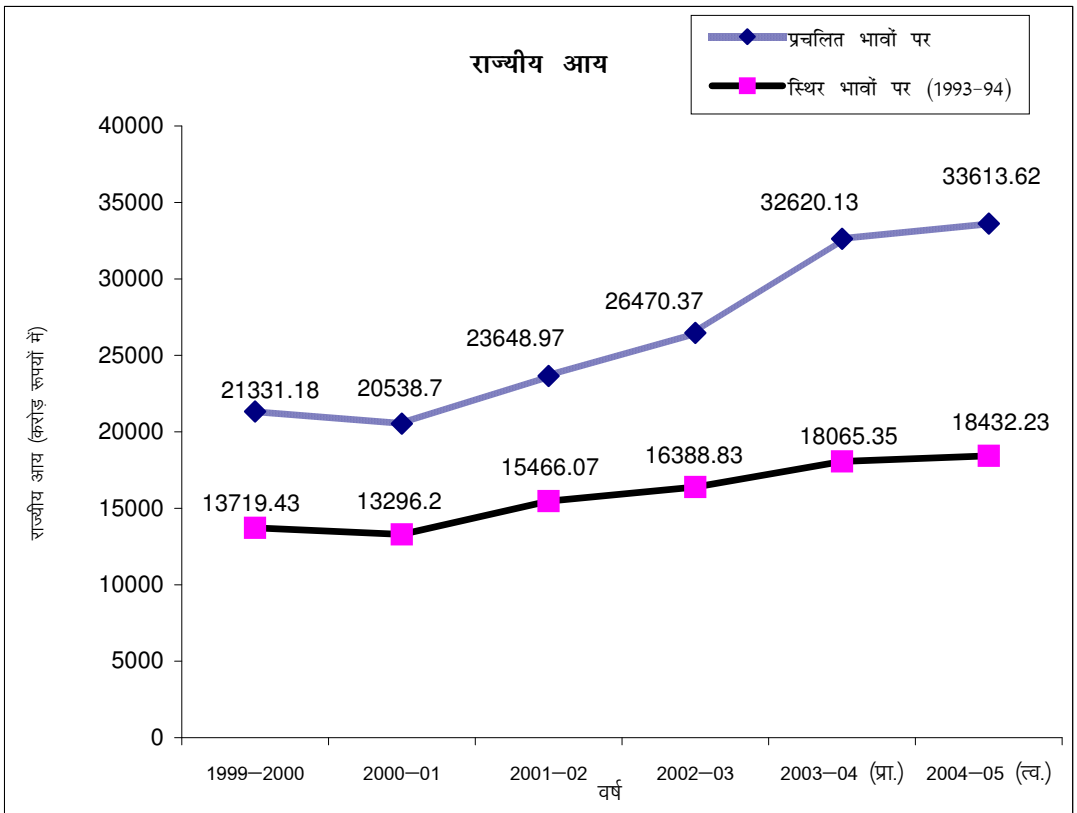

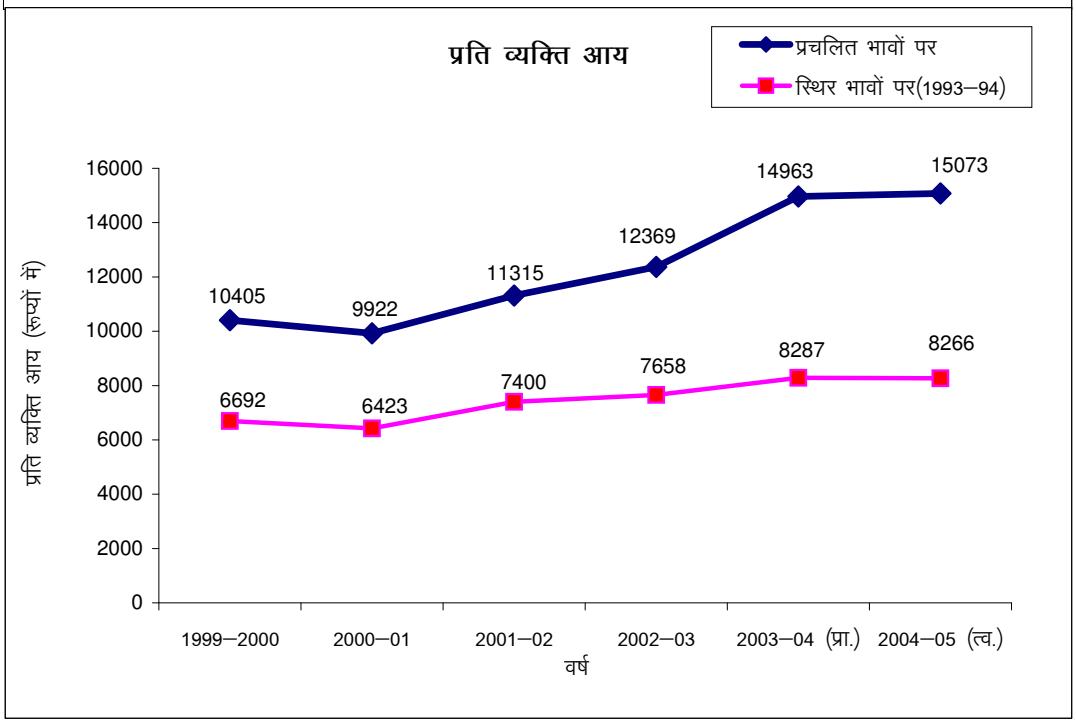

अध्याय–3

कृषि

राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है । यहां कृषि योग्य कुल भूमि 58.81 लाख हेक्टर है । जिसमें 15.22 लाख सीमान्त, 6.24 लाख लघु एवं 8.19 लाख मध्यम एवं दीर्घ कृषक परिवार संलग्न है ।

कृषि उत्पादन : वर्ष 2004–05 में असमान्य वर्षा के कारण खरीफ फसलों की 4756.07 हेक्टर में एवं रबी फसल की 1642.96 हेक्टर में बोनी हुई है । वर्ष 2004–05 में खरीफ एवं रबी मौसम में उत्पादन इस प्रकार है :– धान 4584.46, ज्वार 4.78, मक्का 237.09, कोदो–कुटकी 18.85, अरहर 217.32, मूंग 17.13, उड़द 90.67, कुल्थी 23.29, मूंगफली 72.61, तिल 19.55, सोयाबीन 92.46, रामतिल 32.33, सूर्यमुखी 1.93, जूट एवं सब्जी 49.66 एवं ग्रीष्म धान 209.45, चना 162.44, मटर 13.19, मसूर 7.70, मूंग 3.96, उड़द 4.49, कुल्थी 10.17, तिवड़ा 179.24, राई–सरसों 55.22, अलसी 32.05, कुसुम 2.09, सूर्यमुखी 12.32, तिल 0.83, रामतिल 4.86, मूंगफली 8.40, गन्ना 42.01, अन्य रबी 36.98 हजार में.टन उत्पादन हुआ ।

इस प्रकार खरीफ में 5462.08 हजार मेट्रिक टन तथा रबी में 973.64 हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुआ जो गत वर्ष के उत्पादन से क्रमशः 16.88 एवं 13.49 प्रतिशत कम है ।

प्रमुख फसलों का उत्पादकता का लक्ष्य (कि.ग्रा.प्रति हेक्टर) :– वर्ष 2005–06 में अच्छी वर्षा होने के कारण प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन धान–1800, ज्वार–1012, मक्का–1490, गेहूँ–1160, चना–813, सोयाबीन–1200, अरहर–1254, मूंग–उड़द–450 किलोग्राम प्रति हेक्टर लक्ष्य रखा गया है,

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है ।

बीज वितरण : खरीफ वर्ष 2004–05 में उन्नत बीजों का वितरण सितम्बर तक 64.24 हजार क्विंटल किया गया एवं रबी फसलों में 15.88 हजार क्विंटल बीज वितरण किया गया । खरीफ 2005–06 मे 69.86 हजार क्विंटल का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 73.50 हजार क्विंटल बीज का वितरण किया गया है । रबी 2005–06 में 20.23 हजार क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(संदर्भ तालिका 3.2)

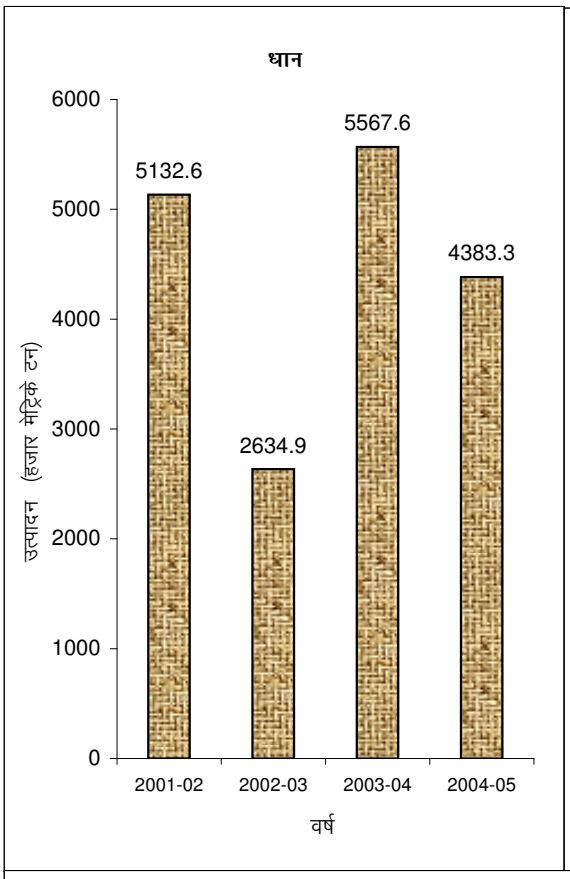

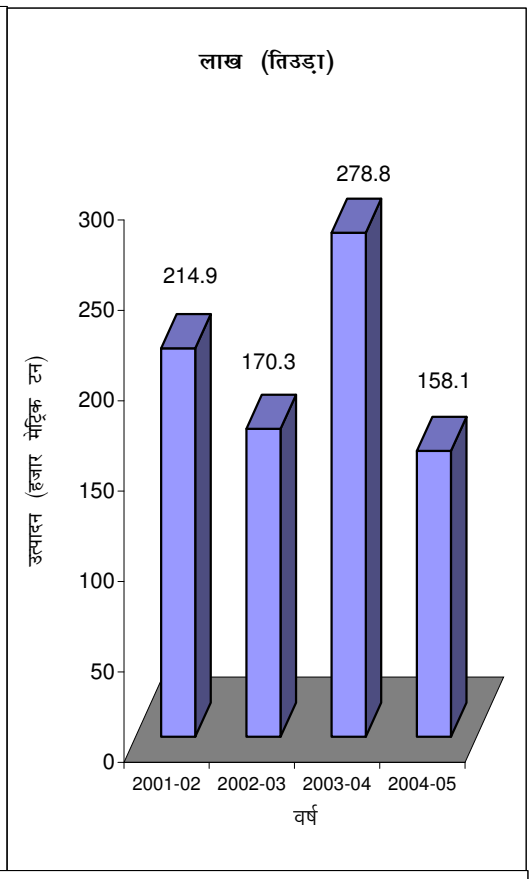

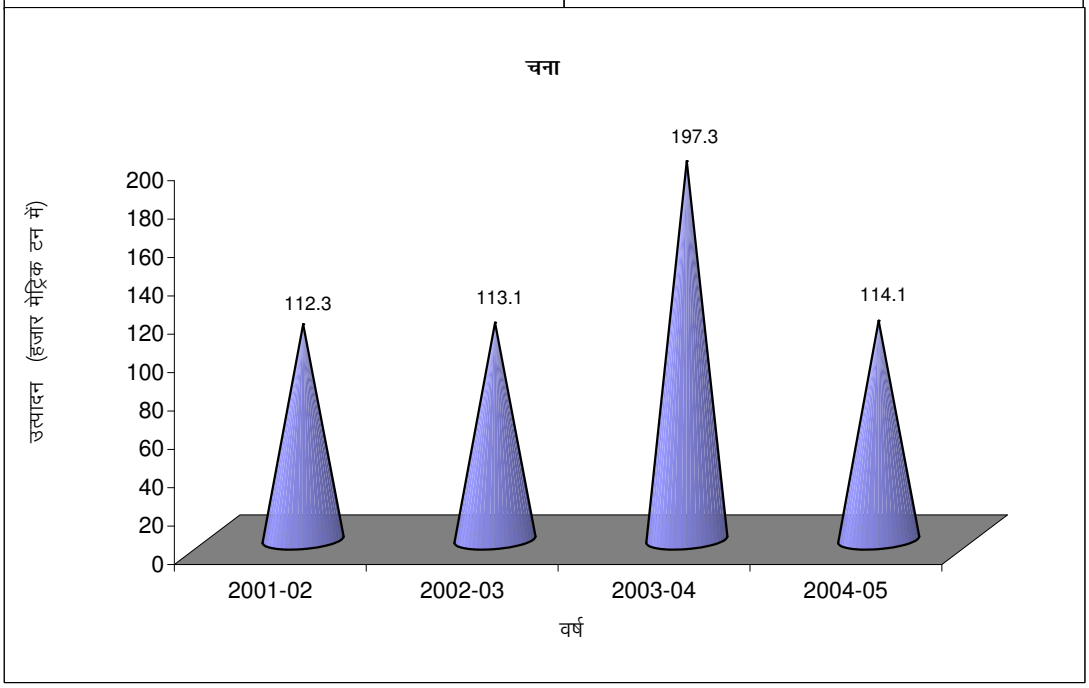

उर्वरक खपत : वर्ष 2004–05 में 773.10 मेट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध 758.79 मेट्रिक टन का वितरण हुआ तथा वर्ष 2005–06 में 899.47 हजार टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध खरीफ में माह सितम्बर 2005 तक 582.87 हजार मेट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ ।

कल्चर वितरण : भूमि की उत्पादन क्षमता एवं फसल उत्पादकता वृद्धि के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु खरीफ 2004 में 405.80 हजार पैकेट की तुलना में खरीफ 2005 में 420.00 हजार पैकेट का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध सितंबर 05 तक 332.29 हजार पैकेट का वितरण हुआ । रबी वर्ष 2004–05 में 410.00 हजार पैकेट की तुलना में इस वर्ष 2005–06 में 415. 00 हजार पैकेट का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम : दसवीं पंचववर्षीय योजना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 16 जिलों में 337 जल ग्रहण क्षेत्रो का चयन कर विकास हेतु समितियां पंजीकृत कराई गई है । वर्ष 2004–05 में 914.44 लाख रू. व्यय कर 44471 हेक्टयर जलग्रहण क्षेत्र उपचारित किया गया है । कार्यक्रम अन्तर्गत उपचार योग्य कृषि एवं अकृषि भूमि तथा जलनिकासी प्रणाली का उपचार वानस्पतिक एवं जलसंग्रहण संरचनाएँ तैयार कर कराया जाता है । वर्ष 2005–2006 के लिए 1487.33 लाख रू. का प्रावधान है जिसके विरूद्ध अगस्त 05 तक 981.02 लाख रू. व्यय हुआ है ।

नदी घाटी/बाढ़ उन्मुख योजना : इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नदियों पर बनाये गये जलाशयों में गाद के जमाव को कम करना है, ताकि उनकी जीवन अवधि को अधिक समय तक बनाया रखा जा सके, साथ ही होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सके । वर्ष 2004–05 में 119.68 लाख रू. व्यय कर 2146.62 हेक्टर क्षेत्र उपचारित कर 989 स्ट्रक्चर बनाये गये है । वर्ष 2005–06 के लिए 200.00 लाख रू. का प्रावधान कर 3756. 64 हेक्टयर क्षेत्र के लिए 1160 स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा गया है ।

लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना : योजनान्तर्गत 40 हेक्टर तक सिंचाई क्षमता वाले सिंचाई तालाब बनाये जाते हैं । वर्ष 2004–05 में 451.67 लाख रू. व्यय कर 96 तालाब बनाये गये हैं एवं 2005–06 में 1289.70 लाख रू. का प्रावधान कर 182 तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्ध रू. 590.36 लाख व्यय कर अभी तक 48 तालाब बनाये गये हैं ।

लघु सिंचाई योजना : योजनान्तर्गत हितग्राहियों को नलकूप खनन पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 8000.00 एवं पंप प्रतिस्थापन हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 10000.00 अनुदान देय है । योजनान्तर्गत वर्ष 2004–2005 में 2418 नलकूप खनित हुए जिस पर 378.03 लाख रू. अनुदान दिया गया है । वर्ष 2005–2006 में 3250 नलकूप हेतु 534.60 लाख रू. का प्रावधान है जिसके विरूद्ध अगस्त 05 तक 125.25 लाख रू. व्यय हुआ है ।

किसान समृद्धि योजना : अकाल की स्थिति के निवारण हेतु वृष्टिछाया के अन्तर्गत आने वाले 5 जिलों के 24 विकास खण्डों में यह योजना लागू की गई है । योजनान्तर्गत नलकूप हेतु सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 25000.00 रू. तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 43000.00 रू. अनुदान देय है । इस योजनान्तर्गत 5 जिलों में योजना प्रारंभ से अभी तक 2284.75 लाख रू. व्यय कर 8009 नलकूपों का उर्जीकरण कर लगभग 3200 हेक्टयर क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई में वृद्धि हुईं । वर्ष 2005–2006 में 945.00 लाख के विरूद्ध रू. 224.17 लाख व्यय हुआ है एवं नलकूपों का भौतिक लक्ष्य 3365 है ।

आई.सी.डी.पी. चॉवल योजना विकास : भारत सरकार की सहायता से धान के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष खाद्यान्न उत्पादन के तहत चलाया जा रहा है । वर्ष 2004–05 में 50 लाख आबंटन के विरूद्ध रू. 47.34 व्यय हुआ । वर्ष 2005–06 में रू. 98.34 लाख का प्रावधान है अगस्त 05 तक 45.83 लाख व्यय हुआ है ।

केन्द्र पोषित आई सोपाम योजना :

राष्ट्रीय दलहन एवं तिलहन विकास योजना : दलहनी फसलों के विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2004–05 में रू. 373.00 लाख के विरूद्ध रू. 297.93 लाख व्यय हुआ है तथा तिलहन वर्ष 2004–05 में रू. 422.22 लाख के विरूद्ध 369.00 लाख व्यय हुआ । दलहन में वर्ष 2005–06 में अगस्त 2005 तक 125.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध 55.71 लाख एवं तिलहन में 120.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध 73.77 लाख व्यय हो चुका है ।

मक्का विकास कार्यक्रम (टेक्नालॉजी मिशन आफ मेज) (केन्द्र प्रवर्तित) : यह योजना राज्य के नौ जिलों यथा जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, सरगुजा, कोरिया एवं जशपुर में क्रियान्वित हो रही है । इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण

कार्यक्रम का आयोजन तथा उन्नत बीज व उन्नत कृषि यंत्रों को अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2004–05 में रू. 39.11 लाख, प्रावधान के विरूद्ध रू. 31.27 लाख व्यय हुआ । वर्ष 2005–06 में रू. 21.67 लाख के आवंटित राशि के विरूद्ध अगस्त 2005 रू. 13.49 लाख व्यय हुआ है ।

गन्ना विकास योजना : शासन के सहयोग से सहकारिता क्षेत्र में भौरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम जिले में स्थापित किया गया है । वर्ष 2004–05 में रू. 41.00 लाख का प्रावधान कर रू. 34.12 लाख व्यय हुआ है तथा वर्ष 2005–06 के लिए रू. 79.85 लाख का प्रावधान है ।

सूरजधारा योजना : यह बीज अदला–बदली की योजना है जिसके अंतर्गत कृषक को अलाभकारी फसलों के बीज के बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज (एक हेक्टर सीमा तक) दिया जाता है । इसके अतिरिक्त कृषक को स्वयं धारित कृषि भूमि के 0.10 हेक्टर क्षेत्र में आधार/प्रमाणित बीज तैयार करने के लिये 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2004–05 में रू. 34.48 लाख व्यय किया गया । वर्ष 2005–06 में रू. 42.70 लाख का प्रावधान है । जिसके विरूद्ध अगस्त 2005 तक रू. 13.94 लाख रू. व्यय हुआ है ।

अन्नपूर्णा योजना : विशेष केन्द्रीय सहायता से राज्य के 13 जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है । जिसके अन्तर्गत धान की अदला–बदली व बीज स्वावलंबन के लिये कृषकों को अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2004–2005 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 2500 कृषकों को 10.00 लाख रू. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर 3047 कृषको को लाभान्वित गया है । वर्ष 2005–2006 के लिए रू. 11.25 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध अगस्त 2005 तक रू. 5.95 लाख रू. व्यय हुआ है ।

राष्ट्रीय जैविक खेती : इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के विभिन्न 10 प्रक्षेत्रों में जैविक खेती प्रशिक्षण एवं 07 आदर्श मॉडल जैविक खेती हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में 29. 30 लाख मांग के विरूद्ध 14.975 लाख का आंवटन प्राप्त हुआ है तथा 10 प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(कि.ग्रा. प्रति हेक्टर)

संदर्भ तालिका 3.3

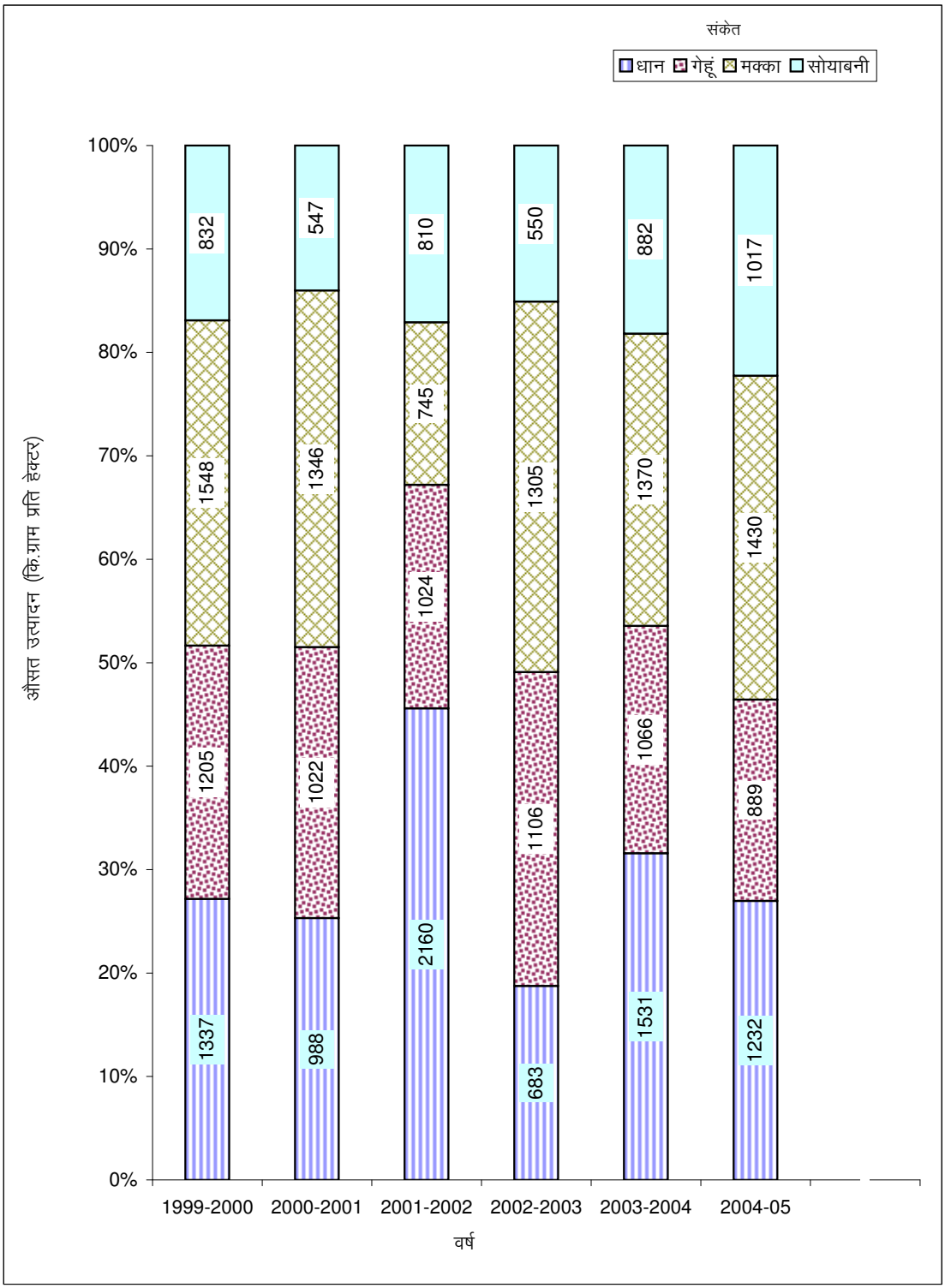

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना : इस योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा हितग्राहियों को 1 से 20 घनमीटर क्षमता के गोबर गैस संयंत्र निर्माण पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु कृषक/सीमान्त कृषक/भूमि हीन श्रमिकों को 2300.00 रूपये प्रति संयंत्र तथा अन्य कृषकों को 1800.00 रूपये का अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2004–05 में 3505 गोबरगैस संयंत्र निर्मित किए गए एवं 468 निर्माणाधीन है । वर्ष 2005–06 हेतु 8800 नए संयंत्र का लक्ष्य निर्धारित है ।

नाडेप विधि से खाद तैयार करना : इस कार्यक्रम में टंकी बनाने के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कृषकों को अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2004–05 में 1055 लक्ष्य के विरूद्ध 1027 नाडेप टांको की पूर्ति हुई है तथा रू. 9.60 लाख के विरूद्ध रू. 9.10 लाख व्यय हुआ । वर्ष 2005–06 हेतु भौतिक लक्ष्य 1175 नाडेप टांके एवं आवंटन राशि रू. 9.27 लाख है जिसके विरूद्ध अगस्त 2005 तक रू. 7.58 लाख व्यय हुआ है ।

नवीन योजनाओं का विवरण

शाकम्बरी योजना : प्राकृतिक जल संसाधनों के समुचित दोहन, कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादकता में वृद्धि एवं फसल सहायता में वृद्धि के उद्देश्य से लघु सीमान्त कृषकों को कूप निर्माण एवं विद्युत/डीजल चलित पंप क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराना है । वर्ष 2005–06 में 891 डीजल/विद्युत पंप तथा 738 कूप निर्माण हेतु कुल रू. 112.57 लाख का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है ।

रामतिल प्रोत्साहन योजना : आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रामतिल की खेती को प्रोत्साहित करने एवं रामतिल की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषकों में उन्नत बीज, उन्नत काश्त तकनीक का प्रदर्शन, उपयोगी कृषि यंत्र, उर्वरक, मिनीकट बीजोपचार दवा, कल्चर सूक्ष्म तत्व, उर्वरक वितरण एवं कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से रामतिल की खेती को प्रोत्साहित करना है । इस योजनान्तर्गत उपरोक्त घटक हेतु रू. 10.00 लाख वित्तीय प्रावधान रखा गया है । जिसके विरूद्ध अगस्त 2005 तक रू. 3.08 लाख व्यय हुआ है ।

चलित–मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना : चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु राज्य शासन द्वारा रू. 38.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाः राज्य में कीटनाशी फफूंदनाशकों के गुणवत्ता पर नियंत्रण बनाये रखने तथा कृषकों को गुणवत्ता वाले कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा कीट प्रकोप पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र शासन द्वारा कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु रू. 45.00 लाख स्वीकृति दी गई है ।

जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना : रसायनों के उपयोग से परिलक्षित दुष्प्रभाव के दृष्टिगत कृषि कीट व्याधियों के जैविक विधियों द्वारा नियंत्रण को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र शासन से रू. 70.00 लाख स्वीकृत किये जा चुके हैं।

टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना : गन्ने तथा केले जैसी फसलों के पर्याप्त मात्रा में उन्नत बीजों की कृषकों को उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र शासन ने रू. 1850.00 लाख की स्वीकृति दी गयी है । शासन द्वारा अब तक रू. 75.00 लाख की मांग प्रस्तावित की गयी है ।

लो–लिफ्ट पंप वितरण योजना : सिंचाई विस्तार एवं द्विफसली क्षेत्र में वृद्धि हेतु 75 प्रतिशत अनुदान पर लो–लिफ्ट पंप वितरण की योजना है । प्रथम अनुपूरक अनुदान वर्ष 2004–05 मे रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान प्राप्त हो गया है । योजना स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

वानस्पतिक ईंधन विकास कार्यक्रमः बायोफ्यूल के विकास से कृषको की आर्थिक प्रगति एवं कृषकों की स्वंय की ईधन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष 2005–06 में रू. 77.00 लाख का प्रावधान है।

कृषि विस्तार तंत्र का सुधार (आत्मा): राज्य में कृषि विस्तार तंत्र का सुधार, कृषक स्तर से योजना की तैयारी तथा क्रियान्वयन, विपणन व्यवस्था को कृषि प्रसार तंत्र में शामिल किया जाना है । यह योजना केन्द्र प्रवर्तित है (केन्द्रांश : राज्यांश 90:10) योजना के प्रथम चरण में 4 जिले बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर एवं रायगढ़ का चयन किया गया है । केन्द्रांश एवं राज्यांश द्वारा कुल रू. 44.45 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है ।

कृषि अभियांत्रिकी

मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना : इस योजना के अन्तर्गत डोजरों द्वारा भूमि समतलीकरण, समाच्च बंधान, परकोलेशन टैंक निर्माण का कार्य आदि किया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 18 डोजर उपलब्ध है, जिनका वार्षिक लक्ष्य 12000 घंटे निर्धारित है ।

इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत व्हील टाईप ट्रैक्टरो/पावर टिलर्स के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर सीडड्रील, पैडी–थ्रेसर एवं ट्रान्सप्लांटर आदि यंत्र कृषकों को किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं । वर्तमान में उपरोक्त कार्यो के लिए राज्य में 31 ट्रैक्टर उपलब्ध हैं जिनके लिए 15,500 घंटे का लक्ष्य निर्धारित है ।

उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण एवं वितरण : इस योजना के अन्तर्गत कृषि विभागीय कर्मशालाओं में उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है । इनमें मुख्यतः हैण्ड हो, लो–लिफ्ट पंप, सायकल व्हील हो, पैडी ड्रम सीडर, लोहे का देशी हल, जिग–जैग पैडी पडलर आदि है । इस हेतु रू. 5.00 लाख राशि का जमा खाता (पी.डी.एकाउन्ट) भी चलाया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाता है । वितरण का कार्य विभागीय कर्मशालाओं, छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड (एग्रो सेल), छत्तीसगढ़ विपणन संघ तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त विभिन्न आधुनिक यंत्रो/उपकरणों को कृषकों के बीच लोकप्रिय बनाने एवं उन्हे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन यंत्रों जैसे–लो लिफ्ट पंप, पैडी थ्रेसर, पैडी ट्रांसप्लांटर, रीपर आदि का व्यापक प्रर्दशन भी किया जाता है ।

यील्ड टेस्टिंग कार्य : नलकूपों पर अनुदान की योजनान्तर्गत नलकूपों को सफल/असफल घोषित करने के लिए इनके यील्ड टेस्टिंग का कार्य इस योजना में किया जाता है । इस कार्य हेतु 9 मशीने उपलब्ध है ।

विभागीय मशीनों तथा वाहनों का मरम्मत कार्य : विभागीय कर्मशालाओं जैसे, रायुपर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में विभागीय मशीनों तथा विभागीय वाहनों के मरम्मत का कार्य किया जाता है ।

नवविकसित कृषि एवं उद्यानिकी उपकरणों के जीवंत प्रदर्शन की केन्द्र क्षेत्रीय योजना :– राज्य में नव विकसित यंत्रों को कृषको के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए इनके

जीवंत प्रदर्शन की नवीन योजना 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार के सहयोग से वर्ष 2002–03 में स्वीकृत की गई है । अभी इस योजना में 3 स्वचालित रीपर तथा 3 जीरों टिलेज सीड ड्रिल प्रदर्शन कार्य हेतु क्रय किये गये हैं । जिसका लक्ष्य वर्ष 2004–05 हेतु क्रमशः 90 एवं 45 नग रखा गया है, तथा अन्य उपयोगी यंत्र/उपकरण के क्रय की कार्यवाही की जा रही है ।

उद्यानिकी : राज्य गठन के पूर्व फल, सब्जी, मसाला पुष्प एवं औषधी फसलों का क्षेत्र 0.98 लाख हेक्टर से बढ़कर वर्ष 2004 में 1.87 लाख हेक्टर हो गया है । वर्ष 2004–05 खरीफ एवं रबी फसल के लिए 2.13 लाख हेक्टर क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम प्रस्तावित है ।

कृषि विपणन

कृषि उपज मंडियॉ : कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित होने के पश्चात वर्ष 2001–02 में 70 मंडियॉ एवं 98 उप–मंडिया कार्यरत् थी । वर्ममान में कृषि उपज के विपण को और अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से 03 कृषि उपज मण्डियों एवं 08 उप मंडियों की स्थापना की गई है । इस प्रकार वर्ष 2004–05 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 73 मुख्य मण्डियां एवं 106 उप मण्डियॉ कार्यरत है । मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषको को शोषण से बचाने, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मण्डी बोर्ड का गठन किया गया है ।

मंडियों में आवक : राज्य की मंडियों में वर्ष 2003–2004 में 47.91 लाख मे.टन एवं 2004–05 में 56.64 लाख मे.टन. की आवक हुई । जो 2003–2004 की तुलना में 6.7 लाख मे.टन अधिक है । यह राज्य सरकार द्वारा सहकारी विपणन संघ के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान की अधिक खरीदी के कारण संभव हो सका ।

मंडियों की आय : छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों में वर्ष 2003–2004 में 5230.88 लाख रू. एवं वर्ष 2004–2005 में 4928.99 लाख रूपयों की आय हुई । इस प्रकार वर्ष 2003–2004 की तुलना में वर्ष 2004–05 में 301.89 लाख रूपये की आय कम हुई । जिसका मुख्य कारण समर्थन मूल्य पर की गई धान खरीदी पर देय मंडी शुल्कों का भुगतान राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश की मंडी समिति को नहीं किए जाने से है ।

बोर्ड शुल्क : प्रदेश की मंडियों से प्राप्त मंडी शुल्क ही बोर्ड की आय का प्रमुख स्त्रोंत है जो मंडियों द्वारा बोर्ड को बोर्ड–शुल्क के रूप में दिया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य की

मंडियों से वर्ष 2003–2004 में रू 296.86 लाख बोर्ड शुल्क प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2004–2005 में 493.86 लाख रूपये प्राप्त हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 197.00 लाख रू. अधिक है ।

विकास कार्य हेतु ऋण/अनुदान स्वीकृति : छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मण्डी वोर्ड द्वारा मंडियों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं जैसे–कार्यालय भवन, प्रकाश व्यवस्था, जल व्यवस्था, शौचालय, आंतरिक सड़के, चार दीवारी, नीलाम चबूतरे, कृषक विश्राम गृह, व्यापारी हमाल कक्ष, पुल–पुलिया, शेण्डी शाप तथा अन्य आवश्यक कार्य आदि के विकास कार्यो हेतु बोर्ड निधि से निर्धारित ऋण नीति के तहत पात्रतानुसार ऋण प्रदाय किया जाता है । जिसके अन्तर्गत वर्ष 2004–2005 में राज्य की 06 कृषि उपज मंण्डियों को विकास कार्यो हेतु राशि रू. 85.50 लाख ऋण आवंटित किये गये है तथा मंडी बोर्ड को मंडियों से प्राप्त 1 प्रतिशत राज्य विपणन विकास निधि से कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यो हेतु पात्रतानुसार अनुदान राशियॉ स्वीकृति की जाती हैं । जिसके अन्तर्गत वर्ष 2004–2005 में राज्य की 57 कृषि उपज मंडी समितियों को रू. 876.63 लाख अनुदान राशि आवंटित की गई है ।

वर्ष 2005–06 की नवीन योजनाएं

आदर्श फल एवं सब्जी मंडी की स्थापना : राज्य में कृषि उपज मंडी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, पत्थलगांव, सीतापुर (मैनपाट) में मंडी बोर्ड द्वारा आदर्श (माडर्न) फल सब्जी की स्थापना की जायेगी ।

आदर्श अनाज मंडी की स्थापना : राज्य की तीन मंडियों यथा– रायपुर, धमतरी एवं राजनांदगांव में आदर्श अनाज मंडियों की स्थापना की जायेगी । इस परियोजना में 80 प्रतिशत राज्य विपणन विकास निधि से तथा 20 प्रतिशत संबधित मंडी द्वारा व्यय किया जायेगा ।

ग्रेडिंग मशीन की स्थापना : राज्य की 9 मंडियों में क्रमशः रायपुर, नवापारा, धमतरी, कुरूद, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली एवं जगदलपुर में मंडी बोर्ड द्वारा अनुदान से ग्रेडिंग मशीन की स्थापना की जायेगी ।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना : प्रथम चरण में प्रदेश की 10 मंडियों यथा– रायपुर, धमतरी, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुन्द, बिलासपुर, मुंगेली, सारंगढ़ एवं जगदलपुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की योजना है ।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं । विभाग के अन्तर्गत 105 उद्यान रोपणी तथा एक साग–भाजी प्रगुणन प्रक्षेत्र है ।

उद्यानिकी फसलों के अन्तर्गत वर्ष 2004–2005 में 158878 हेक्टर क्षेत्र आच्छादित रहा जिसमें फल 123000 हैक्टर में, साग–भाजी, 14141 हैक्टर में, मसाले वाली फसलें, 100 हैक्टर में पुष्प तथा औषधीय फसलें 8000 हेक्टर में है । इस प्रकार उद्यानिकी फसलों के अन्तर्गत कुल कास्त भूमि का लगभग 1% रकबा है । विभाग द्वारा अगले पांच वर्षो में फलों का क्षेत्र 27277 हजार हेक्टर, सब्जी 247500 हेक्टर, मसाले 28291 हेक्टर, कंदीय फसलें 44800 हजार हेक्टर, औषधीय एवं सुगंधित फसलें 28000 हेक्टर, पुष्प क्षेत्र 1100 हेक्टर कुल 376968 हेक्टर क्षेत्र उद्यान के अन्तर्गत रकबा किए जाने का प्रस्ताव है ।

राज्य पोषित योजनायें : छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहें हैं :–

फल विकास कार्यक्रम : इस योजना में कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण़ पर नाबार्ड के मापदण्ड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नही लेना चाहतें हैं, उन्हें विभागीय फलोंद्यान योजना के अन्तर्गत केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है । वर्ष 2004–05 में विभागीय फल पौध रोपण, बैंक ऋण तथा स्वयं के साधन से 1985 हेक्टर में फल रोपण किया गया है ।

टॉपवर्किंग योजना : इस योजना के अन्तर्गत बेर, आंवला एंव आम के देशी पौधों को टापवर्किग के द्वारा अच्छी किस्म में परिवर्तित किया जाता है तथा ग्रामीण बेरोजगार युवकों को टॉपवर्किंग का 20 दिवसीय दैनिक मजदूरी पर प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है । प्रशिक्षण में 200 रूपये छात्रवृत्ति एवं 100 रू. कीमत के टूलकिट दिये जाने का प्रावधान है । प्रशिक्षित युवकों के द्वारा किये गये टापवर्किंग के ग्राफ्टिंग कार्य सफल होने पर, जब

शाखाऍं 2 इंच की हो जाती है, तब प्रति सफल वृक्ष 10 रूपये दिये जाने का प्रावधान है । वर्ष 2004–05 में 10538 पौधों को उन्नतशीनल किस्मों में परिवर्तित किया जा चुका है ।

केला प्रदर्शन योजना : कृषकों के खेतों में केले के 1/10 हेक्टर क्षेत्र के प्रदर्शन डालने पर कृषकों को 2250 रूपये प्रति प्रदर्शन अनुदान दिया जाता है । ये प्रदर्शन उपयुक्त जलवायु वाले जिलों – रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ एवं सरगुजा में, जहां केला खेती का प्रचलन नहीं है, प्रदर्शित किये जाते है । योजनान्तर्गत अनुदान राशि नगद न देकर टिशुकल्चर पौधे प्रदाय किये जाते हैं । वर्ष 2004–05 में नवम्बर तक 612 प्रदर्शन डाले जा चुके हैं ।

सब्जी विकास योजना : समस्त जिलों के आस–पास सब्जी उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से समन्वित सब्जी विकास योजना चलाई जा रही है । योजनान्तर्गत कृषकों को संकर बीज एवं कीटनाशक औषधि हेतु 50 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है । बीज की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है । कीटनाशक व औषधि विपणन संघ या सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । एक हितग्राही को 2 हैक्टर से अधिक का लाभ नही दिया जाता है । 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान राशि प्रति हेक्टर बीज के लिए 1400/–,कीटनाशक औषधि के लिए 100 रू. कुल 1500 रू. निर्धारित है । वर्ष 2004–05 में 1299 हेक्टर क्षेत्र में सब्जी का विस्तार किया जा चुका है ।

आलू प्रदर्शन योजना : खरीफ एवं रबी मौसम में आलू फसल के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये आलू विकास योजना में राज्य शासन द्वारा 500 रूपये का अनुदान 0.10 हैक्टर क्षेत्र के प्रदर्शन पर दिया जाता है, जिसमें आलू–बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक औषधियॉ प्रदान की जाती है । वर्ष 2004–05 में 5014 प्रदर्शन डाले जा चुके हैं ।

पुष्प प्रदर्शन योजना : प्रदेश में पुष्प के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रदर्शन की योजना स्वीकृत की गई है जिसमें गुलाब, रजनीगंधा, आष्टर, गेंदा, गुलदावदी, ग्लेडी, योलाई आदि प्रमुख पुष्पों के प्रदर्शन 400 वर्ग मीटर में आयोजित किये जाते है । कृषकों को व्यय का प्रति प्रदर्शन 75 प्रतिशत या अधिकतम 3,000 रूपये जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2004–05 में 62 प्रदर्शन डाले जा चुके हैं ।

मसाला विकास : मसाला वाली फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु विभागीय योजना भी स्वीकृत की गई है, जिसके तहत अदरक, हल्दी, लहसुन, धनियॉ एवं मिर्च के मिनी किट चयनित जिलों में वितरित किये जाते है । इस योजना के तहत धनियॉ एवं मिर्च के लिये 100 रूपये, अदरक के लिये 350 रूपये, हल्दी एवं लहसुन के लिये 250 रूपये के बीज मिनीकिट दिये जाते हैं । वर्ष 2004–05 में माह नवम्बर तक 63474 मिनीकिट वितरित किये जा चुके हैं ।

औषधीय एवं सुगंधित फसल प्रदर्शन : राज्य वित्त पोषित औषधीय एवं सुगंधित फसलों के विकास हेतु अजवाईन, ईसबगोल, सर्पगंधा, अश्वगंधा एवं अन्य फसलों की मिनीकिट 150 रूपये की वित्तीय सीमा तक वितरण किये जाने का प्रावधान है । वर्ष 2004–05 में 500 मिनीकट वितरित किये जा चुके हैं ।

आदर्श घरेलू बागवानी योजना : इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को दैनिक पोषण उपलब्ध कराने एवं अतिरिक्त आय के वृद्धि के उद्देश्य से 25 रू. के मिनिकिट्स सब्जी बीज आगानवाड़ी में लगाने हेतु निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है । वर्ष 2004–05 में 75600 मिनिकिट्स वितरण किए जा चुके हैं ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम : उद्यानिकी द्वारा फल एवं साग–भाजी के परिरक्षण पदार्थ जैसे जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, चटनी, कैचप, सास, व शर्बत आदि तैयार करने का केन्द्र में 15 दिवसीय एवं केन्द्र के बाहर 4 दिवसीय तथा ग्रामीण व नगरीय महिलाओं को प्रशिक्षण रायपुर राज्य मुख्यालय पर देने की व्यवस्था है । वर्ष 2004–05 में 2445 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

मशरूम प्रशिक्षण :– मशरूम की वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित प्रशिक्षण पर 500 रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय किये जाने का प्रावधान है । वर्ष 2004–05 में 90 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

केंन्द्रीय पोषित योजनाऐं

उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु केंन्द्र शासन द्वारा मैक्रो मैनेजमेन्ट योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के कृषकों के हितार्थ निम्न प्रमुख कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है ।

व्यवसायिक पुष्प विकास : इस योजना में पुष्पों की खेती में क्षेत्र विस्तार करने के उद्देश्य से बल्व, ग्राफ्ट, एवं सीड वेराइटी के उन्नतशील पुष्पों की खेती को व्यवसायिक रूप से करने हेतु 2 हजार से 10 हजार रूपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि 0.4 हैक्टर के प्रदर्शन डालने पर 30 हजार तथा 500 वर्गमीटर के ग्रीन हाउस निर्माण करने पर 75 हजार एवं सेडनेट हाऊस निर्माण के लिए 25 हजार रू. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । कृषकों के प्रशिक्षण एवं आई.ई.सी. कम्पेन पर एक हजार रूपये प्रति कृषक व्यय करने का प्रावधान है । वर्ष 2004–05 हेतु 25 प्रदर्शन डाले जा चुके है तथा 540 हेक्टर में खेती की जा रही है ।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधें के विकास की योजना : औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शन डाले जाते हैं तथा कृषको को प्रशिक्षित किया जाता है । 750 रू. प्रति प्रदर्शन पर व्यय किया जाता है तथा प्रति 12500 रू. की वित्तीय सहायता दी जाती है वर्ष 2004–05 में 119 प्रदर्शन तथा 812 हेक्टर क्षेत्र में विस्तार तथा 100 कृषको को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

कृषि में प्लास्टिक उपयोग : निरंतर गिरते हुये जलस्तर को ध्यान में रखते हुये ड्रिप सिंचाई पद्धति उद्यानिकी फसलों के लिये बहुत ही कारगर है । अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु व सीमान्त कृषक उपलब्ध सीमित जलराशि से इस पद्धति को अपनाकर अधिक से अधिक रकबे में उद्यानिकी फसलों को सफलता पूर्वक उत्पादित कर सकते हैं । वर्ष 2004–05 में 9 हेक्टर क्षेत्र में ड्रिप स्थापित किया जा चुका है, तथा 15 ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट का निर्माण किया जा चुका है ।

समन्वित मसाला विकास कार्यक्रम – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत काली मिर्च, अदरक, हल्दी, धनियॉ, मेथी आदि फसलों के मिनी किट क्रय, क्षेत्र–विस्तार, बीज–उत्पादन, कीट एवं व्याधि नियंत्रण आदि के लिये पृथक–पृथक दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2004–05 में 1969 प्रदर्शन एवं 1229 हेक्टर में क्षेत्र विस्तार किए गये हैं । तथा 264 हेक्टर क्षेत्र में कीट ब्याधि प्रबंधन का प्रयोग किया जा रहा है।

साग–भाजी बीज उत्पादन एवं वितरण – योजना में लघु–सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को उन्नत किस्म की सब्जी मिनी किट 115/– रूपये के सांकेतिक मूल्य पर उपलब्ध कराये जाते हैं । एक कृषक को प्रशिक्षित करने पर 1000.00 रूपये तथा जैव–नियंत्रण हेतु 1500.00 रूपये का पैकेज दिया जाता है । वर्ष 2004–05 में 24630 मिनिकिट वितरित किए गए तथा 90 कृषकों को प्रशिक्षित कर 1997 हेक्टर में जैव नियंत्रण का प्रयोग किया गया तथा एक–एक शीड ग्रेडर प्रोसेसर तथा प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है ।

समन्वित फल विकास योजना – प्रथम वर्ष में इकाई लागत की 25 प्रतिशत वित्तीय सहायता अमरूद, अंजीर, बेर, सीताफल, नीबू एवं ऑवला के लिये, 7000 रू. आम, लीची, नाशपाती, अनार, चीकू एवं पपीता के लिये 10000 रू. केला व अनानास पर रू. 15 हजार, अंगूर पर रू. 35 हजार व अन्य फलों के लिये 350 रूपये अधिकतम राशि स्वीकृत की जाती है जबकि द्वितीय व तृतीय वर्ष में 15 प्रतिशत व चतुर्थ वर्ष में 20 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता स्वीकृत/उपलब्ध कराने का प्रावधान है । वर्ष 2004–05 में 2348 हेक्टर में फलों की खेती की गई तथा 1340 हेक्टर क्षेत्र में पौध संरक्षण तथा 100 कृषको को प्रशिक्षित किया गया है ।

काजू विकास कार्यक्रम – छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, रायपुर व जशपुर जिलों को इस योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है । इस योजना में काजू के उन्नत किस्म के पौंधें के प्रति हेक्टर रोपण व रख–रखाव के लिए सामान्य व अनुसूचित जाति के लिये 3700 रू. व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 6500 रू. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2004–05 में 1348 हेक्टर में काजू रोपण कराया गया । 1644 हेक्टर में रख–रखाव तथा 667 में कीटब्याधि प्रबंधन किया जा रहा है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम – कृषकों को मशरूम का उत्पादन बढाने के लिये प्रति प्रशिक्षणार्थी एक हजार रूपये व्यय करने का प्रावधान है । वर्ष 2004–05 में 500 कृषको को प्रशिक्षित किया गया है ।

कीट एवं ब्याधि नियंत्रण कार्यक्रम : योजना में जैव नियंत्रण प्रबंधन पर 1500 रू. प्रति हेक्टर की सहायता दी जाती है तथा कृषकों के भ्रमण एवं प्रशिक्षण पर 1500 रू. प्रति कृषक

व्यय करने का प्रावधान है । वर्ष 2004–05 में 638 प्रदर्शन 100 भ्रमण एवं प्रशिक्षण तथा 3800 हेक्टर क्षेत्र में समन्वित कीट प्रबंधन किया जा रहा है ।

विशेष कार्यक्रम :– बस्तर संभाग में उद्यानिकि विकास को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र शासन द्वारा एकीकृत उद्यानिकी विकास योजना स्वीकृत की गई है । इस हेतु कांकेर जिले को चयनित किया गया है ।

केन्द्र शासन द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्र स्तर पर वित्तीय वर्ष 2005–06 से नेशनल हार्टिकल्चर मिशन लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक कार्य योजना 52.91 करोड़ रू. की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है ।मिशन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में राज्य के 7 जिले क्रमशः दुर्ग, कबीरधाम, जगदलपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा एवं रायगढ़ का चयन किया गया है । प्रस्तावित लक्ष्य के अनुसार फल विकास योजनान्तर्गत 4000 हेक्टर मसाला विकास योजनान्तर्गत 3000 हेक्टर औषधि एवं सुगंधित फलसों के विकास हेतु 2620 हेक्टर, पुष्प विकास योजनान्तर्गत 420 हेक्टर एवं पोस्ट हार्वेस मैनेजमेंट जैसे कोल्ड स्टोरेज, उपज संग्रहण केन्द्र गेडिग एवं पैकेजिंग यूनिट की स्थापना हेतु 25 करोड़ रू. व्यय किये जाने का प्रावधान है ।

अध्याय–4

भाव स्थिति

समर्थन मूल्य एवं खाद्यान्न उपार्जन

भारत शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान, गेहूँ, तथा मक्का का उपार्जन सीधे कृषकों से क्रय किया जा रहा है । लेव्ही चावल का उपार्जन समर्थन मूल्य पर उपार्जित, धान की कस्टम मिलिंग करने वाले राईस मिलर्स से किया जा रहा है । प्रदेश में अप्रैल 2002 से विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन योजना लागू है, जिसके अंतर्गत प्राप्त चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं में कराया जा रहा है । प्रदेश में प्रमुख खाद्यान्नों के उपार्जन की स्थिति निम्नानुसार है :–

धान : खरीफ वर्ष 2004–05 के दौरान राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर 29.04 लाख मे. टन धान का उपार्जन किया गया जोकि राज्य गठन से लेकर अब तक का रिकार्ड उपार्जन है । खरीफ विपणन वर्ष 2005–2006 हेतु भारत सरकार द्वारा कॉमन धान के लिए 570.00 रूपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड–ए के लिए 600.00 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को अधिकृत किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा 1333 सहकारी समितियों के द्वारा स्थापित 1458 उपार्जन केन्द्रो के माध्यम से नवम्बर 2005 तक 380169 मे. टन धान खरीदा गया ।

गेहूँ :– रबी विपणन वर्ष 2005–06 हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूँ के लिए 640 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा रबी वर्ष 2005–06 में गेहूँ उपार्जन हेतु समस्त व्यवस्थायें की गई किन्तु भारत सरकार द्वारा गेहूँ के लिए घोषित समर्थन मूल्य की तुलना में खुले बाजार में गेहूँ का अधिक भाव होने के कारण समर्थन मूल्य के अन्तर्गत उपार्जित गेहूँ की मात्रा निरंक रही ।

मक्का : खरीफ वर्ष 2004–05 के दौरान राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर 10936.82 मे. टन मक्का का उपार्जन किया गया । खरीफ विपणन मौसम 2005–06 हेतु भारत सरकार द्वारा मक्का का समर्थन मूल्य 540.00 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा इस वर्ष नवम्बर 2005 तक समर्थन मूल्य पर 123 मे.टन मक्का का उपार्जन किया गया ।

कस्टम मिलिंग एवं चावल उपार्जन :

खरीफ विपणन मौसम 2005–06 उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग इस वर्ष धान उपार्जन के साथ–साथ अर्थात माह नवम्बर 2005 से ही प्रारंभ की गई है, ताकि उपार्जन धान के शीघ्र निराकरण होने की स्थिति में राज्य को होने वाली वित्तीय हानि को कम किया जा सके । नवम्बर 2005 की स्थिति में 85694 मे. टन धान की कस्टम मिलिंग पूर्ण हो चुकी है तथा भारतीय खाद्य निगम को 117280 मे.टन धान का अन्तरित किया जा चुका है इसी प्रकार उपार्जित धान में से 202974 मे.टन धान का निराकरण किया जा चुका है ।

वर्तमान खरीफ वर्ष में नवम्बर 2005 की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 0.04 लाख में. टन लेव्ही चावल तथा 0.19 लाख में. टन कस्टम मिल्ड चावल का उपार्जन किया जा चुका है । छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से विकेन्द्रीकृत चावल लेव्ही उपार्जन नीति के तहत 0.47 लाख मे. टन चावल उपार्जित किया जा चुका है ।

खरीफ विपणन वर्ष 2004–05 के दौरान छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 9.00 लाख मे.टन कस्टम मिल्ड चावल तथा भारतीय खाद्य निगम 6.85 लाख मे.टन कस्टम मिल्ड चावल तथा 7.03 लाख मे.टन लेव्ही चावल का उपार्जन किया गया ।

बाक्स –4.1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नेटवर्क भारतीय खाद्य निगम के 11 प्रदाय केन्द्रो, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के 93 खाद्यान्न प्रदाय केन्द्रों एवं 10019 उचित मूल्य की दूकानों के समन्वय से निर्मित है, जिसके माध्यम से विभाग की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को पात्रतानुसार निर्धारित मूल्य पर नियमित खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन की आपूर्ति की जा रही है ।

उचित मूल्य की दुकाने : प्रदेश में उचित मूल्य की दूकानों का संचालन सहकारी समितियों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है ।

- 2053 दुकानें प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा
- 3404 दुकानें ग्राम पंचायतों द्वारा
- 700 दुकानें वृत्ताकार आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा,
- 1587 दुकानें स्व–सहायता समूहों द्वार
- 2018 दुकानें अन्य सहकारी समितियों द्वारा
- 243 दुकानें वन सुरक्षा समितियों द्वारा
- 14 अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 के प्रभावशील होने के उपरान्त विभाग द्वारा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित समस्त 2872 उचित मूल्य दुकानों को निरस्त कर उपरोक्त उल्लेखित संस्थाओं को आबंटित की गई है । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों एवं महिला स्व–सहायता समूहों को उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु रू. 75000 के मान से 36.00 करोड़ की राशि कार्यशील पूँजी के रूप में उपलब्ध कराई गई है ।

सार्वजनिक वितरण प्राणाली:–योजनार्तगत, गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) एवं ऊपर (ए.पी.एल.) के परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है । प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे 17.77 लाख परिवारों को नीले राशन कार्ड एवं गरीबी रेखा के उपर के 25.82 लाख परिवारों को सामान्य राशन कार्ड जारी किये गए है । ए.पी.एल. परिवारों को 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न सामान्य दरों पर एवं बी.पी.एल. कार्डधारी परिवारों को रियायती दर पर 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में बी.पी.एल. खाद्यान्न का आबंटन एवं वितरण निम्नानुसार है:–

(मात्रा मैट्रिक टन में)

बी.पी.एल. गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
110271	94462	476364	472266

वित्तीय वर्ष 2005–06 में माह अक्टूबर तक बी.पी.एल. खाद्यान्न वितरण की स्थिति निम्नानुसार है:–

(मात्रा मैट्रिक टन में)

बी.पी.एल. गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
60144	53881	259626	256132

बी.पी.एल. योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का उठाव 96.89 प्रतिशत है । जो विगत वर्ष 96.61 प्रतिशत की तुलना में अधिक है एवं राष्ट्रीय औसत उठाव (79.00%) से अधिक है ।

शक्कर : भारत सरकार से प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशनकार्ड धारी परिवारों को 425 ग्राम प्रति सदस्य के मान से प्रति माह रियाती दर पर शक्कर वितरित की जा रही है । भारत सरकार से प्रदेश को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में माह दिसम्बर 2005 से प्रतिमाह औसतन 4345.90 मे. टन शक्कर का आवंटन प्राप्त हो रहा है । वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु भारत सरकार द्वारा 55050 में. टन शक्कर आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध शक्कर का वितरण 38341.50 में. टन (69.65%) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में माह अक्टूबर 2005 तक बी.पी.एल. शक्कर के 33459.60 में.टन आबंटन के विरूद्ध 27495.90 मे.टन शक्कर का वितरण (82.18 प्रतिशत) हुआ ।

औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सामान्य समूह

(आधार वर्ष 1982=100)

(संदर्भ तालिका क्रमांक-4.3)

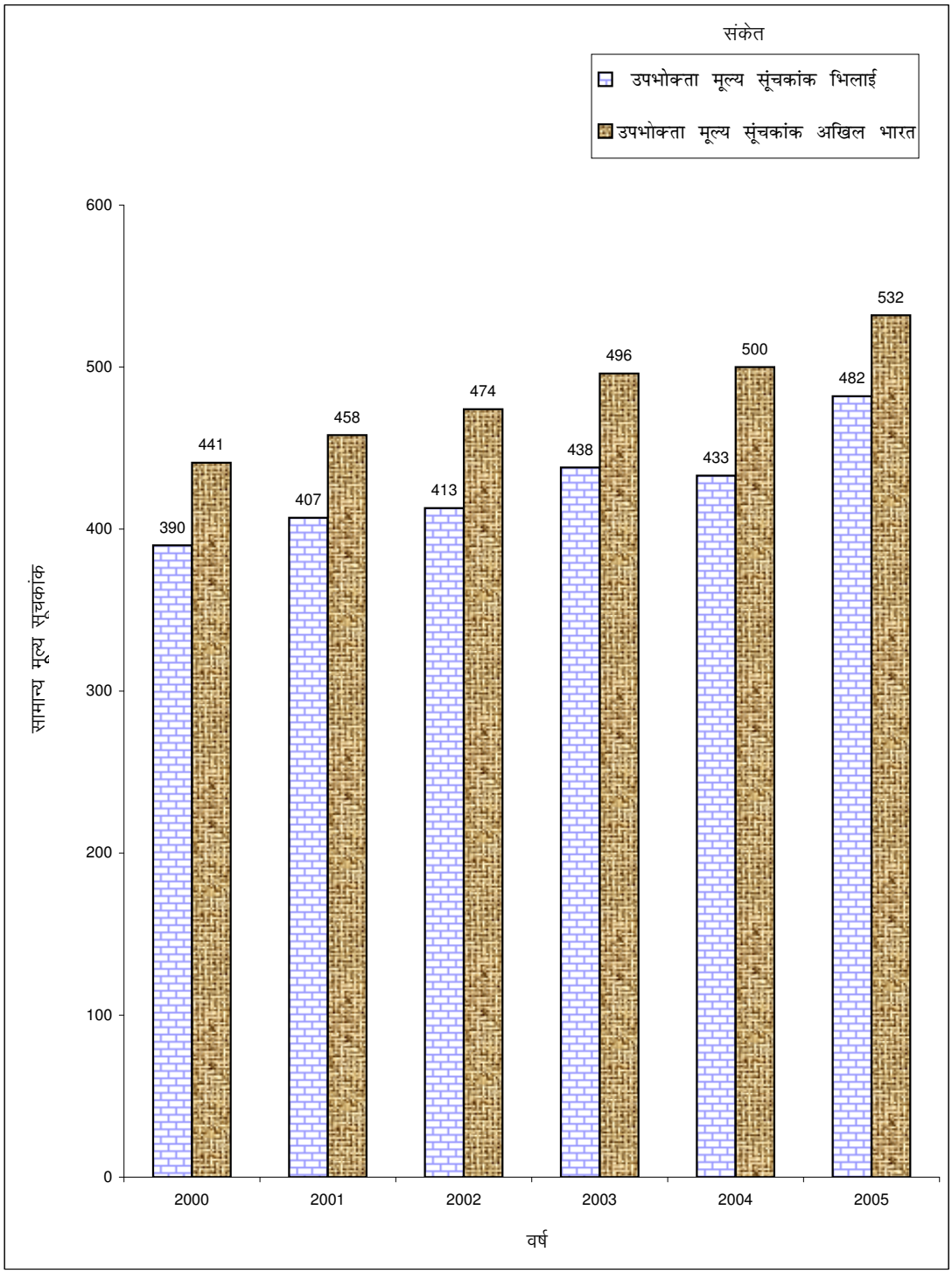

अन्त्योदय अन्न योजना :– प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना मार्च 2001 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 3.00 रू. किलो गेहूँ तथा 3.00 रू. किलो चावल, 35 किलो प्रतिमाह के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है । प्रदेश में 5.69 लाख हितग्राहियों को अन्त्योदय राशनकार्ड जारी कर उन्हे नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान भारत सरकार से अन्त्योदय अन्य योजना के तृतीय विस्तार के अन्तर्गत राज्य के 1.49 लाख अतिरिक्त अति निर्धन परिवारों को चिन्हाकित कर योजनान्तर्गत सम्मिलित किए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है । जिसके विरूद्ध 1.4 लाख निर्धन परिवारो को चिन्हित कर अतिरिक्त खाद्यान आवंटन की मांग भारत शासन से की गई है ।

वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु भारत सरकार द्वारा 200997 मे. टन खाद्यान अन्त्योदय योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध खाद्यान का वितरण 187329 मे.टन (93.20%) मे.टन रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 अक्टूबर 2005 तक अन्त्योदय योजनान्तर्गत चावल 139482 मे. टन एवं 127139.40 मे.टन शक्कर का वितरण (91.15%) किया गया ।

अन्नपूर्णा दाल–भात योजना : राज्य शासन के निर्णयानुसार यह योजना विभाग द्वारा जनवरी 2004 से समस्त प्रदेश में लागू की गई जिसके द्वारा राज्य के निर्धन एवं जरूरत मंद लोगों को 5.00 रू. में भरपेट दाल–भात उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्तमान में संचालित 175 अन्नपूर्णा दाल–भात केन्दों से प्रतिदिन 30 से 35 हजार निर्धन हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं । राज्य शासन द्वारा इन केन्द्रो को बी.पी.एल. दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

अन्नपूर्णा योजना : इस योजना का उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ बेसहारा नागरिको को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नही हो रही है । इस योजना के हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है । प्रदेश में 28071 हितग्राहियों को राशन कार्ड प्रदाय कर खाद्यान्न का नियमित वितरण किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु विभाग द्वारा 3213.12 में. टन चावल अन्नपूर्णा योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध चावल का वितरण 2830.00 मे. टन (88.08) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में माह अक्टूबर 2005 तक अन्नपूर्णा चावल के 1866.56 में. टन आबंटन के विरूद्ध 1761.20 में. टन चावल का वितरण (94.36%) रहा ।

छत्तीसगढ़ अमृत (नमक) वितरण योजना :

राज्य शासन के निर्णयानुसार यह योजना विभाग द्वारा 26 जनवरी 2004 से राज्य के समस्त अनुसूचित जनजाति विकास खण्डों में लागू की गई थी, जिसके अन्तर्गत मात्र 25 पैसे प्रति किलो की दर से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रतिमाह दो किलो आयोडाईज्ड नमक वितरित किया जा रहा है । 15 अगस्त 2004 से इस येाजना का विस्तार समस्त सामान्य विकास खण्डों में किया जाकर 23.74 लाख निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशनकार्ड धारी परिवारों को इस येाजना का लाभ दिया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में राज्य शासन द्वारा 44879.11 मे.टन नमक वितरण हेतु जिलो को आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध नमक का वितरण 31852.43 मे.टन (70.97 प्रतिशत) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में अक्टूबर 2005 तक नमक के 33625.23 मे. टन आवंटन के विरूद्ध 27201.21 मे.टन का वितरण (80.90 प्रतिशत) रहा है ।

पहुॅचविहीन क्षेत्रों में भंडारण : वर्षाकाल में प्रदेश के जो ग्राम पहुंचविहीन हो जाते हैं उनमें खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन का अग्रिम भंडारण कराने की व्यवस्था शासन द्वारा कराई जाती है । वर्ष 2004–05 के वर्षाकाल हेतु प्रदेश के 598 पहुंचविहीन केन्द्रो में खाद्यान्न, शक्कर एवं करोसीन के भंडारण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1.50 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है । इस राशि द्वारा आवश्यक वस्तुओं का भंडारण किया जाकर हितग्राहियों को वितरित किया गया ।

अध्याय–5

पशुपालन एवं डेयरी विकास

प्रदेश में वर्ष 2003 की पशु संगणना के अनुसार गौ एवं भैस वंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 30.79 लाख है, वर्तमान में देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांड़ों के वीर्य से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधन को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

गौवंशी पशु विकासः राज्य में वर्ष 2004–2005 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 5 गहन पशु विकास परियोजनायें एवं उन्नत दुधारू पशु परियोजनायें, 20 कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र, 737 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधन इकाइयॉ कार्यरत् हैं । उपरोक्त संस्थाओं द्वारा आलोच्य वर्ष में 2.02 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 3.7 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 49.04 हजार वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 1.9 हजार वत्सोत्पादन हुआ ।

बकरी विकास : प्रदेश में वर्ष 2003 की पशु संगणना के अनुसार 23.35 लाख बकरे–बकरियॉ हैं, प्रदेश के कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है तथा व्यक्ति मूलक योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 में 92.53 लाख रू. व्यय कर 3427 उन्नत नस्ल के बकरे विनियम के आधार पर वितरित किए गए । वर्ष 2005–2006 के लिए व्यक्ति मूलक योजनान्तर्गत विनिमय के आधार पर नर बकरों के वितरण हेतु प्राप्त आवंटन रूपये 81.00 लाख से 2700 बकरा वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

शूकर विकास : वर्ष 2003 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 1.34 करोड़ शूकर हैं । शूकर नस्ल सुधार हेतु शूकर पालको को वर्ष 2004–05 में विनिमय के आधार पर शूकरत्रयी वितरण हेतु रू. 202.47 लाख रु. से 3490 हितिग्राहियों को, एवं विनिमय के आधार पर नर सूकर इकाई वितरण हेतु 182.422 लाख रु .से 4560 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया जा रहा है । वर्ष 2005–06 के लिये विनिमय के आधार पर शूकरत्रयी वितरण हेतु 116.00 लाख रू. प्राप्त आवंटन के विरूद्ध 1657 हितग्राहियों को तथा विनियम के आधार पर शूकर वितरण हेतु रू. 40.00 लाख आवंटन से 909 हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय :– विभाग द्वारा वर्ष 2004–05 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतो के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में राशि रू. 50.00 लाख के व्यय से 333 उन्नत नस्ल के सांडो का प्रदाय किया गया है ।

वर्ष 2005–06 के लिए शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो के प्रदाय हेतु राशि 45.00 लाख रू. से 300 सांडो का प्रदाय किया जाना है ।

कुक्कुट विकास : प्रदेश में वर्ष 2003 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 81.81 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है । प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है । इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत आहार एवं औषधि सहित घर पहुॅचा कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता है । आलोच्य वर्ष 2004–05 में बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत 102.797 लाख रू. व्यय किया जाकर 22843 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा गया है । वर्ष 2005–06 में 119.66 लाख बंटन के विरूद्ध 26591 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

बॉक्स क 5.1

शासन द्वारा पशुपालन हेतु आबंटित राशि

- वर्ष 2005–06 हेतु राष्ट्रीय गौवंशी /भैसवंशी परियोजना अंतर्गत 300.00 लाख की राशि भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं ।
- वर्ष 2005–06 में 190 चलित कृत्रिम गर्भाधान का विशेष प्रशिक्षण दिया गया जो दूरदराज क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनान्तर्गत कार्य करेंगें ।
- वर्ष 2005–06 के लिए विनियम के आधार पर सुकरत्रयी वितरण हेतु 116.00 लाख आवंटन प्राप्त ।

पशु चिकित्साः– वर्ष 2004–05 पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए 55.50 लाख पशुओं का टीकाकरण तथा 21.72 लाख कुक्कट टीकाकरण किया गया । गत वर्ष में 16.52 लाख पशुओं का उपचार, 17.17 लाख पशुओं को औषधि वितरण तथा 3.09 लाख बधियाकरण किया गया ।

बॉक्स क 5.2

प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए चिकित्सालय

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	208
पशु औषधालय	703
चल चिकित्सालय	25
माता महामारी	3
पशु जांच चौकियां	8
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	7
कृत्रिम गर्भाधान केंद्र	20
हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान	737

छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरणः– वर्ष 2004–05 में रू. 472.00 व्यय किये गये । पॉच वर्ष में केन्द्र शासन से 1024.70 लाख रू. व्यय करने की स्वीकृति दी गई है । अभी तक 579 चलित कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों स्थापित की जाकर उन्हे कृत्रिम गर्भाधान से संबधित आवश्यक उपकरण प्रदाय किये जा चुके हैं । अभिकरण द्वारा अत्याधुनिक एवं कम्प्यूटराईज्ड वीर्य संग्रह केन्द्र अंजोरा जिला दुर्ग में निर्माण हो चुका है जिसे विशिष्ट उपकरणों से सुसज्जित किया जा चुका है । वर्ष 2005–06 हेतु राष्ट्रीय गौवंशी/भैंसवंशी परियोजना अन्तर्गत 300.00 लाख की राशि भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है वर्ष 2005–06 में 190 चलित कृ़मित गर्भाधान का विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा जो दूरदराज क्षेत्रों में स्व–रोजगार योजनान्तर्गत कार्य करेंगे । जिस क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध नहीं होगी उन क्षेत्रों में उन्नत नस्ल के सांड़ों को स्थापित कर नैसर्गिक प्रजनन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । राष्ट्रीय गौवंशीय/भैंसवंशीय परियोजना के राज्य में संचालित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान कार्य में वृद्धि हुई है । जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है । जिसके परिणामस्वरूप राज्य में दुग्धउत्पादन में भी वृद्धि हो रही है ।

रायपुर दुग्ध संघ

रायपुर दुग्ध संघ का कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के सात जिलों यथा – रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा तथा जांजगीर–चॉपा तक विस्तारित है ।

प्रस्पेक्टिव प्लान – राज्य शासन द्वारा रायपुर दुग्ध संघ की गतिविधियों को बढ़ाने देने हेतु प्रस्पेक्टिव प्लान वर्ष 2005–06 से स्वीकृत किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि से विभिन्न डेयरी विकास की गतिविधियॉ जैसे समिति गठन प्रशिक्षण संयत्र एवं शीतलीकरण संयत्र के नवीनीकरण व विक्रय बढ़ोत्तरी आदि के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं ।

ग्राम सर्वेक्षण अभियानः– दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादन क्षमता के सही आकलन हेतु ग्रामीण सर्वेक्षण अभियान राष्ट्रीय विकास बोर्ड के सहयोग से शुरू किया गया है इस कार्य हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 27.80 लाख रू. का अनुदान दिया गया है
प्रथम चरण अन्तर्गत दुग्ध संघ क्षेत्र अन्तर्गत उक्त सात जिले में प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक घर का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि सही स्थिति का आंकलन होने के पश्चात तदानुसार दुग्ध व्यवसाय वृद्धि हेतु रणनीति तैयार की जा सके ।

अद्यतन स्थिति में महासमुन्द, धमतरी, रायपुर एवं दुर्ग जिले में सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न हो चुका है ।

महिला डेयरी प्रोजेक्टः– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास की स्टेप योजना के अन्तर्गत रायपुर, दुर्ग तथा महासमुन्द जिलों के लिए 218. 92 लाख की रूपये लागत से एवं बिलासपुर जिले हेतु 250.72 लाख रू. की लागत से महिला डेयरी परियोजना स्वीकृत की गई है । रायपुर, दुर्ग एवं महासमुन्द जिले हेतु स्वीकृत महिला डेयरी परियोजना (फेज–1) में 45 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन कर 3375 ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण हेतु डेयरी विकास से संलग्न किया जाना है । बिलासपुर जिले हेतु स्वीकृत महिला डेयरी परियोजना (फेज–2) में 60 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन कर 4500 महिला हितग्राही सदस्यों को सम्बद्ध किया जावेगा । इस हेतु राज्य दुग्ध संघ द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आदि महिलाओं को प्रदान किया जावेगा ।

रायपुर दुग्ध संघ की भौतिक उपलब्धियॉ

माह सितम्बर, 2005 तक रायपुर दुग्ध संघ का स्वरूप व उसकी उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

क्र	भौतिक स्तर का विवरण	इकाई	उपलब्धियॉ		
			2003–04	2004–05	2005–06 (सित.05)
1	2	3	4	5	6
1.	कार्यशील दुग्ध समितियॉ	संख्या	207	221	247
2.	सदस्य	संख्या	11454	12023	13395
3.	कुल महिला सदस्य	संख्या	2950	3891	3983
4.	दुग्ध प्रदायक सदस्य	संख्या	5550	6818	8436
5.	कृत्रिम गर्भाधन के प्रकरण	संख्या	904	–	–
6.	पशु आहार विक्रय	मैट्रिक टन	714.58	1310.00	818
7.	दुग्ध संकलन	हजार लीटर प्रतिदिन	16.22	17.09	22.62
8.	दुग्ध विक्रय	हजार लीटर प्रतिदिन	28.81	30.33	30.19
9.	दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता	———''———	100.00	100.00	100.00
10	दुग्ध शीतलीकरण क्षमता	———''———	16.00	16.00	16.00

वर्ष 2004–05 में सभी कृ.ग. केन्द्रों को पशु चिकित्सा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया ।

अध्याय–6

मत्स्य विकास

छत्तीसगढ़ राज्य में 1.547 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें 1.372 लाख हे. जलक्षेत्र में मछली पालन का कार्य हो रहा है । जो कुल जलक्षेत्र का 88.68 प्रतिशत है । यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारन्मुखी साधन है । कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रुप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है । वर्ष 2003–2004 में समस्त स्त्रोतों से 3678.22 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ था । इसी प्रकार वर्ष 2004–05 मे 4613.00 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 25.41 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2005–06 में माह अगस्त 2005 तक 4291.00 लाख स्टेंर्डड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया । वर्ष 2003–2004 में राज्य में समस्त स्त्रोंतों से 111052 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया था, जबकि वर्ष 2004–2005 में 120072 मे. टन किया गया । गत वर्ष की तुलना में 8.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वित्तीय वर्ष 2005–06 में माह अगस्त 2005 तक 61316.27 में. टन मत्स्योत्पादन किया गया है ।

बॉक्स क 6.1

योजना, बीमा, व आवास सुविधा

- मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 में प्रशिक्षण का लक्ष्य 1150 रखा गया था जिसके विरूद्व 841 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया । तथा 1200. 53 हेक्टर जल क्षेत्र के 858 तालाब, 2405 हितग्राहियों को आवंटित किए गए ।
- मत्स्य पालकों का दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रूपये 25000 तथा स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर 50000 रू. की सहायता दी जाती है ।
- वर्ष 2005–06 मे 240 मछुआरों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।
- आलंकारिक मत्स्यद्योग विकास के अंतर्गत वर्ष 2004–05 में 5000 नग अलंकारिक मत्स्य का उत्पादन किया गया ।
- पाली कल्चर झींगापालन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्यपालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु नवीन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है । जिसके तहत 500 परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से रु.78.93 लाख की योजना विभाग द्वारा शासन को प्रस्तुत की गई है ।

राज्य में 866 मछुआ सहकारी समितियॉ हैं । इन्हें वर्ष 2004–05 में 4.50 लाख रूपये अनुदान दिया गया है एवं 38 प्रशिक्षार्थियों को छः माह की अवधि का प्रशिक्षण दिया जा चुका है । वर्ष 2004–05 में 99.69 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया ।

वर्ष 2004–05 में 12.53 हे. जल क्षेत्र के 858 तालाब 2405 हितग्राहियों को आवंटित किए गए । वर्ष 2005–06 में अगस्त 05 तक 521.76 हे. जल क्षेत्र के 339 तालाब 1311 हितग्राहियों को पट्टे पर दिए गए है ।

मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग हेतु केन्द्रीय अनुदान से वर्ष 2004–05 में 12.30 लाख रु. की धनराशि प्राप्त हुई थी । सभी जिलों में उपलब्ध सिचाईं जलाशयों के जल क्षेत्र सर्वेक्षण, मत्स्य पालन संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से केन्द्र शासन को उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

अल्पअवधि बचत सह राहत योजना :– बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वयन की जा रही है । योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा 9 माह में 50 रूपये मासिक अंशदान से 450 रू. तथा शासन द्वारा 450 रू. दिया जायेगा कुल रूपये 900 रू. हितग्राही के नाम से जमा किए जायेगें । जिससे बंद ऋतु के 3 माह में 300 रूपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को दिए जाते है । वर्ष 2005–06 में 400 मछुआरों को उक्त योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

अन्य विभागों से संबद्ध मत्स्य पालन विकास योजनाएँ : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित स्वर्णजयन्ती ग्राम स्व–रोजगार योजना मत्स्य पालन विकास हेतु अल्पावधि, ऋण योजना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम प्रवर्तित सहकारी विकास परियोजना, राष्ट्रीय विकास योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालन विकास की विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित हो रही है । वर्ष 2005–06 से राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषकों को स्वयं की भूमि पर शत–प्रतिशत शासकीय व्यय पर तालाब निर्माण किया जाकर मत्स्य पालन हेतु स्व–रोजगार उपलब्ध कराये जाने बावत योजना संचालित । योजना क्रियान्वयन से हितग्राही रू.1.20 लाख प्रति हेक्टर तक वार्षिक आय प्राप्त कर सकते हैं ।

अध्याय–7

वानिकी

भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्ट्रि से छत्तीसगढ राज्य तीसरे स्थान पर है । यह कुल भोगौलिक क्षेत्र का 44.2 प्रतिशत है । राज्य में आरक्षित वन 25782.17 वर्ग कि.मी. (43. 13%) संरक्षित वन 24036.10 कि.मी. (40.22%) अवर्गीकृत वन 9954.13 वर्ग कि.मी. (16.65%) वन क्षेत्र है । विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2004–05 में 24865 (हे.में) पुराने वनों का सुधार किया गया एवं बिगड़े बांस वनों का सुधार 16899 (हे.मे.) किया गया है ।

बाक्स न–7.1

संयुक्त वन प्रबंधन

- राज्य में 6931 संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से वनो की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य राज्य के कुल वन क्षेत्र 59772 वर्ग किलोमीटर में से 29673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सफलता पूर्वक किया जा रहा है ।
- राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य हैं,
- प्रोजेक्ट टाइगर योजना हेतु केन्द्र शासन द्वारा 98.77 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें सें 8.42 लाख व्यय किए गए ।
- वर्ष 2005–06 में जेट्रोफा के कुल 3 करोड पौधे रोपित किए जायेंगें ।

उत्पादन–विदोहन (काष्ठ)

कूप की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टर में	लक्ष्य		कटाई	
		इमारती धन मी.	जलाऊ चट्टे	इमरती धन मी.	जलाऊ चट्टे
354	58605	136668	206582	141089	168865

(बांस)

कूप की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टर में	लक्ष्य (संख्या)		कटाई(संख्या)	
		व्यापारिक बांस	औद्योगिक बांस	व्यापारिक बांस	औद्योगिक बांस
146	46955	25827	43411	20859	30587

संयुक्त वन प्रबंधन की योजना :–

लाख की खेतीः– वर्ष 2004–05 में यह परियोजना प्रारंभ की गई । 745 वन समितियों के 2348 ग्रामीण परिवारों द्वारा 2 लाख पलाश एवं कुसुम के वृक्षों में लाख की खेती की जा रही है । जिससे वर्तमान में राज्य में 1000 टन लाख का उत्पादन हो रहा है ।

मछली पालनः– 681 वन समितियों के 25400 परिवारों द्वारा मछली पालन का कार्य किया जा रहा है । वर्ष 2004–05 में 14.12 लाख रु. का शुद्व लाभ हुआ ।

कृत्रिम कोसा पालन :– 344 वन समितियों के 28221 परिवारों द्वारा कृत्रिम कोसा पालन का कार्य किया जा रहा है । वर्ष 2004–05 में 40.50 लाख रु. का शुद्व लाभ अर्जित किया ।

बांस आधारित उद्योग :– 190 वन समितियों के 2438 परिवार बांस आधारित कुटीर उद्योग में सलंग्न है । वर्ष 2004–05 में 21.00 लाख रु. का शुद्व लाभ अर्जित किया गया ।

अन्य कुटीर उद्योग :– अन्य कुटीर उद्योग द्वारा वर्ष 2004–05 में 1 करोड 32 लाख रु. का शुद्व लाभ प्राप्त हुआ ।

पौधा प्रदाय योजना : जनता में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रचार–प्रसार हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने हेतु पौधा प्रदाय योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । जिसमें 1 रू. दर से प्रति पौधा अधिकतम एक हजार पौधे एक हितग्राही को दिये जायेंगे । इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 100 लाख पौधे जिसमें खम्हार, बांस, सागौन, करंज, आवंला, कटहल, नीलगिरी, मुनगा, रतनजोति, सिरस प्रजाति के शिशु पौधे रियायती दर पर प्रदाय किये जा रहे हैं इसके लिए वर्ष 2005–06 में 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।

हरियाली प्रसार योजना : कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाली प्रसार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों को उनकी पड़त भूमि में इच्छित प्रजाती के 250 से अधिकतम 1000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांरित किए जाएंगे । साथ ही आगामी दो वर्षो के लिए रख–रखाव हेतु 1.00 रू. प्रति पौधा की दर से प्रति वर्ष अनुदान दिया जायेगा । वर्ष 2005–06 में इसके लिए 50.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है ।

नदी तट वृक्षारोपण योजना : राज्य की जीवनदायनी नदियों के संरक्षण हेतु नदीतट वृक्षारोपण योजना लागू की जा रही है । इससे नदियों के तट पर होने वाले भू क्षरण और इससे जनित समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण से किया जायेगा । राज्य में 400 किलोमीटर तट पर वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2005–06 में 75.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है ।

वन्य जीवों का संरक्षण एवं विकास योजना : प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य है जीवों का संरक्षण एवं विकास नामक इस योजनान्तर्गत बजट में 50.00 लाख रू. का प्रावधान वर्ष 2004–05 में किया गया है । योजनान्तर्गत कुछ अभ्यारण्यों को आदर्श रूप में विकसित किया जावेगा । वन्य जीव संरक्षण एवं ईको टूरिज्म के विकास की दृष्टि से यह योजना अत्यन्त प्रभावी सिद्ध होगी ।

अवैध वन कटाई एवं अवैध शिकार तथा वनभूमि पर अतिक्रमण : वन क्षेत्रों से वनोपज की अवैध निकासी को नियंत्रित करने एवं रोकथाम के लिए कुल 330 एवं अन्तर्राज्यीय 35 वनोपज जांच नाके स्थापित किए गए हैं । साथ ही राजस्व पुलिस एवं वन कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर वनभूमि से अतिक्रमण रोकने की एवं अपराधों की रोकथाम की जा रही है ।

लघु वनोपज का संरक्षण एवं संवर्धन :– प्रदेश में आदिवासी एवं गरीब लोंगो के जीविकोपार्जन के लिए लघु वनोपज संग्रहण एक महत्वपूर्ण माध्यम है । इस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन अक्टूबर 2000 को किया गया है । वनोपज संध द्वारा मुख्य रूप से राष्ट्रीकृत वनोपज जैसे–तेंदूपत्ता, सालबीज, हर्रा, गोंद (कुल्लू खैर, बबूल, एवं धावड़ा) का संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है ।

वर्ष 2004 संग्रहण काल में प्रदेश की कुल 913 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ते का संग्रहण छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा कराया गया । प्रदेश में तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 450 रू. प्रति मानक बोरा निर्धारित थी । सम्पूर्ण प्रदेश में दंतेवाड़ा जिले के अतिरिक्त बीड़ी बनाने योग्य अच्छी गुणवत्ता का 16.21 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित कर गोदामीकृत किया गया था । इस संग्रहित तेंदूपत्ता का निर्वतन निविदाएं आमंत्रित कर किया जा रहा है । मार्च 2004 की स्थिति में 3.73 लाख मानक बोरा विक्रय से शेष है । 12.48 लाख मानक बोरा रू. 132.56 करोड़ में विक्रय किया

गया है एवं औसत दर रू. 1062 रू. प्रति मानक बोरा है । इसके अतिरिक्त दंतेवाड़ा जिले की 64 ईकाईयों का अग्रिम निर्वतन किया गया । इन इकाईयों में कुल 1.91 लाख मानक बोरा मात्र संग्रहित हुआ जो कि रू. 21.82 करोड़ में विक्रित हुआ तथा औसत विक्रय मूल्य रू. 1140 प्रति मानक बोरा रहा ।

प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2004 में 913 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराने हेतु लगभग 18.71 लाख मानक बोरे का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है । मार्च 2004 की स्थिति में विभिन्न अग्रिम निविदाओं/नीलाम/आफर में नियुक्त क्रेताओं को 13.67 लाख मानक बोरा रू. 117.72 करोड़ में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रू. 858 प्रति मानक बोरा है । मार्च 2004 की स्थिति में 5.04 लाख मानक बोरा विक्रय से शेष है । अविक्रित समितियों में तेन्दूपत्ता का संग्रहण उपरान्त उपचारण एवं बोरा भरती का कार्य प्राथमिक बनोपज सहकारी समितियों द्वारा किया जावेगा तथा गोदामीकृत पत्तों का विक्रय संघ के द्वारा किया जावेगा ।

इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में कुल रू.84.28 करोड़ की संग्रहण मजदूरी के वितरण का अनुमान है ।

वित्त एवं बजट :–

वित्तिय वर्ष 2004–05 में बजट प्रावधान एवं मार्च 2005 व्यय का विवरण :–

(राशि करोड़ रूपये में)

मद	केन्द्रांश	राज्यांश	रक्षित निधियां	योग
मांग संख्या–10	1102.00	3271.00	1350.00	5723.00
मांग संख्या–64	0.00	405.00	0.00	405.00
मांग संख्या–41	334.00	2912.00	0.00	3246.00

इमारती जलाऊ लकड़ी का उत्पादन :– वर्ष 2004–05 में कुल जलाऊ एवं इमारती लकड़ी का उत्पादन निम्नानुसार है :–

क्र.	मद	इकाई	उत्पादन
1	कुल इमारती लकड़ी	घन मीटर	161830
2	जलाउ लकड़ी	चट्टे	195041
3	इमारती लकड़ी का कुल उत्पादन से प्रतिशत	प्रतिशत	113.07
4	औद्योगिक बांस	नो. सं.	38168
5	व्यापारिक बांस	नो. सं.	24799

राजस्व एवं लक्ष्य प्राप्तियॉ :–

वर्ष	राजस्व लक्ष्य	प्राप्तियां
2003–2004	130.00 करोड	136.76 करोड
2004–2005	139.09 करोड	154.62 करोड

अध्याय–8

जल संसाधन

छत्तीसगढ राज्य में जल संसाधनों के उपयोग एवं विकास कार्य

छत्तीसगढ़ प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र 57.88 लाख हेक्टर तथा निरा बोया गया क्षेत्र 48.28 लाख हेक्टर है। वर्तमान में 43 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित की जा सकती है । जिसमें सतही जल से 33.80 लाख एवं भू जल से 9.20 लाख हेक्टर सिंचाई की जा सकती है । 10 वीं पंचवर्षीय योजना में जल संसाधन के विकास के लिए 3097.98 करोड़ का प्रावधान किया गया है । तथा 3.60 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

मार्च 2005 में 75.068 हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है । इस तरह निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाओं से कुल 16.26 लाख हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र का सृजन हुआ जो निरा बोये गए क्षेत्र का 33.68 प्रतिशत एवं कुल बोये गए क्षेत्र का 28.10 प्रतिशत है ।

सिंचित क्षेत्र :–

अवधि	निर्मित सिंचाई क्षमता हे.	कुल सिंचाई लाख हें.
नवम्बर 2000 से मार्च 2001	12000	13.40
अप्रैल 2001 से मार्च 2003	71000	14.11
अप्रैल 2002 से मार्च 2003	42000	14.53
अप्रैल 2003 से मार्च 2004	97000	15.50

सिंचाई क्षमता हेतु बजट आवंटनः– जल संसाधनों के विकास तथा सिंचाई क्षमता को बढाने हेतु वर्ष 2004–05 में 818.78 करोड रू. की बजट राशि आवंटित की गई ।

बाक्स न–8.1

योजनाएं एवं सिंचित क्षेत्र

- काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत 10 जिलों में 908 जलाशय एवं नहर आदि श्रम मूलक कार्य 60.78 करोड रूपए की लागत से प्रारंभ किये गये । 30827 हे. क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई । तथा 238 नये स्टाप डेम में कार्य प्रारंभ किए गए जिससे 3536 हे. क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

- वर्ष 2005–06 के लिए राजस्व वसूली हेतु रु. 121.50 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है । माह जून 2005 तक रु. 6.65 करोड़ (22.81 प्रतिशत) की वसूली की गई है ।

- वर्ष 2004–05 मे जल उपभोक्ता संस्थाओं को नहर प्रणाली के संधारण व संचालन हेतु 174.00 लाख रु. की धनराशि उपलब्ध कराई गई । जिससे 11.35 लाख हे. क्षेत्र में संधारण कार्य किया गया

- महानदी जलाशय परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता 276571 हेक्टर (खरीफ) है । वर्ष 2004–05 में 242380 हेक्टर क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- पैरी जलाशय परियोजना से वर्ष 2004–05 में 37569 हे. में खरीफ फसल के लिए जल उपलब्ध कराया गया है ।
- कोडार जलाशय परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 16754 हे. वर्ष 2004–05 में खरीफ एवं 6718 हे. क्षेत्र है । इनकी कुल कृषि योग्य भूमि 21740 हे. क्षेत्र है । वर्ष 2004–05 में 16018 हे. क्षेत्र में खरीफ की सिंचाई की गई है ।

- जोंक परियोजना से वर्ष 2004–05 में 4196 हेक्टर क्षेत्र के लिए जल उपलब्ध कराया गया है ।

- बलार जलाशय परियोजना से वर्ष 2004–05 में 6175 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए जल उपलब्ध कराया गया है ।

- मार्च 2005 तक सभी परियोजनाओं से 2.98 लाख हे. क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित की गई । इसमें से विगत वर्ष 2004–05 में 87 योजनाओं को पूर्ण किया गया । तथा 75.068 हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया ।
- वर्ष 2004–05 में निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाओं से कुल 16.26 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र का सृजन हुआ है जो निराबोये गये क्षेत्र का 33.68 प्रतिशत एवं कुल बोये गये क्षेत्र का 28.10 प्रतिशत है ।

शुद्ध सिंचित क्षेत्र का स्त्रोत अनुसार वर्गीकरण
(संदर्भ तालिका क्रमांक–3.4)

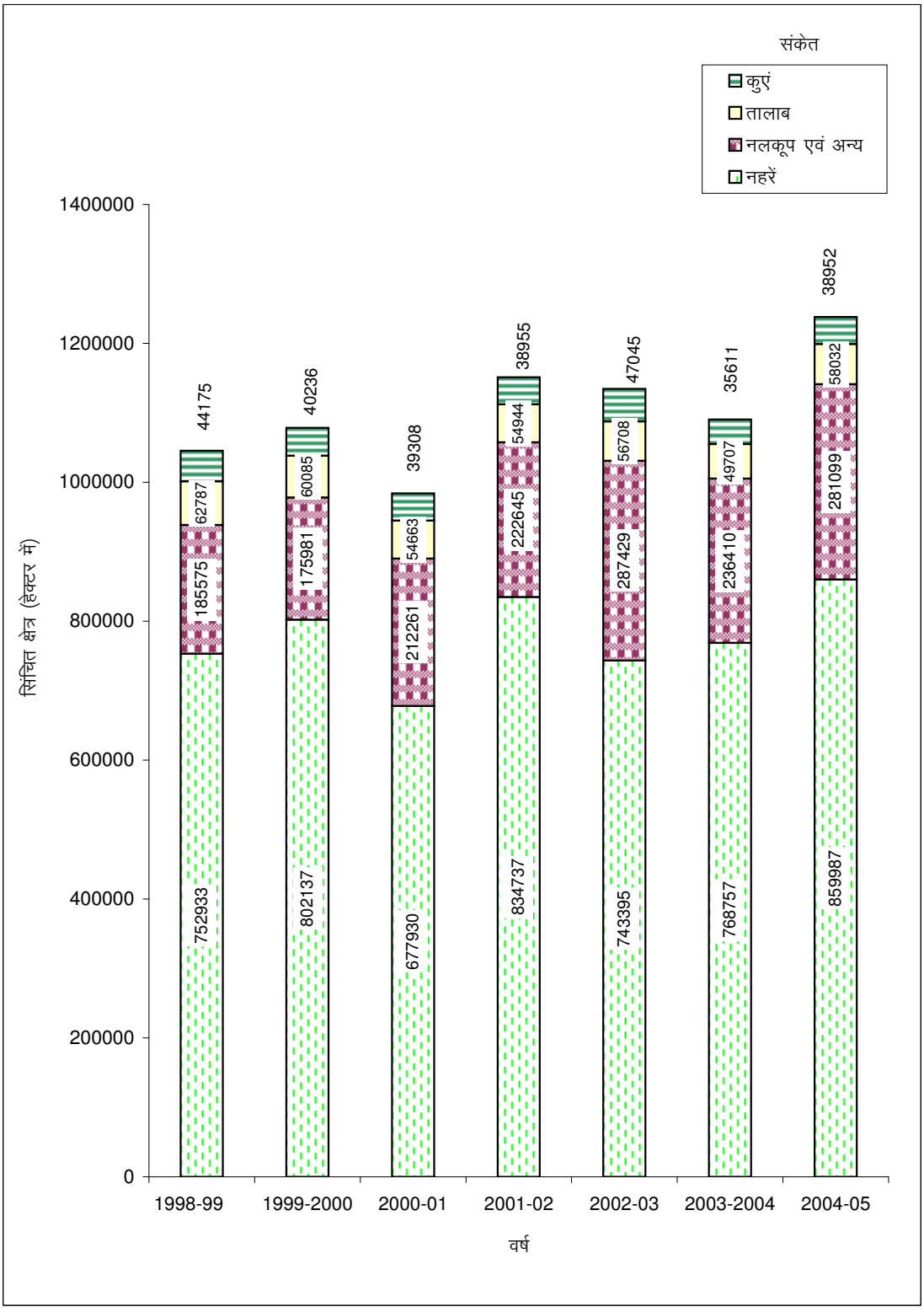

नवीन प्रशासकीय स्वीकृत योजनाएं वर्ष 2004–05 :–

क्र	योजनाओ के प्रकार	संख्या		योग	निर्मित क्षेत्र हे.मे	वर्ष 2004–05 में सिंचित क्षेत्र (हे.मे)
		निर्मित	निर्माणाधीन			
1	2	3	4	5	6	7
1	वृहद	04	05	9	857525	569504
2	मध्यम	32	09	41	225933	181525
3	लघु	2152	376	2528	542304	271321

एनीकट निर्माण कार्य योजना :– जल की बढती कमी को ध्यान में रखते हुए नदियों पर एनीकट/स्टाप डेम का निर्माण प्रस्तावित है । वर्तमान में रू. 27.27 करोड़ की लागत से 37 एनीकट निर्मित तथा 24 एनीकट निर्माणाधीन है । प्रदेश के विभिन्न नदियों में 595 एनीकट बनाने पर अनुमानित लागत रू. 1657 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है ।

क्र.	कछार	एनीकट संख्या	जलग्रहण क्यूमिक मिलियन घन मीटर	लागत करोड़ रू. में
1	हसदेव कछार	295	287.30	1091.04
2	महानदी गोदावरी कछार	157	89.79	286.88
3	महानदी परियोजना	143	46.207	279.34
	योग	595	423.297	1657.26

खरीफ सिचाईं वर्ष 2005 के लक्ष्य एवं उपलब्धियांः–

प्रदेश के जलाशयों में उपल्बध जल की मात्रा के आधार पर 11.65 लाख हे. क्षेत्र में खरीफ फसलों के लिए सिचाई लक्ष्य निर्धारित किए गए है ।

आयाकट विकास कार्यक्रम :–

1– फील्ड चैनल का निर्माणः– वर्ष 2004–05 में 2649 हे. क्षेत्र मे फील्ड चैनल का निर्माण एवं 673 स्ट्रक्चर्स की स्थापना की गई । इन पर 149.62 लाख रूपये खर्च किए गए है । वर्ष 2005–06 में 3500 हे. लक्ष्य के विरूद्व 1442 हे. क्षेत्र में 544 स्ट्रक्चर का कार्यपूर्ण कर लिया गया है ।

2– कृषकों का भ्रमण प्रशिक्षण :– वर्ष 2004–05 में विकासशील 508 कृषकों को भ्रमण प्रशिक्षण पर ले जाया गया जिस पर 4.00 लाख रूपये व्यय किए गए । वर्ष 2005–06 में 500 कृषकों को अन्य क्षेत्रों में भ्रमण पर भेजने का प्रावधान है ।

3– सहभागिता सिंचाई प्रबंधन :– सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी हेतु समीतियों को 600 रू. मरम्मत हेतु प्रति हे. की दर से शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है । जिसमें 540 रूपये शासकीय एवं शेष 60 रू. कृषकों द्वारा वहन किया जा रहा है ।

मिनीमाता (हसदेव) बागों परियोजना :– इस परियोजना के अंतर्गत बांध के नीचे विद्युत गृहों से 3x40 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। परियोजना की अद्यतन लागत रू. 1312.32 करोड है अगस्त 2005 तक रूपये 1199.93 करोड़ व्यय हो चुके है ।

अध्याय–9

विद्युत उर्जा

राज्य शासन ने विद्युत प्रदाय अधिनियम–1948 में प्रदत्त संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन किया तथा विद्युत मण्डल ने दिनांक 01 दिसम्बर 2000 से विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया ।

(1) विद्युत उत्पादन :– विद्युत मण्डल के गठन के समय राज्य में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 1360.2 मेगावाट थी, जो कि वर्ष 2003–04 में बढ़कर 1410.85 मेगावाट हो गई है, इस प्रकार चार वर्षो में 50.85 मेगावाट स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है । छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के विद्युत गृहों में दिसम्बर 2000 की स्थिति में लगभग 768 मेगावाट से 988 मेगावाट का उत्पादन होता था जो वर्तमान में 992 मेगावाट से 1288 मेगावाट तक हो रहा है । ताप विद्युत संयत्रों की उपयोगिता घटक को 64 प्रतिशत से बढ़ाकर 71 प्रतिशत तक लाया गया है । कोयले तथा तेल खपत में उल्लेखनीय कमी लायी गयी है । यह नवगठित राज्य में विद्युत मंडल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है ।

(2) राज्य में बिजली की उपलब्धता : मंडल के गठन के समय राज्य में कुल 1050 मेगावाट से 1350 मेगावाट विद्युत उपलब्धता थी । जिसमें 280 मेगावाट से 350 मेगावाट विद्युत केन्द्रीय क्षेत्र से प्राप्त होती थी । फलस्वरूप राज्य सरप्लस में था, राज्य में औद्योगिक विकास का सिलसिला तीव्रता से शुरू होने पर राज्य में विद्युत की मांग बढ़कर 1600 मेगावाट से 2000 मेगावाट हो गई है । परिणामस्वरूप उपलब्धता में कमी परिलक्षित हुई है । वही भारत सरकार द्वारा पूर्व में राज्य को आबंटित 498 मेगावाट विद्युत को कम कर 210 मेगावाट कर देने से दिसमबर 2004 के बाद से राज्य में विद्युत संकट की स्थिति बनी हुई है । मंडल द्वारा इस दिशा में केप्टिव पावर संयत्रों से क्रमशः 40 मेगावाट, पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन से 150 मेगावाट से 250 मेगावाट तथा तारापुर एटामिक संयत्रों से लगभग 40 मेगावाट विद्युत क्रय कर रहा है ।

(3) **बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु किए गए कार्य** : वित्त वर्ष 2003–04 में कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्र.–2 की 4.40 मेगावाट की चारो इकाईयों का नवीनीकरण पूर्ण कर 4.50 मेगावाट क्षमता की कर दिये गये हैं। कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्र. –3 की 2.120 की दो इकाई में से एक का नवीनीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया । इस जीर्णोद्धार से तापगृहों की

आयु भी लगभग 20 वर्ष बढ़ गई । नवीनीकरण के पश्चात संयत्रों का पी.यू.एफ. 104.5 प्रतिशत तक मिल रहा है । गंगरेल जल विद्युत परियोजना की 4x250 की चारों इकाईयों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं उत्पादन प्रारंभ हो गया है । कोरबा पश्चिम की लघु जल विद्युत परियोजना की एक इकाई का कार्य भी पूर्ण होने के पश्चात विद्युत उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है ।

(4) बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु कार्यादेश :

राज्य में बिजली की मांग एवं आपूर्ति में कमी को दूर करने के लिए नये विद्युत उत्पादन संयत्र स्थापना हेतु वर्तमान में कुल 524 मेगावाट क्षमता के विभिन्न उत्पादन संयत्र स्थापना के कार्यादेश दिये जा चुके हैं तथा इनके कार्य की विभिन्न चरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.	परियोजना	स्थापित क्षमता मेगावाट	क्रियाशील होने का संभावित वर्ष
1	<u>निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं</u> 1. 2x250 मेगावाट कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना– चरण पांच 2. 1x6मेगावाट सह–उत्पादन भौरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा	500 6	जुलाई –2007 दिसम्बर 2005
2	<u>निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना</u> 4x3.5 मेगावाट सिकासेर जल विद्युत परियोजना	14	दिसम्बर 2006

(5) प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएँ : बिजली उत्पादन क्षमता में सतत् वृद्धि किए जाने हेतु उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त प्रस्तावित विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ निम्नानुसार है :–

क्र	प्रस्तावित विद्युत परियोजना	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	क्रियाशील होने का संभावित वर्ष
1	**ताप विद्युत परियोजनाएं**		
	1. 2x250-300 मेगावाट कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजना –विस्तार चरण–तीन	500–600	2008–09

क्र	प्रस्तावित विद्युत परियोजना	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	क्रियाशील होने का संभावित वर्ष
	2. 2x660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना	1320	2010
	3. 2x500 मेगावाट मड़वा ताप विद्युत परियोजना	1000	2010
	4. 2x500 मेगावाट मेसर्स इफको के साथ संयुक्त उपक्रम	1000	2009–10
	5. 2x250 मेगावाट रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड	500	2007
	6. 1x250 मेगावाट मेसर्स लेन्को अमरकन्टक पावर प्रा. लिमि.	250	2008
	7. 2x250 मेगावाट मेसर्स घीरू पावरजेन	500	2008–09
2	**जल विद्युत परियोजनाएँ**		
	1. 3X20 मेगावाट मटनार जल विद्युत परियोजना	60	–
	2. 4X125 मेगावाट बोधघाट जल विद्युत परियोजना	500	
	3. 1X1 मेगावाट कोरबा पश्चिम जल विद्युत परियोजना	1	2006

(6) विद्युत प्रणाली उन्नयन हेतु किए गए विकास कार्य : मण्डल गठन के समय उत्पादित विद्युत को राज्य में पारेषण एवं वितरण हेतु उपलब्ध विद्युत प्रणाली दोषपूर्ण एवं अपर्याप्त थी, जिसके कारण राज्य में लो वोल्टेज तथा विद्युत कटौती की समस्या व्याप्त थी । विद्युत मण्डल गठन के पश्चात विद्युत प्रणाली के उन्नयन के कार्यो को प्राथमिकता से लिया गया । उक्त कार्यो में मण्डल द्वारा 283.32 करोड़ खर्च किए गए हैं । वर्तमान में उच्च दाब पारेषण प्रणाली उन्नयन कार्य के तहत 513 सर्किट किलोमीटर अतिदाब लाईने, 16 नग नये विद्युत उपकेन्द्र तीन अति उच्च दाब ट्रान्सफार्मर की स्थापना एवं 4 पावर ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि (4167.5 एमव्हीए) का कार्य प्रगति पर है जिसे वर्ष 2005–06 में पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

(7) उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली उन्नयन के कार्य : मण्डल ने राज्य गठन के समय व्याप्त लो वोल्टेज की समस्या तथा कम क्षमता वाली विद्युत की उप पारेषण प्रणाली में समग्र उन्नयन के लिए विगत 52 माह में युद्ध स्तर पर कार्य किए जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है ।

क्र	विवरण	इकाई	मंडल गठन 1. 12.2000 की स्थिति में	वर्ष 2004–05 की स्थिति में	विगत 52 महीनों में वृद्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	नये 33 के.व्ही. लाइन निर्माण कार्य	कि.मी	6936	9813	2877	41.48
2	नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य	संख्या	239	426	187	78.24
3	नये 33/11 के.व्ही. उच्चदाब ट्रान्सफार्मरों की स्थापना का कार्य	एम.व्ही.ए.	1112.3	2091	978.7	87.95
4	नये 11 के.व्ही. लाइन का निर्माण	कि.मी.	40211	46350	6139	15.27
5	नये 11/0.4 के.व्ही. वितरण ट्रान्सफार्मरों की स्थापना	संख्या एम.व्ही.ए.	29971 1969	38936 2878	10170 90	33.93 46.17
6	एल.टी. (निम्नदाब) विद्युत लाईनों का निर्माण कार्य	कि.मी.	49842	64760	14918	29.93

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली उन्नयन के कार्यो में अब तक मंडल में कुल 584.59 करोड़ रू. खर्च किए हैं । जिसका बहुत अच्छा परिणाम उपभोक्ताओं को मिल रहा है । आगामी वर्षो में भार तथा मांग की निरंतर वृद्धि को देखते हुए मंडल ने उन्नयन कार्यो को

चिन्हित कर कार्य योजना तैयार कर लिया है । वर्ष 2005–06 में 580 करोड़ रू. की कार्य योजना है ।

(8) कृषि पम्प उर्जीकरण : राज्य गठन के बाद माह जून 2004 तक लगभग 25052 पम्पों के लिए विद्युत लाईनों के विस्तार का कार्य पूर्ण कर 31589 कृषि पम्पों को उर्जीकृत किया गया है, जिसमें खेत गंगा योजनान्तर्गत दिये गये 1088 स्थाई पम्प कनेक्शन सम्मिलित हैं । खेत गंगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 हेतु औपचारिकता पूर्ण मे से लंबित लगभग 1700 पम्प कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य है ।

(9) विकास प्राधिकरण अंतर्गत पम्प कनेक्शन : बस्तर विकास प्राधिकरण एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 30 हजार रूपये प्रति पम्प से अधिक लागत वाले सभी कृषि पम्पों को कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्राधिकरण द्वारा विद्युत मण्डल को क्रमशः एक करोड़ एवं 60 लाख रू. का आबंटन प्रदाय करने का निर्णय लिया है ।

(10) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल 19744 आबाद ग्राम है । जिसमें से मार्च 2005 तक 18602 ग्राम विद्युतीकृत किए गए हैं जो कि ग्राम विद्युतीकरण का 93.79% है । शेष बचे 1226 गांव को मार्च 2007 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य 1093 ग्राम वन ग्राम है एवं गहन जंगल में स्थित होने के कारण परम्परागत विधि से विद्युत लाईन का विस्तार कर विद्युतीकृत करना संभव नहीं है । इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) एवं राज्य विद्युत मंडल द्वारा गैर परम्परागत स्त्रोतों से विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है । वन वाधा रहित 133 ग्रामों में से वर्ष 2005–06 में 73 ग्रामों को एवं वर्ष 2006–07 में 60 गांवों को परम्परागत विधि से विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है ।

(आदिवासी, हरिजन/दलित बस्ती, मजरा–टोला,एवं ग्रामीण रहवासी आदि संबंधी प्रगति)

बाक्स न–9.1

विवरण	वर्ष 2001 के अनुसार संख्या	मार्च 2005 की स्थिति में संचयी प्रगति
• कुल आबाद ग्राम (आदिवासी ग्राम सहित)	20308	18602
• कुल आदिवासी ग्राम	11533	10561
• हरिजन/दलित बस्ती	–	3443
• मजरा/टोला	35096	15264
• ग्रामीण रहवासी घर	2743480	1183072
• कुल उर्जीकृत कृषि सिंचाई पंप	–	124834
• कुल एकल बत्ती/कुटीर ज्योति कनेक्शन	–	793381

(11) मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना : वर्ष 2001 की जनगणना में कुल 35096 रहवासी मजरा–टोला का उल्लेख है । 31 मार्च 2005 तक कुल 15264 मजरे–टोलों को विद्युतीकृत किया जा चुका है । केन्द्र शासन की नीति के अनुसार 11 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2009 तक समस्त घर/रहवासी सभी घरों को विद्युत उपलब्ध कराना है । इस कार्य योजना का वर्ष 2005–06 में 2700 मजरा–टोलों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है ।

(12) सिंचाई पंपों हेतु विशेष कार्य योजनाएँ :– छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है । अतः कृषि सिंचाई पंप विद्युतीकरण हेतु विभिन्न कार्य योजना के तहत कार्य किए जा रहे है । वर्ष 2001 की स्थिति में राज्य में कुल 73877 सिंचाई पंप कनेक्शन थे । जो बढ़कर मार्च 2005 को 124834 हो गये हैं । अर्थात इन 52 माह की अवधि में 50957 नये सिचाई पंपों के कार्य किए गए ।

मंडल द्वारा कृषि उपभोक्ताओं हेतु लागू की गई योजनायें तथा सुविधायें इस प्रकार है :–

(1) किसान समृद्धि योजना (इंदिरा खेत गंगा योजना) : वर्ष 2002 से राज्य शासन द्वारा इंदिरा खेत गंगा योजना के नाम से एक योजना चालू की गयी है । वर्तमान में यह

योजना किसान समृद्धि के नाम से जानी जाती है । इसके अन्तर्गत अवर्षा तथा अल्प वर्षा वाले जिलों में नलकूप खनन एवं पंपउर्जीकरण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । जून 2004 के पूर्व में स्वीकृत प्रत्येक विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईनों के विस्तार पर 80000 रू. अधिकतम व्यय करने का प्रावधान था जिसमें विद्युत मंडल 30000 रू. तथा शेष 50000 रू. तक राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता था । वर्तमान में शासन ने इस योजना को लघु एवं सीमांत कृषकों तक सीमित कर पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है । इस योजना में प्रति नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए लाईनों/ट्रान्सफार्मरों के विस्तार पर आने वाली अधिकतम व्यय राशि 50000 रू. निर्धारित की गई है । जिसमें 40000 रू. विद्युत मंडल द्वारा एवं शेष 10000 रू. राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2004–05 में इस योजना के तहत 1168 नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्युतलाईनों के विस्तार कार्य पूर्ण किए गए है इस प्रकार कुल 2535 नलकूपों/पंपों के लाईन विस्तार का कार्य किए गए है ।

(2) इंदिरा ग्राम गंगा योजना : ग्रीष्म ऋतु में प्रायः अधिकांश ग्रामों के तालाबों में पानी सूख जाने से ग्रामों में आम निस्तारी के लिए होने वाली कठिनाई को देखते हुए वर्ष 2001 में राज्य शासन ने इंदिरा ग्राम गंगा योजना लागू की है । इस योजनान्तर्गत ग्राम में ही तालाब के समीप नलकूप का खनन कर विद्युत पंप के माध्यम से तालाबों में पानी भर कर निस्तारी सुविधा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है । इन कनेक्शनों के विद्युत बिल को कृषि दर पर बिलिंग की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत नलकूपों तक विद्युत लाईन का विस्तार कर कनेक्शन दिया जाता है । इसमें सम्पूर्ण लागत का प्राक्कलन स्वीकृति उपरान्त सरपंच द्वारा राशि जमा कर अनुबंध करने के पश्चात प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन किए जाते है । इस योजना के अन्तर्गत मार्च 2005 तक 651 पंपों के लिए लाईन विस्तार पूर्ण कर विद्युत कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं ।

(3) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सिंचाई पंपों हेतु विशेष सुविधाएँ : राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बस्तर विकास प्राधिकरण एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के माध्यम से अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाकर बस्तर क्षेत्र में 257 एवं सरगुजा क्षेत्र में 179 सिंचाई पंपों हेतु कनेक्शन दिये गये है । इस हेतु 160.00 लाख रू. की राशि वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की गई हैं ।

(13) त्वरित नये विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने की योजना : केन्द्र शासन की नीति को अमल में लाते हुए मंडल ने प्रत्येक घरों में विद्युत उपलब्ध कराने की येाजना को 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है । इस विशेष अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005 तक 209172 सिंगल फेस कनेक्शन तथा 25729 थ्री फेस कनेक्शन तथा 50957 सिंचाई पंपों को कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं । साथ ही एकलबत्ती कनेक्शन के अन्तर्गत इसी अवधि में 175780 कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं ।

(14) विद्युत चोरी/गड़बड़ी की रोकथाम हेतु उपाय :– दिसम्बर 2000 से मार्च 2005 तक की अवधि में कुल 740313 विद्युत कनेक्शनों की चेकिंग की गई है जिसमें से 300061 में अनियमिताएँ पाई गई । इनके विरूद्ध 5218.18 लाख रू. की राशि का अतिरिक्त विद्युत देयक जारी किए गए एवं 4007.63 लाख रू. की राशि वसूल की गई है ।

बाक्स न–9.2

पर्यावरण संबंधी योजनाएँ

- समस्त कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन गृहों के संयत्रों का आधुनिकीकरण कर प्रदूषण रहित संयत्रों की स्थापना की जा रही हैं ।
- ताप संयत्रों की एश पांड (राखड बांध) आदि के आधुनिकीकरण का कार्य, राखड़ से ईंट बनाना व अन्य उपयोग कर प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं ।
- ताप विद्युत गृहों की खाली/पड़त भूमि पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं । अब तक 295000 पौधों का रोपण किया जा चुका है एवं 75000 पौधों के रोपण का कार्य प्रगति पर है । इसमें लगभग 111000 रतनजोत की प्रजाति रोपित की जा रही है ।

अध्याय–10

उद्योग

भिलाई इस्पात संयत्र : वर्ष 2004–05 की अवधि में संयत्र ने 4.511 मिलियन टन हाट मेटल, 4.582 मिलियन टन क्रूड स्टील व 3.935 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया जो कि अब तक का सर्वोच्च उत्पादन है । यह उत्पादन के आंकड़े इन उत्पादों की मापित क्षमता से क्रमशः 36, 17 व 25 प्रतिशत अधिक है । इस वर्ष 825 हजार टन का डोलोमाईट उत्पादन, 593 हजार टन मर्चेन्ट उत्पाद, 996 हजार टन कनकास्ट ब्लूम का उत्पादन, 2.335 मिलियन टन का एस.एम.एस–2 से क्रूड इस्पात का उत्पादन, 739 हजार टन यूटीएस–90 रेलपांतो का रेल्वे को निर्गमन, 1.33 लाख टन इलेक्ट्रोड क्वालिटी के वायर राड्स का उत्पादन, 1.13 मिलियन टन प्लेट, 1.87 लाख टन टी.एम.टी. बार 1.1, लाख टी.एम.टी. वायर राड्स आदि का उत्पादन किया । वर्ष 2004–05 में रू. 4042.00 करोड़ का लाभ अर्जित किया ।

वर्ष 2005–06 की योजना :

वर्ष 2005–06 के लिए 5.3 मिलियन टन हाटमेटल, 4.90 मिलियन टन क्रूड इस्पात व 4.2 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का लक्ष्य रखा गया है ।

अप्रैल से जुलाई 2005 की अवधि तक संयत्र ने 1.713 मिलियन टन हाटमेटल, 1. 636 मिलियन टन क्रूड स्टील व 1.383 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया है । परिसज्जित (फिनिशड) रेल एवं प्लेट का उत्पादन क्रमशः 2.84 लाख तथा 3.76 लाख टन किया गया । जो कि पिछले वर्ष कि इसी अवधि की अपेक्षा क्रमशः 6.3 व 1.3 प्रतिशत अधिक है ।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी, लिमिटेड, कोरबा : बालको संयंत्र की अधिष्ठापित वार्षिक उत्पादन क्षमता 1 लाख टन एल्युमूनियम धातु की है ।

नये स्मेल्टर संयत्र में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालको ने 135 मेगावाट की चार इकाईयों वाले 540 मेगावाट क्षमता के लिए बिजली संयत्र का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है । विस्तार परियोजना के अंतर्गत बनने वाले दोनो ही संयत्र 2005 के दौरान ही तैयार हो जायेगें और बालको का वार्षिक उत्पादन एक लाख टन से बढ़कर 3.45 लाख टन हो जायेगा ।

अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बालको ने महत्वाकांक्षी विस्तार परियोजना आरंभ की है । इस परियोजना के अन्तर्गत 2.45 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का नया स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है । इस संयंत्र मे बनाए जाने वाले कुल 288 पाटों में से दिसम्बर 2005 के अन्त तक सभी पॉट बन कर तैयार हो चुके हैं । परीक्षण के तौर चरणवद्ध पाटों को चालू किया गया हैं ।

बालको ने वर्तमान संयत्र में उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं । बाजार की मांग को ध्यान में रखकर एल्यूमीनियम फायल का निर्माण करने की भी इकाई स्थापित की गई है । बालको के एल्यूमीनियम संयत्र की स्थापित क्षमता वार्षिक उत्पादन क्षमता 200000 टन है लेकिन स्थापना काल से पूरी क्षमता हासिल नही की जा सकी थी । संयंत्र के आधुनीकीकरण के जरिए बालको ने वर्ष 2004–05 के दौरान 224110 टन एल्यूमिना हाइड्रेट का रिकार्ड उत्पादन किया ।

वर्ष 2005–06 की अवधि में कास्ट हाऊस का एक महीने का (दिसम्बर 2005) सर्वाधिक उत्पादन 9305 टन का रहा है जो स्थापना काल से अब तक का एक महीने का सर्वाधिक उत्पादन रहा है । वर्ष 2004–05 की अवधि में गरम धातु का उत्पादन 99031 टन था, आशा है वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पिछले वर्ष के उत्पादन स्तर को पार कर जायेगा ।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य

(उत्पादन मेट्रिक टन में) (मूल्य लाख रूपयों में)

वर्ष	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य							
	इन्गाट्स		प्रापजी राडस		रोल्ड उत्पादन		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2002–03	20490	12922	47490	29947	27510	18272	95490	61141
2003–04	13149	11834	48243	44865	35696	35696	97088	92395
2004–05	6342	5707	34551	32132	31803	31803	72696	69642
2005–06 (अगस्त05)	644	651	24321	26292	17766	21624	42731	48567
मूल्यः इन्गाट्स रू. 101161 प्रति टन, प्रापजी राड्स रू. 108106 प्रति टन, रोल्ड प्रोडक्टस रू. 121720 प्रति टन								

वाणिज्य एवं उद्योग विभागः

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती म.प्र. शासन द्वारा स्थापित म.प्र. औद्योगिक विकास निगम रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट इन्ड्रस्टियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में गठित किया गया है । इस निगम के रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है ।

राज्य में औद्योगिक प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है :–

1. औद्योगिक नीति :–

राज्य की नवीन औद्योगिक नीति (2004–09) का प्रमुख उद्देश्य राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग राज्य में ही वैल्यू एडीशन के लिये करना और प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना है ।

2. राज्य में औद्योगिक पूंजी निवेश :–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना :–

राज्य गठन के पश्चात् अक्टूबर 2005 तक 77 वृहद/मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई है इसमें रू. 1039.66 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश एवं 11312 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है । स्थापित वृहद एवं मध्यम उद्योगों में स्टील के 5, स्पॉज आयरन के 43, फेरो एलायज 2 एवं 27 अन्य उद्योग है ।

(ब) लघु उद्योगों की स्थापना :–

वर्ष 2004–2005 में 1400 लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये गये जिनमें रू. 4673. 19 लाख का पूंजी निवेश किया गया तथा 6055 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इनमें से 196 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 86 लाख के पूंजी निवेश से स्थापित किये गये तथा इनमें 413 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इसी तरह से 161 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 51 लाख के पूंजी निवेश से स्थापित किये गये तथा इनमें 380 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ ।

वर्ष 2005–2006 में माह अक्टूबर 2005 तक 273 लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये गये । जिनमें रू. 4901.40 लाख का पूंजी निवेश किया गया तथा 2887 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इनमें से 09 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 73.73 लाख के पूंजी निवेश से स्थापित किये गये तथा इनमें 61 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इसी तरह से 09 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा 15.94 लाख के पूंजी निवेश से स्थापित किये गये तथा इनमें 34 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ ।

(स) एम.ओ.यू. का निष्पादन :–

राज्य गठन के पश्चात शासन के साथ 51 एम.ओ.यू. का निष्पादन किया गया जिसमें 17 उत्पादनरत 10 निर्माणाधीन एवं शेष प्रारंभिक प्रक्रिया में है ।

वित्तीय वर्ष में अक्टूबर 2005 तक 161 एम.ओ.यू. निष्पादित किए गए जिसमें 15188. 54 करोड़ का पूंजीनिवेश किया गया । जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 38443 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा ।

(द) सहायक उद्योगों की स्थापना : राज्य गठन तक भिलाई इस्पात संयत्र, साऊथ ईस्टन कोल्ड फील्ड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, भारत एल्यूमीनियम कम्पनी व राष्ट्रीय खनिज निगम के 272 सहायक उद्योग स्थापित थे । राज्य गठन के पश्चात भिलाई इस्पात संयत्र के 25 व साऊथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड के 21 उत्पादों के लिए सहायक उद्योगो की स्थापना हेतु कार्य प्रगति पर है ।

(इ) सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में नये वृहत उद्योग :–

पिछड़े जिले बस्तर में नेशनल मिनरल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन द्वारा रोमेल्ट प्रक्रिया से स्टील कारखाने की स्थापना की जा रही है । इसके प्रथम चरण में रू. 300 करोड़ की लागत से स्थापना का कार्य प्रस्तावित है । सहकारी क्षेत्र में 47 करोड़ के स्थायी पूंजी निवेश से शक्कर कारखाने की स्थापना कबीरधाम में हो चुकी है ।

5. औद्योगिक अधोसंरचना का विकास :–

बाक्स न–10.1

नवीन औद्योगिक क्षेत्र

	भौतिक प्रगति	वित्तीय स्थिति
धमतरी	चयनित भूमि–81.62 एकड़ आधिपत्य प्राप्त (शासकीय भूमि) 22.07 एकड़	रू. 1 करोड़ सी.एस.आई.डी.सी. को आवंटित ।
महासमुन्द	चयनित भूमि–238.25 एकड़ आधिपत्य प्राप्त 238.25 एकड़	रू. 1 करोड़ सी.एस.आई.डी.सी. को आवंटित । विकास कार्यो हेतु निविदायें आमंत्रित ।
रायपुर	चयनित भूमि–4034.93 एकड़	भू–अर्जन/शासकीय भूमि का हस्तांतर प्रक्रियाधीन ।
सरगुजा	चयनित भूमि–128 एकड़	रू. 1 करोड़ सी.एस.आई.डी.सी. को आवंटित विकास कार्य प्रगति पर ।
कबीरधाम	आधिपत्य प्राप्त–51.74 एकड़	रू. 1 करोड़ सी.एस.आई.डी.सी. को आवंटित एवं विकास कार्यो हेतु निविदायें आमंत्रित ।
रायगढ़	सिटकॉन द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।	भूमि के अर्जन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।

2. विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना :–

अ. फूड पार्क	बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र में कुल 50 करोड़ रू. के निजी पूंजी निवेश से फूड पार्क की स्थापना प्रस्तावित है ।
ब. आई.टी. पार्क	सूचना प्राद्योगिकी के क्षेत्र में साफ्टवेयर पार्क की स्थापना भिलाई जिला दुर्ग में की जा चुकी है ।
स. सायकल काम्पलेक्स	रायपुर जिले के औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा में सायकल काम्पलेक्स की स्थापना की जा रही है । इस हेतु सायकल के कलपुजों के निर्माण हेतु 5 उद्योगों की स्थापना हो चुकी है । तथा 2 उद्योग निर्माणाधीन है ।

द. एल्युमीनियम पार्क — बिलासपुर में एल्युमीनियम पार्क की स्थापना की जा रही है जिसमें एल्युमीनियम से संबंधित उद्योगों की स्थापना की जायेगी । स्थल चयनित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

इ. अपेरल पार्क — अपरेल पार्क की स्थापना हेतु कन्सल्टेन्ट द्वारा प्राथमिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है । स्थल चयन की कार्यवाही जारी है ।

फ. केमिकल जोन — केमिकल जोन की स्थापना हेतु कन्सल्टेन्ट द्वारा प्राथमिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है । स्थल चयन की कार्यवाही जारी है ।

विकास केन्द्रों की प्रगति : राज्य के औद्यागिक विकास केन्द्रो में प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	विकास केन्द्र का नाम	विकास केन्द्र का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपलब्ध भूमि (हेक्टर में)	स्थापित उद्योग		
				संख्या	अनुमानित पूंजी निवेश (करोड़ो में)	रोजगार
1	सिलतरा	1676.00	1260.00	25	700	1750
2	बोरई	800.00	436.84	36	115	1200
3	उरला	302.17	232.41	320	500	12000
4	सिरगिट्टी	449.39	371.56	190	100	5000

विकास केन्द्रो में बैकिग सुविधा, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र, पुलिस थाना, जलप्रदाय सुविधा, शॉपिग कॉम्पलेक्स, केन्टीन औद्योगिक शेड विकसित, ग्रीन वेल्ट, फायर ब्रिगेड हेतु भूमि का चिन्हाकन, स्ट्रीट लाईट, पक्की सड़के आदि आधारभूत अधोसंरचना विकसित की जायेगी । इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डव्हलमेंट कार्पोशन को नोडल एजेंसी राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया गया है ।

6. प्रधानमंत्री रोजगार योजना :–

वित्तीय वर्ष 2004–2005 में इस योजना के तहत् 6000 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ । वर्ष अन्त तक 5712 प्रकरणों में रू. 4225.39 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ तथा 3919 प्रकरणों में रू. 2389.45 लाख का ऋण वितरण की कार्यवाही बैंको द्वारा की गई । वर्ष

2005–06 में 6800 लक्ष्य के विरूद्ध माह अक्टूबर 2005 तक 1723 प्रकरणों राशि रू. 1381. 24 लाख का बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत हुआ तथा 201 प्रकरणों में रू. 126.45 लाख की राशि वितरण की कार्यवाही बैंको द्वारा की गई ।

ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम घटक द्वारा संचालित रोजगार मूलक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है ।

रेशम घटक द्वारा संचालित रोजगार मूलक योजनायें :–

1. पालित डाबा टसर, ककून उत्पादन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा, अर्जुना के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते है । इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नही होती है । ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधें उपलब्ध है वे भी इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते है । ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना को कृषि के साथ–साथ सहायक रोजगार के रूप में हितग्राहियों द्वारा अपनाया जा रहा है ।

उक्त योजना प्रदेश के 14 जिलों में संचालित 103 टसर केन्द्रों एवं चिन्हांकित वन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है । वर्ष 2004–05 में 308.00 लाख नग पालित टसर ककून उत्पादन एवं 11025 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित था । मार्च 2005 अंत तक 310.961 लाख नग टसर कोसा उत्पादित किया जा चुका है एवं योजनान्तर्गत 16314 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं ।

2. नैसर्गिक कोसा विकास योजना :–

प्रदेश के दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, जांजगीर–चांपा, कोरबा, एवं सरगुजा जिले में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध साल, सेन्हा, धौर, बेर के बृक्षों पर नैसर्गिक रूप से टसर कोसा की प्रजाति पाई जाती है । जिसे रैली, लरिया एवं बरफ नैसर्गिक कोसा के नाम से जाना जाता है ।

1. वर्ष 2004–05 में रेशम प्रभाग के अधीनस्थ जिले दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर एवं जशपुर में 18 नैसर्गिक बीज प्रगुणन कैम्प लगाये गये ।

2. प्रदेश के विभिन्न जिलों में 860 रीलिंग एवं 101 स्पीनिंग मशीन है । महिला समूह को धागाकरण से प्रतिदिन 50 रू. की आमदनी हो रही है ।

राज्य में नैसर्गिक कोसा फल का उत्पादन मार्च 2005 अंत तक 758.164 लाख नग हो चुका है । इस योजना के अन्तर्गत 57218 संग्राहक हितग्राही लाभान्वित हुए है ।

जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को–आपरेशन (जे.बी.आई.सी.) जापान द्वारा वित्त पोषित छत्तीसगढ़ रेशम परियोजना :–

छत्तीसगढ़ राज्य में जापानीज बैंक फार इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन द्वारा वित्त पोषित 07 वर्षीय छत्तीसगढ़ रेशम परियोजना बिलासपुर संभाग में संचालित की जा रही है । परियोजना की कुल लागत रू. 117.16 करोड़ है जिसमें ऋण राशि रू. 64.87 करोड़ (53.37 प्रतिशत) एवं शेष राशि राज्यांश रू. 52.29 करोड़ (44.63 प्रतिशत) है । परियोजना अंतर्गत रू. 31.53 करोड़ प्रतिपूर्ति ऋण एवं 40.59 करोड़ राज्यांश है, इस पर मार्च 2004 अंत तक कुल रू. 72.12 करोड़ व्यय हो चुका है । जे.बी.आई.सी. जापान द्वारा रू. 24.18 करोड़ का प्रतिपूर्ति ऋण दिया जा चुका है । परियोजनान्तर्गत 4000 हेक्टर टसर खाद्य पौध रोपण के लक्ष्य के अनुरूप 4000 हेक्टर क्षेत्र में पौधा रोपण कार्य पूर्ण हो चुका है । इस योजना से 155 स्व–सहायता समूह के 4821 महिला हितग्राहियों 295 बचत साख समूह के 2051 हितग्राही एवं 35 महिला स्व–सहायता धागाकरण समूहों के 522 हितग्राही, 295 बचत साख समूह के 2051 हितग्राही लाभान्वित हुए है । इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत 7394 हितग्राही लाभान्वित हुये है ।

इस परियोजना के अन्तर्गत किये गये पौधा रोपण पर वर्ष 2004–2005 में मार्च 2005 अंत तक 92.277 लाख नग टसर कोसा उत्पादित किया गया है । जो के कुल पालित डाबा ककून उत्पादन में शामिल है । परियोजना की समाप्ति पर कुल 9 करोड़ कोसा फल का उत्पादन प्रति वर्ष होगा एवं कुल 9900 हितग्राही टसर उत्पादन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एवं प्रस्तावित विभिन्न निर्माण कार्यों से 6000 हितग्राही मजदूरी द्वारा लाभान्वित होंगे ।

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाएं : केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित विभिन्न राज्यों के सहयोग से 9 वीं पंचवर्षीय योजना में उत्प्रेरण

विकास कार्यक्रम की सफलता के मद्दे नजर राज्य सरकारों की मांग के अनुसार 10 वीं पंचवर्षीय योजना में भी इस कार्यक्रम को निरंतर रखा गया है । योजना के मुख्य उद्देश्य टसर एवं मलवरी कोसा तथा धागे की गुणवत्ता में सुधार उन्नत तकनीकी की ग्राहता उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि पूंजी निवेश को बढ़ावा देना एवं स्व–रोजगार से संबद्धता स्थापित करना है ।

दसवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से प्रवर्तित उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम प्रदेश हेतु स्वीकृत है । वर्ष 2004–2005 में टसर, मलबरी विकास, ईरी विकास, प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड से कुल राशि रू. 157.09 लाख की योजना स्वीकृत की गई है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2005–06 में उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के तहत् मलबरी रेशम, टसर विकास तथा ईरी विकास के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रू. 208.86 लाख की योजना प्रस्तावित है । जिसके अन्तर्गत मानक प्रावधान के तहत् रू. 127.42 लाख केन्द्रीय रेशम बोर्ड से केन्द्रांश के रूप में प्राप्त किया जाना है तथा 74.70 लाख रू. राज्यांश 673875 हितग्राही अंश के रूप में प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है ।

ईरी रेशम ककून उत्पादन एवं धागाकरण की आर्थिकी :–

राज्य गठन के पश्चात प्रथमबार प्रायोगिक रूप से जशपुर एवं सरगुजा जिले में आरंडी का पौधा रोपित किया जाकर ईरी रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया गया । वर्ष 2003–04 में 55 एकड़ क्षेत्र में अरंडी का पौध रोपण किया गया था वर्ष 2004–05 में 110 एकड़ क्षेत्र में अरंडी पौध रोपण किया गया । वर्ष 2003–04 में 1087 कि.ग्रा. ईरी रेशम का उत्पादन किया गया तथा 104 हितग्राही लाभान्वित हुए वर्ष 2004–05 में मार्च 2005 तक 1177.50 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त हो चुका है एवं 155 हितग्राही लाभान्वित किए गए । इसका विस्तार बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा क्षेत्र जगदलपुर, कांकेर जशपुर कोरिया एवं सरगुजा जिले में भी किया जा रहा है ।

अरण्डी पौध रोपण हेतु प्रति एकड़ व्यय मानक रू.16285 केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुमानित है तथा प्रति एकड़ पौधरोपण में उत्पादित पत्तियों से लगभग 200 कि.ग्रा. उत्पादन प्राप्त हो सकता है । ईरी रेशम की 5 फसल वर्ष में ली जासकती है एवं प्रति

हितग्राही को 120 कार्य दिवस में रू. 8000–10000 वार्षिक आय प्राप्त होगी एवं धागाकरण कार्य से हितग्राहियों को रू. 10000–13000 तक वार्षिक आय प्राप्त होगी ।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में गैर परम्परागत मलबरी योजना के विकास हेतु नवीन मलबरी विकास कार्यक्रम वर्ष 2003–04 से क्रियान्वित की जा रही है ।

प्रदेश में 106 रेशम केन्द्र/रेशम बीज केन्द्र, 03 शासकीय मलबरी ग्रेनेज, 05 धागाकरण यूनिट, 05 ट्विस्टिंग यूनिट, 06 ककून बैंक, 04 यार्न बैंक संचालित है । वर्ष 2004–05 में मार्च 2005 तक 20387 कि.ग्रा. मलबरी कोया उत्पादन कर 1487 हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं ।

प्रदर्शन प्लाट योजना :–

प्रदर्शन प्लाट योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित निजी कृषकों के स्वयं की भूमि जिसमें फैन्सिंग एवं सिंचाई की सुबिधा उपलब्ध है यह योजना ली जा रही है । शहतूती पौधरोपण योजना के प्रसार/प्रदर्शन के तौर पर चयनित कृषक की भूमि पर विभाग द्वारा प्राधिकृत तकनीकी कर्मचारी के पर्यवेक्षण में हितग्राहियों को सामग्री एवं अन्य अनुदान के रूप में 15000 रू. प्रति एकड़ के मान से राशि व्यय की जावेगी । वर्ष 2004–2005 में 80773 हितग्राही लाभान्वित किए गए ।

हाथकरघा

हाथकरघा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना, हैल्थ पैकेज, वेलफेयर योजना, बाजार अध्ययन, अनुसंधान एवं विकास योजनाएं तथा प्रोजेक्ट पैकेज योजनाएं संचालित है ।

वर्ष 2005–06 में हथकरघा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 430.34 लाख रू. का बजट प्रावधान रखा गया है । वर्ष 2004–05 में लगभग राशि 44.00 करोड़ रू. के हाथकरघा वस्त्रों का उत्पादन किया गया ।

नवीन योजनाएँ : वर्ष 2004–05 मे दो नवीन येाजनाएँ प्रारंभ की गई हैं ।

(1) रिवाल्विंग फण्ड योजनाः इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट में राशि रू. 5.00 लाख का प्रावधान किया गया है एवं 10.00 लाख अतिरिक्त प्रावधान हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है ।

(2) कर्मशाला जीर्णोद्धार योजना : शासकीय सहायता से निर्मित कर्मशाला भवनों के जीर्णोद्धार हेतु अधिकतम राशि रू. 2.00 लाख सहायता स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है । वर्ष 2005–06 में 3.30 लाख का बजट प्रावधान किया गया है ।

हाथकरघा से संबधित महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ :

- कम्प्यूटर एडेड डिजाईन सेन्टर की स्थापना जिला रायगढ़ में की गई है । जिससे प्रदेश के बुनकरों को नये–नये डिजाईन के वस्त्र तैयार करने में सहायता मिल रही है ।
- आई. आई. टी. कानपुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के परम्परागत डिजाईन को संग्रहित करने हेतु डिजाईन टूल्स विकसित किया गया है । जिससे परम्परागत डिजाईन टूल्स के सहयोग से नवीन एवं आधुनिक डिजाईन बाजार के मांग के अनुरूप तैयार किए जा सकेंगे ।
- प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों के द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु बाजार अध्ययन योजनान्तर्गत जिला स्तरीय, राज्यस्तरीय, एवं प्रदेश के बाहर प्रदर्शनियों के माध्यम से राशि रू. 1.25 करोड़ हाथकरघा वस्त्रों का विक्रय किया गया है ।
- डी.ई.पी.एम योजना अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के डिजाईनर के सहयोग से निर्यात योग्य हाथकरघा वस्त्रों के नमूने तैयार कराये गये हैं ।

वर्ष 2005–06 में हाथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण डिजाईन विकास टेक्नालाजी हस्तातंरण, क्वालिटी कन्ट्रोल एवं निर्यात योग्य हाथकरघा वस्त्रों के उत्पाद, का विकास प्रदेश का लक्ष्य है ।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–मार्जिन मनी –योजनान्तर्गत

व्यक्तिगत एवं संस्थागत कम्पनी, ट्रस्ट प्रकरणों में परियोजना लागत के आधार से 25.00 लाख रूपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है ।

वित्तीय सहायता का स्वारूपः– योजनान्तर्गत परियोजना लागत की 5 प्रतिशत राशि स्वयं उद्यमी को अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति/पिछड़ावर्ग/अल्प संख्यक एवं महिला शारीरिक रूप से विकलांग हितग्राही को वहन करना होता है एवं प्रोजेक्ट राशि के रू. 10.00 लाख तक 30 प्रतिशत मार्जिन मनी एवं शेष राशि पर 10 प्रतिशत पात्रता होती है । इसी प्रकार सामान्य वर्ग के पुरूष हितग्राही को प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है एवं प्रोजेक्ट राशि के रू. 10.00 लाख तक 25 प्रतिशत मार्जिन मनी एवं शेष राशि पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी राशि की पात्रता होती है । आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई मार्जिन मनी राशि 2 वर्ष तक उद्योग चलते रहने तथा बैंकों की किस्तें समय पर चुकाने की स्थिति में अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जायेगी । छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2005–2006 में 413 इकाईयों की स्थापना पर रू. 22.44 करोड़ ऋण एवं रूपये 5.61 करोड़ अनुदान आर्थिक सहायता के रूप में प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2005–06 में अगस्त 2005 तक 123 प्रकरणों में 1061.71 लाख रू. की स्वीकृति बैंको से प्राप्त हो गई है । जिसमें रू. 215.51 लाख मार्जिन मनी (अनुदान) सहायता दी जावेगी । जिससे 1820 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा ।

परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगो को छोड़कर आयोग मान्य स्थापना के लिए बैंको से ऋण एवं बोर्ड अनुदान दिया जाता है । योजनान्तर्गत परियोजना लागत अधिकतम रू.1.00 लाख तक के ऋण प्रकरण बैंको को प्रेषित किए जाते हैं । परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम रू.13500 तक अनुदान जो भी कम हो दिया जाता है । वर्ष 2005–06 में 2341 ग्रामोद्योग इकाई हेतु राशि रू.487.74 लाख परियोजना लागत एवं रशि रू. 195.10 लाख अनुदान एवं 7024 व्यक्तियों को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2005–06 में माह अगस्त 2005 तक 448 प्रकरणों में रू. 76.68 लाख परियोजना लागत राशि की बैंको से स्वीकृति प्राप्त है । जिसमें राशि रू. 44.20 लाख अनुदान की सहातया दी जावेगी । जिसमें 1480 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा ।

अध्याय–11

खनिज

छत्तीसगढ राज्य देश में खनिज उत्पादन के क्षेत्र में द्वितीय स्थान पर है । सामरिक महत्व के खनिज टिन, अयस्क के उत्पादन में सम्पूर्ण राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त है । प्रदेश में कोयला, बाक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर एवं लौह अयस्क का उत्पापदन वृहत पैमाने पर हो रहा है । वष 2004–05 में प्रदेश क्वार्टजाइट के उत्पादन में प्रथम तथा कोयला, लौह अयस्क एवं डोलोमाइट के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर रहा ।

वर्ष 2004–05 मे लगभग 5073 करोड रूपये मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ । यह राष्ट्र में उत्पादित खनिजों के सकल मूल्य का 12.52 प्रतिशत है । वित्तीय वर्ष 2004–05 में खनिजों से राज्य शासन को 694.62 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ । विगत वर्ष 2003–04 की तुलना में इस वर्ष 57.44 करोड रूपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ ।

बॉक्स क 11.1

खनिज अन्वेषण

- वर्ष 2004–2005 में राज्य में खनिज अन्वेषण कार्य की गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया गया । वित्तीय वर्ष 2004–2005 में 3249 वर्ग किलोमीटर, सर्वेक्षण/मानचित्रण, 156 घन मीटर गढ्ढाकरण, 4464 मीटर वेधन तथा 3850 (मूलको) नमूनों का विश्लेषण कार्य किया गया । 21766 मूलकों (रेडिकलस) की उपस्थिति/मात्रा ज्ञात की गई ।

- वित्तीय वर्ष 2004–05 में अवैध उत्खनन के 591 प्रकरण पकड़े गए, उन पर रु. 45569828.00 अर्थ दंड प्रस्तावित किया गया है । तथा अवैध परिवहन 1644 प्रकरणों पर रु.4985175.00 की राशि वसूल की गई है ।

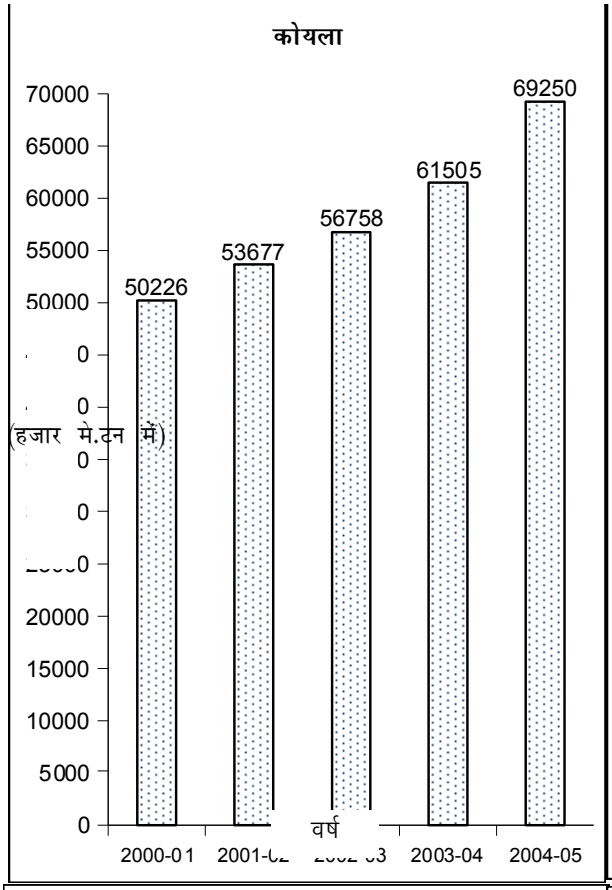

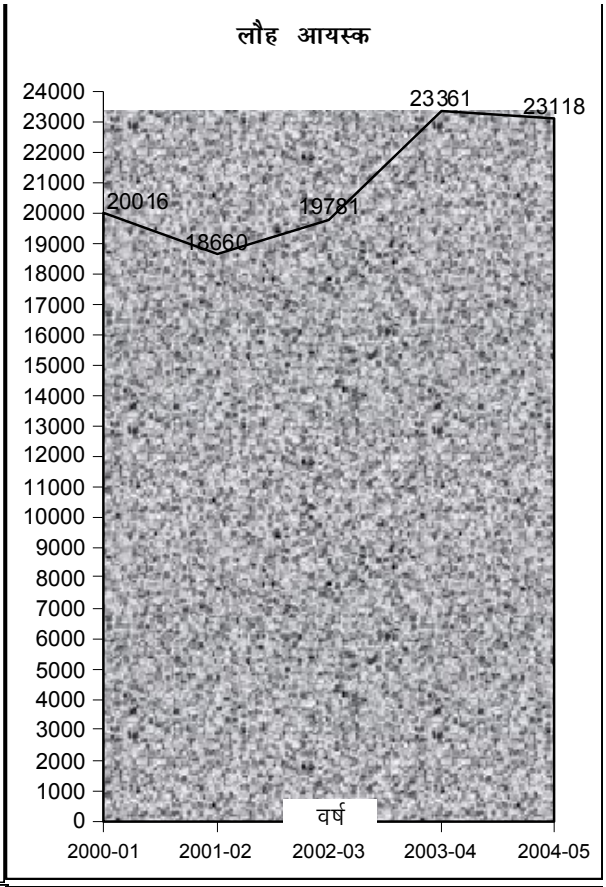

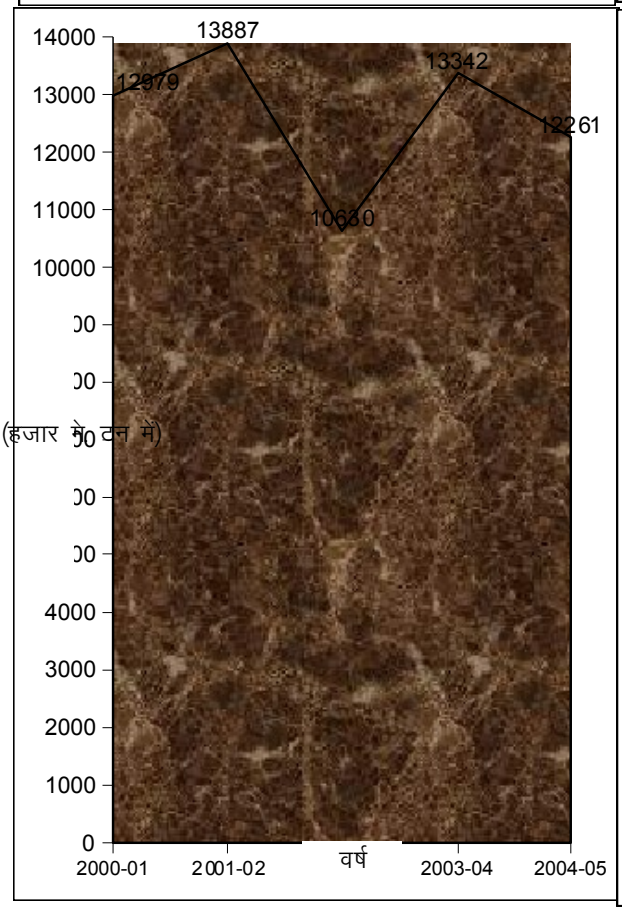

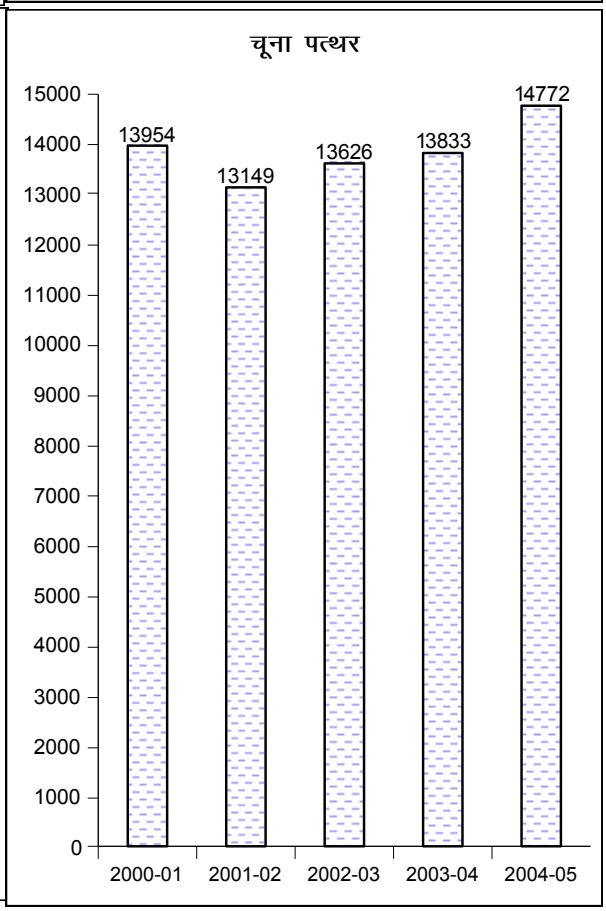

शुद्ध सिंचित क्षेत्र का स्त्रोत अनुसार वर्गीकरण
(संदर्भ तालिका क्रमांक–3.4)

अध्याय–12

परिवहन सुविधाएं

मार्च 2004 के अंत में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 1215 हजार थी जो मार्च 2005 में बढ़कर 1375 हजार हो गई है । इस प्रकार कुल पंजीकृत वाहनों में 13.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह वृद्धि कार एवं जीप में 18 प्रतिशत, मोटरसाईकिल, स्कूटर, मोपेड में 10.52 प्रतिशत, यात्री वाहन में 21.05 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार के वाहनों में 14.11 प्रतिशत परिलक्षित हुई है । उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष कुल पंजीकृत वाहनों में द्विपहिया वाहनों का प्रतिशत 81.56 रहा ।

वर्ष 2004–05 में शुल्क एवं मोटर यानों पर देयकर आदि से 180.00 करोड़ रू. राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष्य में 191.73 करोड़ रू. का राजस्व संग्रहण किया गया । जो गत वर्ष की तुलना में 24.23 करोड़ रू. अधिक है ।

कुल पंजीकृत वाहन वर्ष 1999–2000 से 2004–2005

(हजार में)

वर्ष अप्रैल से मार्च तक	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / तिपहिया	यात्री वाहन बस	मालवाहन ट्रक	द्विपहिया वाहन	अन्य (ट्रेक्टर ट्राली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1999–2000	31	07	12	35	643	53	781
2000–2001	34	08	14	36	707	58	857
2001–2002	38	10	15	39	793	65	960
2002–2003	42	11	17	52	881	75	1078
2003–2004	50	11	19	57	991	85	1215
2004–2005	59	13	23	66	1117	97	1375

सड़के एवं पुल

वर्ष 2004–2005 में 4942 कि. मी. सड़को का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया गया जिसमें गिट्टीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए एवं 90 पुलों का निर्माण किया गया और 122 कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2005–06 में राज्य शासन द्वारा आयोजना कार्य हेतु रू. 739.87 करोड़ एवं आयोजनेत्तर कार्य हेतु रू.195.56 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है । राज्य में सुगम एवं द्रुतगामी यातायात हेतु कुल 3106 कि.मी. लम्बे दो उत्तर–दक्षिण तथा चार पूर्व–पश्चिम कारीडोर का निर्माण जारी है । जिसके अन्तर्गत अभी तक लगभग 666 कि.मी. मार्ग का कार्य किया जा चुका है । इस कार्य में जून 2005 तक कुल 166.81 करोड़ रू. व्यय किया जा चुका है ।

बाक्स न–12.1

निमार्ण कार्य व उनकी प्रगति

- नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत अभी तक कुल 280 सड़क तथा 301 पुलों में से 115 सड़क तथा 184 पुलों का कार्य पूर्ण किया गया है ।
- नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत 559.26 करोड़ रू. के विरूद्ध जून 2005 तक 389.00 करोड़ रू. व्यय किया गया है । इसमें वर्ष 2004–05 में 38 सड़क 73 पुलों के कार्य पूर्ण किए गए तथा 108.31 करोड़ रू. व्यय किए गए ।
- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य को 23 कार्यो हेतु कुल 125.58 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से अभी तक कुल 14 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 05 कार्य प्रगति पर है इन कार्यो पर जून 2005 तक 77.74 करोड़ व्यय किया गया है ।
- अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की दोनों सड़को के अन्तर्गत कार्य, जिसकी लागत 10.4 करोड़ रू. है पूर्ण किए जा चुके हैं । इन पर जून 2005 तक 11.06 करोड़ व्यय किया गया है ।
- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत राज्य निर्माण के पश्चात 57 कार्यो हेतु रू. 52.26 करोड़ की स्वीकृति केन्द्र से प्राप्त हुई थी । अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 23 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 19 कार्य प्रगति पर है । जून 2005 तक रू. 33.63 करोड़ केन्द्रीय आवंटन के विरूद्ध रू. 28.67 करोड़ का व्यय हुआ है ।
- मनीला स्थित एशियन डेब्लपमेंट बैंक जो कि एक अंर्तराष्ट्रीय संस्था है के प्रथम चरण में 9 मार्गो को चयनित किया गया है । जिसकी कुल लम्बई 800 कि.मी. एवं अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ रू. है । वर्तमान में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाने का कार्य पूर्णता की ओर है एवं निविदा आमंत्रण संबंधी कार्यवाही प्रस्तावित है ।
- भवन कार्यो के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायप्रशासन, पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के आवासीय तथा गैर आवासीय कुल 147 भवन का कार्य वर्ष 2004–05 में पूर्ण किए गए थे । 522 कार्य प्रगति पर है इन कार्यो हेतु रू. 85.03 करोड़ आवंटन के विरूद्ध रू. 73.49 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं । इस वर्ष इन कार्यो पर जून 2005 तक रू.14.12 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग के कप्म्यूटरीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विजनेश प्रोसेस री–इन्जीनियरिंग (बीपीआर) के अध्ययन के लिए टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेस (टी.सी.एस) कोलकत्ता के माध्यम से अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है । कर्मचारी/अधिकारियों का प्रशिक्षण, साफ्टवेयर विकास आदि कार्य हेतु साफ्टटेक इन्जीनियर प्रा.लि. पूना को कार्य दिया गया है । कार्यपालन अभियंता तक के कार्यालय इन्टरनेट से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है ।

निविदाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में लोक निर्माण विभाग के द्वारा इन्टरनेट आधारित इलेक्ट्रानिक टेन्डरिंग सिस्टम के माध्यम से निविदायें बुलाने का कार्य प्रारंभ किया गया था । इसमें पूर्व में 1.00 करोड़ तक के कार्य को लिया गया एवं बाद में सफलता को देखते हुए जुलाई 2005 से 20.00 लाख के ऊपर के कार्यों की निविदायें भी ई टेन्डरिंग के माध्यम से बुलाई जा रही है ।

वायु परिवहन

वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का वायुयान द्वारा संपर्क दिल्ली, नागपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई व विशाखापट्टनम शहरों से है जिसके लिए प्रतिदिन एक विमान सेवा उपलब्ध है । अगस्त 2005 से मुबंई–रायपुर के बीच एक और विमान सेवा प्रारंभ की गई है । इसी प्रकार नवम्बर 2005 से कोलकाता के लिए भी रांची होते हुए विमान सेवा प्रारंभ हुई है ।

अध्याय–13

श्रम एवं रोजगार

राज्य में कुल कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 96.80 लाख है । कार्यशील व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनाऐ चलाई जा रही है । यथा स्वास्थ्य योजना, शिक्षा योजना, आवास योजना, इंदिरा कृषि श्रमिक योजना आदि । आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 मे केन्द्र सरकार द्वारा रू. 201.6 लाख व राज्य सरकार द्वारा रू. 115.92 लाख राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है । इंदिरा कृषि श्रमिक योजना के अंतर्गत वर्ष 2004–05 मे 70000/– हजार रूपये शासन स्तर से 7 हितग्रहियों लाभान्वित किया गया ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ :–रोजगार कार्यक्रम :

1. शहरी रोजगार कार्यक्रम (USEP)

1.1 शहरी स्वरोजगार रोजगार कार्यक्रम अनुदान (USEP-SUBSIDY) :

बेरोजगार या कम पढ़े लिखे शहरी युवाओं को छोटे उद्यम या व्यवसाय में स्वावलम्बी बनाने में सहायता देने की योजना है । व्यवसाय शुरू करने करने के लिए रू. 50 हजार तक आर्थिक सहायता दी जाती है । 50 हजार लागत तक की परियोजनाओं पर 15 प्रतिशत या 7500 रू. का अनुदान हितग्राही को दिया जाता है । 2500 रू. अर्थात 15 प्रतिशत हितग्राही द्वारा स्वयं लगायेगा एवं बैंक द्वारा 80 प्रतिशत अर्थात 40,000 रू. ऋण प्रदान किया जाता है । एक से अधिक हितग्राही मिलकर बड़ी परियोजना ले सकते हैं।वर्ष 2004–05 में 1965 प्रकरण स्वीकृत किए गए जिसके विरूद्ध 1722 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

1.2 शहरी रोजगार कार्यक्रम प्रशिक्षण : चयनित रोजगार में कुशलता बढ़ानें के लिए प्रशिक्षण व्यय रू. 2000.00 तक की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है जिसके लिए दो से छः माह अथवा 300 घंटों का प्रशिक्षण एक अनिवार्य शर्त है। वर्ष 2004–2005 में 2579 हितग्राहियों को रोजगार मूलक कार्यो का प्रशिक्षण दिया गया है । जिनमें से 1663 महिलाएं है ।

1.3 शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (UWEP) : यह ऐसे गरीब व्यक्तियों की सहायता करने का कार्यक्रम है जो पढ़े लिखे नहीं है या स्वयं के उद्यम प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है उन्हे निर्माण कार्यो में मजदूरी के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है इसमें 60 प्रतिशत राशि सामग्री तथा शेष 40 प्रतिशत राशि मजदूरी के रूप में की जाती है । निर्माण कार्यो की प्राथमिकता का निर्धारण व क्रियान्वयन सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से किया जाता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में अर्जित मानव दिवसों की संख्या 34320 है।

2. सामाजिक कार्यक्रम :

2.1 सामुदायिक आधारित संगठन **(COMMUNITY STRUCTURE) :** गरीबी उपशमन कार्यक्रम के आधार स्तम्भ समुदाय आधारित संगठन कार्यक्रम योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समुदाय आधारित संगठन बनाना उसकी भागीदारी को बढ़ावा देना है इन संगठनों में पड़ोसी समूह **(NHC)** पड़ोसी समिति **(NHC)** और सामुदायिक विकास समिति **(CDS)** है । ये समितियॉ गरीबी उपसमन कार्यक्रम चलाकर लाभ अर्जित कर सकती हैं । नगरीय निकायों के विकास कार्यो का क्रियान्वयन कर सकती है । प्रदेश के नगरों में वर्तमान में 97 सीडीएस कार्यरत हैं ।

राज्य प्रवर्तित योजनाऐ :–

1.**महिला समृद्धि योजना** : महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है । प्रथम चरण में 750 दुकान निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है जिसमें से 188 दुकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ।

2.**प्रतीक्षा बस स्टैण्ड :**

सर्वसुविधायुक्त बस स्टैण्ड बनाने हेतु अब तक 41 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसमें से 5 पूर्णता पर है । इस योजना के अंतर्गत रू.30.00 लाख की लागत से बस स्टैण्ड बनाने का प्रावधान है । अब तक 484.00 लाख रू. की राशि निकायों को जारी की गई है ।

3.ट्रान्सपोर्ट नगर योजना : शहरी आबादी से दूर शहर से लगा हुआ सर्वसुविधायुक्त ट्रान्सपोर्ट नगर बनाने की योजना है, अब तक 7 नगर पालिका निगम एवं एक नगरपालिका

परिषद क्षेत्र में स्वीकृति प्रदान की गई है । योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत अनुदान तथा शेष 60 प्रतिशत ऋण का प्रावधान है । बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर एवं भिलाई चरौदा में कार्य प्रगति पर है ।

4.गोकुल नगर योजना : शहर के अंदर स्थित डेयरियों को नगर के बाह्य क्षेत्र के एक या अधिक स्थान पर व्यवस्थित कर नगरों से प्रदूषण दूर करने की यह योजना है । अब तक 8 नगर पालिक निगमों में यह योजना स्वीकृत की गई है । जिसमें से राजनांदगांव की एक परियोजना पूर्ण हो गई है । रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर की परियोजना का कार्य प्रगति पर है ।

5.अटल आवास योजना : वर्ष 2004–05 में शहरी गंदी बस्तियों में गरीबी रेखा के आस–पास जीवन–यापन करने वाले, पर आवासहीन लोगों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना है । योजनान्तर्गत प्रति युनिट 50000.00 रूपये आवास निर्माण हेतु तथा भू–खण्ड एवं बाह्य विकास के लिए 10000.00 रू. का प्रावधान जिसमें से 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान है । हितग्राही द्वारा 10.00 प्रतिदिन की दर से 14 वर्षो में ऋण अदायगी किया जाएगा । 29 नगरों में 4333 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है । अब तक 400 आवास के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

6. मुख्यमंत्री श्रमवीर कल्याण योजना : रिक्शा चालकों के व्यापक कल्याण हेतु यह योजना 15 अगस्त 2004 को प्रारंभ की गई है । योजनान्तर्गत रिक्शा चालकों का पंजीयन, लाइसेंस प्रदान करना, वर्दी देना, स्वास्थ्य परीक्षण कराना तथा रिक्शा का मालिकाना हक दिलाना शामिल है । शहर के प्रमुख स्थानों पर रिक्शा स्टैण्ड का निर्माण तथा उसमें से एक दो में दाल–भात केन्द्रों की स्थापना की योजना है । 2004–05 में 21652 रिक्शा चालकों को वर्दी देकर लाभान्वित किया गया है । रिक्शा चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण कराकर लायसेंस प्रदान किया गया है । 10692 रिक्शा चालकों को मालिकाना हक प्रदान किया गया है ।

7.दीनदयाल स्वावलंबन योजना : शहरों के छोटे व्यवसायी जैसे फेरी वाले, फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले, ठेले वालों के कल्याण की इस योजना के अंतर्गत उन्हें गुमटियां अस्थाई रूप से आवंटित की जाती है । प्रति गुमटी लागत 20000.00 रू. है जिसमें 80 प्रतिशत राशि शासन द्वारा तथा 20 प्रतिशत राशि सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने निधि से वहन किया जाता है । वर्ष 2004–05 में 2320 गुमटी स्थापित करने हेतु स्वीकृति दी गई

है । जिसमें 418 गुमटी स्थापित की जा चुकी है । 1902 गुमटी स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है ।

8.श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा–जन विकास योजना :– गरीबी रेखा के आस–पास जीवन–यापन कने वाले 18 से 35 आयु समूह के सातवीं कक्षा उत्तीर्ण/अनुतीर्ण बेरोजगार युवक–युवतियों को अनौपचारिक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता देने की यह योजना है । योजना का क्रियान्वयन पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के द्वारा किया जाता है । हितग्राहितयों की रूचि तथा शिक्षा के अनुरूप एन.जी.ओ. द्वारा उचित प्रशिक्षण क्षेत्र की पहचान कर दक्षता एवं कौशल वृद्धि हेतु उन्हे 4 माह का प्रशिक्षण उपरांत रोजगार स्त्रोतों से समन्वय कर रोजगार उपलब्ध कराने में एन.जी.ओ. द्वारा सहायता किया जाएगा । अब तब 1473 हितग्राही प्रशिक्षित जिमसें से 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।

शहरी विकास हेतु –नई पहल

केन्द्र प्रवर्तित नई योजनाएं

वर्ष 2005–06 में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित तीन महत्वपूर्ण योजना निम्नानुसार है :–

1.नेशनल अर्बन रिनीवल मिशनः यह मिशन देश के 60 नगरों में नगरीय विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रम लागू करने के लिए स्थापित होगा जिसके अन्तर्गत नगर पालिक निगम–रायपुर का चयन किया गया है । मिशन के अंतर्गत 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्र शासन द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि राज्य शासन द्वारा तथा 10 प्रतिशत राशि सम्बन्धित निकाय द्वारा वहन किया जाएगा । मिशन के अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो पर होगी :–

1. केन्द्र शासन द्वारा मिशन के अंतर्गत निर्धारित सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नगरीय निकाय तथा राज्य शासन अनुबंध करें ।

2.नगरों के एकीकृत विकास के लिए 20–25 वर्षो की योजना तैयार की जावे ।

3.प्रत्येक योजना के लिए डी.पी.आर. तैयार की जावे ।

2.अर्बन इन्फास्ट्राक्टर डेव्हलमेंट स्कीम फार स्माल एण्डमीडियम टाऊनः वर्ष 2005–06 से केन्द्र प्रवर्तित एम्सीलेरेटेड अर्बन वाटर सप्लाई कार्यक्रम को केन्द्र शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजना के साथ समाहित कर उपरोक्त योजना प्रवर्तित की जा रही है ।

3.इंटीगेटेड हाऊसिंग एण्ड स्लम डेव्हलपमेंट स्कीम :–वर्ष 2005–06 से इस योजना को केन्द्र प्रवर्तित वाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना के साथ समाहित कर उपरोक्त नाम से नई योजना प्रवर्तित की जा रही है ।

राज्य प्रवर्तित योजना :–

बिल्ड फायनेंस–ट्रान्सफर योजना (BFT) : इस योजना के अंतर्गत सड़कों के एकीकृत विकास (सीमेंट/कांक्रीट, डामरीकृत सड़के, नाली निर्माण, पुलिया निर्माण, सर्विस डक्ट एवं क्रासडक्ट तथा स्ट्रीट लाईट) के लिए बिलासपुर नगर निगम में दो पैकेज क्रमशः रू. 7.39 करोड़ तथा रू. 20.69 करोड़ की प्रस्तावित है योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण राशि प्रथमतः निजी भागीदार द्वारा लगाई जाएगी । नगर निगम आगामी 10 वर्षो में निर्धारित किश्त अनुसार निजी भागीदारी को धनराशि बैंक के एक एकाउंट के माध्यम से वापस करेगा। 10 वर्षो तक मरम्मत का कार्य भी निजी भागीदार द्वारा किया जाएगा

बाक्स न–13.1

विकास कार्यक्रम व योजनाएं

- महिला एवं बच्चो का विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2004–5 मे 87 महिलाओ के समूहो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है । इस तरह 181 लाभान्वित हुई है ।
- राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004–05 मे 480 लाख रूपये नगरीय निकायो को उपलब्ध कराया गया है ।
- कमजोर वर्ग के लिये सुरक्षा समूह बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2005 में 53335 हितग्रहियों को नामांकित किया गया है । जिसके विरूद्व 50210 लोगो का बीमा कराया गया है ।
- सरोवर धरोहर योजना के अंतर्गत वर्ष 2004–05 तक 214 तालाबो का सौन्दर्यीकरण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा चुका है ।
- ज्ञानस्थली योजना के अंतर्गत 554 स्कूलों/कालेजो अतिरिक्त कक्षों/भवनो का निर्माण किया जा चुका है ।
- उन्मुक्त खेल मैदान योजना के अंतर्गत 90 खेल मेदानों का निर्माण/सुधार का कार्य किया जा चुका है ।
- मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंतर्गत 2373 दुकाने एवं 545 चबूतरों का निर्माण किया जा चुका है ।

रोजगार एवं प्रशिक्षण

गतवर्ष राज्य निर्माण के पश्चात शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या 22 से बढ़कर 68 हो गई है जिसमें विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षार्थियों की स्वीकृत संख्या में 3356 की वृद्धि हुई वर्तमान में हाईटेक व्यवसाय जैसे कम्प्यूटर हार्डवेयर, इन्फारमेंसन टेक्नालॉजी, कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिसटेंट में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

बाक्स न–13.2

रोजगार एवं प्रशिक्षण

- राज्य के रोजगार कार्यालयों में चालू पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 9.52 लाख है ।
- जनवरी 2005 से जुलाई 2005 तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 426 बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया ।
- वित्तीय वर्ष 2005–06 मे शासन ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवक/युवतियों को रोजगार एवं स्वरोजगार मे स्थापित करने हेतु 38 व्यवसायों मे प्रशिक्षित करने की योजना शुरू की है ।

मिनी टूल्सरूम कम ट्रेनिंग सेंटर : केन्द्र शासन के सहयोग से राज्य में मिनी टूल्सरूप कम ट्रेनिंग सेंटर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें केन्द्रीय अनुदान 9.00 करोड़ एवं राज्य शासन का 6.9 करोड़ का प्रावधान है ।

सेंटर आफ एक्सीलेंस : केन्द्र शासन के सहयोग से राज्य में चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें भिलाई, माना, कोरबा एवं रायगढ़ में सेन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है जिसमें होने वाले व्यय में 120.00 लाख रू. केन्द्र शासन द्वारा एवं शेष व्यय की राशि की पूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी ।

राज्य में प्रशिक्षु (आपरेन्टिस शिप) ट्रेनिंग की स्थिति वर्ष 2004–05 :

क्षेत्र	निर्धारित	नियोजित	प्रतिशत
निजी क्षेत्र	647	548	84.69
सार्वजनिक	459	05	1.00

राज्य में आई.टी.आई. में अन्य गतिविधियॉ : नेशनल केडट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजनान्तर्गत राज्य में क्रमशः 5 एवं 8 संस्थायें आई.टी.आई. प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है । जिसमें क्रमशः 320 एवं 800 छात्र–छात्रायें लाभान्वित हो रही हैं ।

राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थाओं में छात्रवृत्तियॉ : शासकीय औद्योगिक संस्थाओं में सामान्य गरीबी रेखा के नीचे प्रत्येक प्रशिक्षु को 100 रू. प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है । एवं मेरिट छात्रों को 125 रू. प्रतिमाह देय है । वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के गैर छात्रावासी प्रशिक्षु को 140 रू. एवं छात्रावासी प्रशिक्षु को 335 रू.–प्रतिमाह की छात्रवृत्तियॉ प्रदान की जा रही हैं।

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम :–

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम नाम से एक नई योजना वर्ष 2004–05 में प्रारंभ की गयी है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में कुल उपलब्ध 10411.04 लाख रू. एवं 109045 मे. टन चावल के आवंटन में से 6393.51 लाख रू. एवं 77368 मे. टन चावल का वितरण किया जाकर 130.85 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है एवं 952 कार्य पूर्ण किए गए हैं ।

वर्ष 2005–06 में माह सितम्बर तक उपलब्ध 15624.90 लाख रू. एवं 161815 में. टन चावल में से 3615.03 लाख रू. एवं 42238 में. टन चावल व्यय कर 70.39 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं 1771 कार्य पूर्ण किए गए तथा 1370 कार्य प्रगति पर है ।

ग्रामीण आवासीय योजनायें:–

ग्रामीण क्षेत्र में आवास समस्या को हल करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित – इंदिरा आवास, योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास घटक) का क्रियान्वयन राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है ।

इंदिरा आवास योजना – ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवार को आवास निर्माण हेतु शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन 1985–86 से किया जा रहा है । यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें केन्द्र व राज्य का अंश 75 व 25 प्रतिशत का है ।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 में रू. 4396.07 लाख उपलब्ध राशि में से रू. 3982.75 लाख के व्यय से कुल 20134 परिवारों को लाभान्वित किया गया एवं 13613 नये आवास निर्मित किये गये तथा 6521 आवासों का उन्नयन कार्य किया गया । योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 में माह सितम्बर 2005 तक रू. 3736.22 लाख उपलब्ध राशि में से रू. 1351. 66 लाख के व्यय से कुल 2648 परिवार को लाभान्वित किया गया एवं 1684 नये आवास निर्मित किये गये एवं 964 आवासों का उन्नयन का कार्य किया गया है ।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना : ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों के लिये भारत सरकार द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जा रही है । इस योजना का क्रियान्वयन इंदिरा आवास योजना के समान ही किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत हितग्राही का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है । योजना में नये आवासों का निर्माण एवं पुराने के उन्नयन कार्य भी प्रावधान है ।

वर्ष 2005–06 में यह योजना बन्द हो चुकी है । विगत वर्ष की बचत राशि 86.36 लाख रू. में से माह अगस्त 2005 अंत तक 61.89 लाख का व्यय हुआ है तथा विगत वर्ष के 3202 अपूर्ण कार्यो में से 783 नये आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये हैं ।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

भारत सरकार ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल, 1999 से प्रभावशील की है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को छोटे–छोटे अनेकानेक उद्यम स्थापित कर उन्हें मूलभूत व तकनीकी प्रशिक्षण प्रदाय करते हुये गरीबी रेखा से ऊपर लाना है । इसमें केन्द्र व राज्य शासन का वर्तमान में वित्तीय अंशदान 75 व 25 प्रतिशत है ।

इस योजना के अतर्गत 7802 स्व–सहायता समूहो का गठन किया गया है जिससे 28846 परिवार लाभान्वित हुऐ । वित्तीय वर्ष 2005–06 मे 7394.35 लाख रू. का लक्ष्य था जिसके विरूद्व माह सितम्बर 2005 तक 2811.86 लाख वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गई तथा 575 स्वसहायता समूहों का गठन कर 10452 परिवारो को लाभान्वित किया गया । वर्ष 2004–05 मे 348.84 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है । एवं 56147 कार्य पूर्ण किये गये ।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना – भारत सरकार द्वारा 25 सितम्बर 2001 से ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित केन्द्र प्रवर्तित रोजगार आश्वासन योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को

सम्मिलित कर एक नई योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की गई है । इस नई सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार येाजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष निर्धारित राशि के बराबर कीमत का खाद्यान भी प्रत्येक जिले को आवंटित किया जाता है ।

वर्ष 2004–05 में कुल उपलब्ध 19341.61 लाख रूपये एवं 236164 में. टन चावल के आवंटन में से 17757.39 लाख रूपये एवं 209305 में.टन चावल का व्यय किया जा कर 348. 84 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है । एवं 56147 कार्य पूर्ण किए गए । वर्ष 2005–06 में माह सिम्बर 2005 तक उपलब्ध 10804.45 लाख रूपये एवं 136226 में टन चावल में से 6712.44 लाख रूपये एवं 71952 में.टन चावल व्यय कर 118.02 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं 2178 कार्य पूर्ण किए गए तथा 27113 कार्य प्रगति पर है ।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 से यह योजना पूरे देश में प्रारंभ की गई है । योजना का मूल उद्देश्य वर्ष 2007 अंत तक 500 या इससे अधिक आबादी (पहाड़ी/रेगीस्तानी/आदिवासी विकास खण्डों के मामले में 250 या इससे अधिक) की सभी बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

वर्ष 2004–05 में रू. 412.71 करोड़ की राशि से 359 सड़कें, लम्बाई 1872.72 कि. मी. की स्वीकृति दी गई है जिसमें से 114 सड़के लम्बाई 705.30 कि.मी. में डामरीकरण एवं 1469 पुल–पुलियों का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

एशियन डेव्हलमेंट बैंक की सहायता से प्रथम चरण के तहत भारत सरकार द्वारा 70 सड़कों, लम्बाई 504.61 कि.मी. लागत राशि रू.104.08 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है स्वीकृत सड़कों में से अब तक 2.51 कि.मी. लम्बाई एवं 93 पुल–पुलियों का कार्य पूर्ण हो चुका है । इसके अतिरिक्त पांचवे चरण वर्ष 2005–06 में 429 सड़कों लम्बाई 1951.21 कि. मी. लागत रू. 448.62 करोड़ पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जूट–जियो–टेक्सटाईल्स आधारित दो सड़कें लम्बाई 10.30 कि.मी. लागत 3.19 करोड़ एवं एशियन डेव्हलमेंट बैंक की सहायता से द्वितीय चरण के तहत 561 सड़कें लम्बाई 2516.13 कि.मी. लागत राशि 587.12 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई ।

इस प्रकार कुल रू.2229.03 करोड़ की राशि से 2096 सड़के लम्बाई 10995.06 कि.मी. की स्वीकृति प्राप्त है इसमें से 662 सड़कें ल.3815.63 कि.मी. एवं 6148 पुल–पुलियों का कार्य पूर्ण हो चुका है । इन कार्यो में अब तक 776.42 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं ।

क.	वर्ष	सडक	डामरीकरण (लम्बाई कि.मी. में)	पुल/पुलियो की संख्या
1	2	3	4	5
1	2002–03	240	1069.84	1852
2	2003–04	186	1110.66	1898
3	2004–05	114	705.30	1469
4	2005–06	561	2516.13	–

अध्याय–14

सामाजिक सेवायें

स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियॉ

प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं का स्तरवार विवरण : (2005–06)

प्रदेश के 16 जिलों में स्थित 19 शिक्षा जिलों की भूमिका राष्ट्र के विकास की धारा में अशिक्षा एवं निरक्षरता के क्रम में शिक्षा की भूमिका अहम हो गई है । देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा एवं जागरूक हो इस हेतु यह आवश्यक है कि शेक्षणिक संस्थाओं को देश में सुदृढ़ तंत्र स्थापित कर शैक्षणिक पहचान स्थापित कर सके ।

प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं का स्तरवार विवरण :

क्र.	स्तर	शिक्षा विभाग	आ.जा.क.वि		सर्वशिक्षा अभियान		ई.जी.एस.शिक्षा		स्थानीय निकाय शिक्षा	अनुदान प्राप्त		मदरसा	गैर अनुप्राप्त
			शाला	आश्रम	शाला	आश्रम	प्राथ में उन्नयित	ई.जी.एस.		शिक्षा	आ.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्राथमिक स्तर	14249	9252	545	733	24	5476	232	–	178	05	35	1892
2	पूर्व मा. स्तर	3491	2241	175	2252	–	–	–		57	05	–	1129
3	हाई स्कूल	456	322	–	–	–	–	–	–	–	–	–	449
4	उ.मा.विद्यालय	525	307	–	–	–	–	–	20	78	02	–	507
	योग	**18721**	**12122**	**720**	**2985**	**24**	**5476**	**232**	**20**	**313**	**12**	**35**	**3977**

1. दर्ज संख्या वृद्धि अभियान :

वर्तमान सत्र में दर्ज संख्या में वृद्धि हेतु शिक्षकों के द्वारा घर–घर जाकर सर्वे करा कर सभी छात्रों को जो 6 से 14 आयु वर्ग के हैं, के प्रवेश हेतु कार्यवाही की गई । यह अभियान सितम्बर 2005 तक संचालित था । उपरोक्त अभियान से शत–प्रतिशत बच्चों के प्रवेश हेतु कार्यवाही की गई है । राज्य में पूर्व/प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च/उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं की संख्या क्रमशः 41.97 हजार, 12.27 हजार एवं 14.39 हजार है तथा इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 34.51,11.59 एवं 5.30 लाख है ।

2. छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना :

प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने एवं दूरस्थ अंचलों की छात्राओं को निजी निवेशको के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अनुबंधित किया गया है । येाजना का शुभारंभ 16 अगस्त 2005 को किया गया है । प्रथम चरण में इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बालिकाओं को एवं शहरी क्षेत्र की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जावेगी । योजना में रायपुर एवं बिलासपुर जोन हेतु प्रति छात्रा 69.40 रू. तथा बस्तर एवं सरगुजा जोन में 74.00 रू. की दर से शासन द्वारा भुगतान किया जायेगा । योजनान्तर्गत एन.आई.आई.टी. द्वारा कम्प्यूटर एवं प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी । योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संचालनालय के समस्त अधिकारियों को निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया है ।

बाक्स न–14.1

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमः–

1. प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में 200 कार्य दिवसों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है ।
2. प्रदेश के 61 विकास खण्डों की 12500 शालाओं को गैस चुल्हा प्रदाय किया गया है । गैस चूल्हे हेतु 1.86 करोड़ रू. एवं कनेक्शन हेतु 2.87 करोड़ रू. की राशि व्यय की गई । जिसमें करीब 1679635 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं ।
3. वर्ष 2005–06 के बजट में 77.04 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है जो कि विगत वर्ष की तुलना में 74 प्रतिशत अधिक है । इस राशि को जिला पंचायतों को आवंटित किया गया है ।
4. भारत सरकार से 39.75 करोड़ रू. की राशि प्रदाय की गई थी जिसमें से 27.40 करोड़ रू. किचन शेड निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को दिया गया है ।
5. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वार्षिक अनुदान रू. 2000.00 तक के बर्तनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिय गये है ।
6. सम्पूर्ण रोजगार ग्रामीण योजनान्तर्गत 7745 किचन शेड निर्माण कार्य स्वीकृत है जिसमें 5371 पूर्ण हो चुके हैं । वर्ष 2005–06 में 1046 किचन शेड निर्माण हेतु आवंटन जारी किया गया है ।

बाक्स न–14.2

योजना के परिणाम :–

- शालाओं में छात्रों की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।
- छात्रों में कुपोषण में कमी आई है ।
- योजना की मॉनिटरिंग हर स्तर पर सुनिश्चित की गई है ।

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हितग्राही

क्र	जिला	वर्ष 2004–05 में लाभान्वित हितग्राही
1	रायपुर	432796
2	महासमुन्द	132841
3	धमतरी	91604
4	दुर्ग	247566
5	बेमेतरा	100912
6	राजनांदगांव	176830
7	कबीरधाम	98451
8	बिलासपुर	298532
9	जंजगीर–चांपा	192395
10	कोरबा	116654
11	रायगढ़	149556
12	जशपुर	102103
13	सरगुजा	89467
14	सूरजपुर	76749
15	रामानुजगंज	72000
16	कोरिया	72738
17	जगदलपुर	184737
18	दंतेवाड़ा	115475
19	कांकेर	96370

3. प्राथमिक शालाओं में अंग्रेजी का अध्यापन :– बजट प्रावधान

वर्ष	राशि
2001–2002	4.32 करोड़
2002–2003	2.25 करोड़
2003–2004	2.25 करोड़
2004–2005	2.25 करोड़
2005–2006	1.75 करोड़

विशेष :

1. सभी विद्यालयों में अंग्रेजी की पढ़ाई सुनिश्चित की गई है ।
2. कक्षा एक एवं दो के कुल 13.05 लाख छात्र लाभान्वित हो रहे हैं ।
3. शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु हैदराबाद आंग्ल भाषा संस्थान से सहयोग की कार्यवाही की जा रही है ।

4. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण/बुक बैंक योजना

1. यह योजना कक्षा एक से तीन तक के सभी बालिकाओं तथा गरीबी रेखा के नीचे सामान्य वर्ग के परिवार के कक्षा पांच के छात्रों के लिए लागू है ।

2. कक्षा छठवीं से बारहवीं तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक बालिकाओं को बुक बैंक के माध्यम से पाठ्यपुस्तक प्रदाय की जाती है ।

3. वर्ष 2005–06 में कक्षा छठवीं से दसवीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान की गई है ।

4. वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा एक से आठ तक के सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान की गई है ।

5. वर्ष 2005–06 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा एक से पांच तक 2918265 छात्र–छात्राओं को 10144126 पुस्तकें तथा कक्षा छः से आठ तक के 1144920 छात्र–छात्राओं को 7527627 पुस्तकें वितरित की गई है ।

6. वर्ष 2005–06 में हाईस्कूल स्तर पर कक्षा नववीं एवं दसवीं में अध्ययनरत 167815 पात्रताधारी बालिकाओं को 881308 पुस्तकें वितरित की गई है ।

5. निःशुल्क गणवेश तथा पढ़ो कमाओं योजना :

1. प्राथमिक विद्यालय की बी.पी.एल.(अ.जा.,अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग) स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है ।
2. गणवेश की सिलाई कक्षा नववीं से बारहवीं तक की छात्राओं से कराई जाती है ।
3. सिलाई के लिए उन्हे प्रति गणवेश 7.00 रू. प्रदाय किया जाता है ।
4. वर्ष 2004–05 में कुल 250000 छात्रायें इस योजना की हितग्राही थी । जिसमें से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में 86280 सेट्स वितरित हुए 163720 वितरित होना बाकी है ।
5. वर्ष 2005–06 में कुल 526527 छात्राओं को गणवेश का लाभ प्राप्त होगा ।
6. वर्ष 2005–06 में कुल राशि रू. 3.3 करोड़ का प्रावधान किया गया है । द्वितीय अनुपूरक में रू. 10.15 लाख का प्रावधान किया गया है ।

6. सरस्वती योजना (निःशुल्क सायकल प्रदाय):

1. राज्य के हाईस्कूल में अध्ययनरत अनु.जाति एवं अनु.जनजाति की बालिकाओं को निःशुल्क सायकल प्रदान की जावेगी ।
2. योजना की हितग्राही लगभग 37500 बालिकाएं होगी । उपरोक्त कार्यक्रम में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त होगा एवं बालिकाओं की ड्रापआउट रेट में कमी आयेगी ।
3. सत्र 2004–05 में 35 लाख रूपये की 2320 सायकलें प्रदाय की गई ।
4. सत्र 2005–06 में रू. 5.53 करोड़ का प्रावधान है ।

7. छात्र दुर्घटना बीमा योजना :

वर्तमान में निःशुल्क सुरक्षा बीमा योजना लागू है । योजनान्तर्गत प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक प्रत्येक छात्र को निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है । प्रदेश के 58.26 लाख छात्र–छात्रायें इस योजना से लाभान्वित हैं । योजनान्तर्गत यूनाईटेड इनश्योरेंस से 50 छात्रों का क्लेम किया गया तथा 18 प्रकरण निराकरण हेतु शेष हैं । वर्तमान सत्र में जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से योजना की कार्यवाही प्रचलन में है । छात्र दुर्घटना बीमा योजना हेतु कापर्स फंड की स्थापना की गई है जिसके लिए 56.25 लाख रूपये का आबंटन स्वीकृत किया गया है । 16 जिलों को कॉपर्स फंड के तहत आंबटन जारी किया गया है ।

8. टाईपिंग बोर्ड :

लोक शिक्षण संचालनालय के अधीन शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है । परिषद द्वारा वर्ष में दो बार अंग्रेजी मुद्रलेखन शीघ्रलेखन, हिन्दी मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन की परीक्षा आयोजित की जाती है । वर्ष 2004–05 में कुल 7483 छात्र छात्रायें इन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं । सत्र 2005–06 में 30 परीक्षा केन्द्रों से हिन्दी टायपिंग परीक्षा हेतु 4900 अंग्रेजी टायपिंग हेतु 1311 एवं हिन्दी व अंग्रेजी स्टेनों हेतु क्रमशः 335 एवं 80 आवेदन प्राप्त हुए हैं । हिन्दी एवं अंग्रजी मुद्रलेखन परीक्षा हेतु 26 एवं 16 केन्द्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी स्टेनों परीक्षा हेतु 6 एवं 2 केन्द्र हैं ।

9. टाटपट्टी की व्यवस्था :

सत्र 2004–05 में प्राथमिक शालाओं में टाटपट्टी हेतु 80.00 लाख रू. का आबंटन प्राप्त हुआ । वर्ष 2005–06 में रू. 364.65 लाख की टाटपट्टियॉ प्राथमिक शालाओं में प्रदाय किया जाना है ।

10. राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति योजना :

1. सत्र 2005–06 में कक्षा 8 वीं में मेरिट में आए ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को जो कक्षा 9वीं में शासकीय शाला में अध्ययनरत हों, को प्रत्येक विकासखण्ड में 02 छात्रवृत्ति के मान से प्रत्येक विकासखण्ड के ग्रामीण छात्रों के मेरिट सूची के आधार पर 250 रू. प्रतिमाह की दर से कुल 292 छात्रवृत्तियॉ वितरित की जाएगी ।

2. कक्षा 10 वीं के मेरिट सूची के आधार पर कक्षा 11वीं में अध्ययनरत बच्चों को 300 रू. प्रतिमाह के मान से 177 छात्रवृत्तियॉ वितरित की जावेगी । उक्त योजना केन्द्रीय योजना है ।

11. हाईस्कूल व हायर सेकण्ड्री स्कूल में फर्नीचर व्यवस्था :

सत्र 2004–05 में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर हेतु 158.05 लाख रू. का प्रावधान किया गया था । सत्र 2005–06 में रूपये 680.00 लाख की लागत से उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के स्तर पर फर्नीचर प्रदाय किया जाना है । इस हेतु कार्यवाही प्रचलन में है ।

12. माडल स्कूल :

सत्र 2005–06 में कुल 15 मॉडल स्कूल प्रस्तावित है । मॉडल स्कूल हेतु 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है । शासन द्वारा 08 मॉडल स्कूल भवन निर्माण हेतु 369.53 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की जा चुकी है एवं आबंटन भी जारी किया जा चुका है । शेष 07 मॉडल स्कूल हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रिया में है ।

13. जर्जर भवन मरम्मत :

जर्जन शाला भवन मरम्मत हेतु लो.नि.वि. के बजट शीर्ष में रू. 15.00 करोड़ एवं स्कूल शिक्षा विभाग के बजट शीर्ष में 7.00 करोड़ का बजट प्रावधान है । संचालनालय द्वारा 2000 विद्यालय हेतु 1932.00 लाख का अनुमानित प्रस्ताव विद्यालयवार शासन को भेजा गया है । संचालनालय द्वारा 236 विद्यालयों का प्राक्कलन सहित प्रस्ताव 117.08 लाख का प्रशासकीय स्वीकृति हेतु भेजा गया है ।

14. शौचालय, पेयजल एवं किचन शेड :

वर्ष 2005–06 में लो.स्वा.यां.वि. के बजट शीर्ष में शौचालय हेतु रू. 7.00 करोड़ पेयजल हेतु रू. 3.00 करोड़ एवं किचन शेड हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के बजट शीर्ष में रू. 5.00 करोड़ बजट प्रावधान है । 11664 शालाओं में शौचालय निर्माण का प्रस्ताव की कार्यवाही प्रचलन में है । पेयजल व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रचलन में है । किचन शेड हेतु संचालनालय द्वारा सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को रू. 4.5 करोड़ का आबंटन जारी किया गया है ।

राजीव गांधी शिक्षा मिशन :

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा 2007 तक तथा 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा 2010 तक जनसहभागिता से उपलब्ध कराना है । वर्ष 2004–05 में 1148 नवीन प्राथमिक शाला 778 उच्च माध्यमिक शाला भवन खोले गये एवं 4652 शिक्षा गारंटी शाला का प्राथमिक शाला में उन्नयन किया गया । वर्ष 2004–05 में प्राथमिक शाला भवन 588, उच्च प्राथमिक शाला भवन 871 अतिरिक्त कक्ष 1526, संकुल स्त्रोत केंद्र भवन 189, प्रसाधन (टायलेट) 2789, स्वीकृत किए गए है ।शालाओं में 332, केन्द्रों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। वित्तिय

वर्ष 2005–06 में 50092 शिक्षकों को कुशल अध्यापन का प्रशिक्षण दिया गया है । तथा अब तक 2412823 बच्चों को निःशुल्क पुस्तक का वितरण किया गया है ।

आवासीय विद्यालय :– कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय (KGBV) की योजना अन्तर्गत 51 विद्यालयों में स्वीकृत किया गया है । जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी ।

सहेली शाला :– संकुलों में बालिकाओं के प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) के तहत ''सहेली शाला '' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है । जिसके तहत 990 संकूलों में बालिकाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान है ।

(15) एन.सी.सी

इसका मुख्य उद्देश्य महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र तथा छात्राओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित ट्रेनिंग पेटर्न के अनुसार जल, थल व वायुसेना का प्रशिक्षण देना है ।

प्रदेश के 58 महाविद्यालयों एवं 120 विद्यालयों में एन0सी0सी0 की गतिबिधियॉ संचालित की जाती है । वरिष्ठ संभाग के 4748 छात्र एवं कनिष्ठ संभाग के 42150 छात्रों को एन0सी0सी0 प्रशिक्षण दिया गया ।

वर्ष 2004–05 में जूनियर एवं सीनियर विंग हेतु 336.85 लाख रू. का प्रावधान था ।

स्वास्थ्य सेवायें

राज्य में एलौपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध चिकित्सा संस्थाओं को छोड़कर मुख्य रूप से 15 जिला चिकित्सालय, 116 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 515 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 14 शहरी सिविल अस्पताल, 16 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, 3818 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी जिला चिकित्सालय में स्थापित क्षय रोग केन्द्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं । इसके अतिरिक्त, सामानान्तर रूप से आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक के अन्तर्गत एक महाविद्यालय, 16 जिला आयुर्वेदिक हास्पिटल एक फार्मेसी, 690 आयुर्वेद यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालयों द्वारा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है ।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम :

वर्ष 2002 से विजन 2020 कार्यक्रम भारत शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2004–05 के लिए 80 हजार नेत्र ऑपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध 84388 आपरेशन किए गए जो लक्ष्य का 106 प्रतिशत है । इस वर्ष प्रदेश में ग्रामवार सर्वेक्षण कर मोतियाबिन्द दृष्टिहीन मरीज रजिस्टर्ड किए गए तथा पंजीकृत मरीजों का आपरेशन किया जा रहा है । आपरेशन हेतु दोनों आंखों में मोतियाबिंद के प्रकरण, महिलाएँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पहुँचविहीन क्षेत्रों के लोगो को प्राथमिकता दी जा रही है ।

छत्तीसगढ़ राज्य गठित होने के पश्चात अन्धत्व नियंत्रण कार्यक्रम में प्रतिवर्ष लगातार नेत्र आपरेशन की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम : पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सभी जिलों की टी.यू. एवं एम.सी. की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	डीटीसी	टी.यू	एम.सी	प्रोज. जनसंख्या (लाख में)
1	रायपुर	1	6	31	31.62
2	दुर्ग	1	7	27	29.94
3	राजनांदगांव	1	3	14	13.47
4	बिलासपुर	1	5	21	21.29
5	धमतरी	1	2	9	7.52
6	कांकेर	1	3	13	6.96
7	रायगढ़	1	3	17	13.51
8	कबीरधाम	1	2	8	6.25
9	जांजगीर–चांपा	1	3	12	14.06
10	महासमुन्द	1	2	9	9.19
11	कोरबा	1	4	17	10.81
12	जशपुर	1	3	16	7.90
13	जगदलपुर	1	5	27	13.92
14	कोरिया	1	3	12	6.25
15	दन्तेवाड़ा	1	3	12	7.68
16	सरगुजा	1	8	39	21.05

RNTCP संचालित सभी जिलों में जनवरी 2005 से जून 2005 तक डाट्स पद्धति में 44032 संभावित क्षय रोगियों का पता लगाया जा चुका है । इनमें से 4971 नये क्षय रोगियों के खखार धनात्मक पाये गये । डाट्स के अन्तर्गत 4574 ऋणात्मक तथा क्षय रोगी उपचाराधीन हैं । तथा 1043 एक्स्ट्रा पल्मोनरी सहित कुल 11773 क्षय रोगियों का उपचार किया जा रहा है । अब तब पंजीकृत 84 प्रतिशत उपचार दर से 6882 धनात्मक क्षय रोगियों सहित कुल 6508 रोगियों को क्षयमुक्त किया जा चुका है तथा 7479 रोगी पूर्ण उपचार प्राप्त कर चुके हैं ।

विवरण	1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक	1 अप्रैल 2005 से 30 जून 2005 तक
खखार की जांच की संख्या	86131	20784
धनात्मक रोगियों की संख्या	11482	2640
स्पूटम निगेटिव की संख्या	8979	2237
एक्स्ट्रा पल्मोनरी की संख्या	1759	501
माह के अन्त में उपचार रत कुल क्षय रोगी	22154	—

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कि समाज में छिपे सभी रोगियों को खोजकर उन्हे बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये ताकि रोग का प्रसार रूक जाये व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जाये ।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश की कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 थी, जो कि माह मार्च 2005 में 3.6 प्रति दस हजार रही । माह अगस्त 2005 के प्रारंभ में उपचाररत रोगी संख्या 8154 है जिन्हे नियमित बहुऔषधी उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है । माह सितम्बर 2005 में राज्य के 69 विकास खण्डों में ब्लाक लेप्रोसी एवेयरनेस केम्पेन गतिविधियॉ चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत उपचाररत प्रकरणों का सत्यापन एवं परामर्श एवं सघन प्रचार प्रसार द्वारा कुष्ट संबंधी जानकारी देकर लोगो में जागृति लाकर स्व–प्रेरणा से जांचकेन्द्र में आने हेतु अभियान चलाया जा रहा है ।

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम : परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करना है । इस हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति में मुख्य रूप से वर्ष 2010 तक प्रदेश में जन्म दर का स्तर 21 प्रति हजार जनंसख्या जो वर्तमान 25.3 प्रति हजार है तथा शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार जीवित जन्म तक लाये जाने हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एवं शिशु स्वास्थ्य संबर्धन कार्यक्रमों का पालन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है इसके अतिरिक्त सकल प्रजनन दर में अपेक्षाकृत कमी लाते हुए इसे 2.1 पर लाना है । गर्भ निरोघक साधनों के माध्यम से लक्ष्य दम्पति संरक्षण दर 65 प्रतिशत तक लाना है । वर्ष 2004–05 में यह दर राज्य स्तरीय माध्यमों से 60.94 प्रतिशत रही । जिसमें स्थायी गभनिरोधक साधनों से लक्ष्य दंपति संरक्षण दर 40.12 प्रतिशत रही ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में नसबंदी 124478 व्यक्तियों द्वारा कराई गई जोकि लक्ष्य का 106.54 प्रतिशत है । इसी तरह लूप निवेशन 103483 द्वारा अपनाई गई जोकि लक्ष्य का 88.36 प्रतिशत है । निरोध उपयोगकर्ताओं की संख्या 258248 रही जोकि लक्ष्य का 82 प्रतिशत है । इसी तरह ओपी उपयोगकर्ता 158166 रही जोकि लक्ष्य का 87.32 प्रतिशत है ।

मातृ एवं शिशु कल्याण अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में टी.टी. गर्भवती महिलाओं को 630905 दिये गये जोकि लक्ष्य का 95.78 प्रतिशत है । इसी तरह डी.पी.टी. पोलियों एवं मीजल्स के ड्राप/इन्जेक्शन 5 साल तक के बच्चों को लगाये गये । जिसमें डी.पी.टी. 583075 (98.65%) पालियो 583672 (98.75%) बीसीजी 600341 (101.57%) एवं मीजल्स 572890 (96.93%) प्रतिशत टीके./ड्राप दिये गये ।

पल्स पोलियों अभियान : राष्ट्रब्यापी पल्स पोलियों अभियान की सफलता का अन्दाज इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि विगत 3 वर्षो में एक भी धनात्मक प्रकरण प्रदेश में दर्ज नहीं हुआ है । पल्स पोलियों अभियान अन्तर्गत 4 जनवरी 2004, 22 फरवरी 2004, 4 अप्रैल 2004, 10 अक्टूबर 2004, 21 नवम्बर 2004, 10 अप्रैल 2005 एवं 15 मई 2005 को सभी पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियों ड्राप पिलाये गये । यह उपलब्धि सभी चरणों में 99.75 प्रतिशत रही ।

मितानिन व दवा पेटी योजना : राज्य का एक अनूठा अभिनव समुदाय आधारित कार्यक्रम मितानिन है जिसके माध्यम से हर मजरे/टोले में स्वंय सेवी मितानिने स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पूर्ण सजगता से कार्यरत है । इस हेतु दवा पेटी योजना का समावेश करते हुए हर मितानिन को 15 अगस्त 2005 से दवा पेटियॉ प्रदाय की जा रही है ।

जननी सुरक्षा योजनाः यह योजना मौजूदा राष्ट्रीय मातृत्व योजना (एनएमबीएस) के संशोधन के रूप में प्रारंभ की गई है जिसके तहत मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु बीपीएल परिवारों में संस्थागत प्रसवों में वृद्धि करना है । इस वर्ष 32 प्राथमिक इकाईयों को आपात प्रसूति सेवाओं हेतु तैयार किया जा रहा है । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों के स्वास्थ्य को बेहतर स्वरूप हेतु 874 नये उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना राज्य के विभिन्न ग्रामों में की जा रही है ।

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य मलेरिया की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है । अतः विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1997 से आदिवासी प्राथमिक स्वा. केन्द्रों में ई.एम.सी.पी. एवं शेष प्राथ. स्वा. केन्द्रो में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण किया जा रहा है ।

राज्य में मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004 में 2951275 स्लाइड (रक्त पट्टी) का मलेरिया हेतु परीक्षण का लक्ष्य था जिसमें उपलब्धियॉ 3584059 स्लाइड की रही । इस परीक्षण में 186056 पॉजिटिव पाई गयी जिसमें से 142867 पैल्सीफैरम मलेरिया पाए गए जो पिछले वर्ष 2003 की तुलना में कम है । पिछले वर्ष मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु हुई थी जो वर्ष 2004 में 6 हो गई है । सिलेक्टिव वेक्टर कन्ट्रोल के अन्तर्गत कीटनाशक दवा का छिड़काव जैविक नियंत्रण व्यक्तिगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है । दवा छिड़काव के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों में डीडीटी एवं कांकेर, दन्तेवाड़ा एवं जगदलपुर में सिन्थेटिक पायरेथ्राइड का छिड़काव किया जा रहा है । वर्ष 2003 में लिए 600 मीट्रिक टन डीडीटी एवं 85 मेट्रिक टन सिन्थेटिक पायरेथ्राइड का छिड़काव किया गया ।

जैविक नियंत्रण हेतु लार्वा भक्षी गम्बूजिया मछली का पालन एवं वितरण किया जाता है जिसके लिए 6327 हैचरी गावों में बनाई गई है ।

व्यक्तिगत सुरक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2003 में 70000 मच्छरदानियॉ निःशुल्क बांटी गई है । वर्ष 04 में 230000 मच्छरदानियॉ निःशुल्क भारत शासन से प्राप्त हुई जो वितरित की गई । वर्ष 05 के लिए 430000 मच्छरदानियों का आबंटन प्राप्त हुआ है ।

राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम : मेडिकल कालेज रायपुर एवं बिलासपुर में जोनल ब्लड टेस्टिंग सेन्टर मेजर ब्लड बैंक कार्यरत हैं, राज्य के 9 जिलों में ब्लड बैंक हैं एवं राज्य के सभी जिले में एस.टी.डी. क्लीनिक कार्यरत है जहॉ यौन रोगों के जांच के लिए महिला एवं पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सुविधा उपलब्ध है । वर्तमान में राज्य में 12 सेटीनल सर्वेलेंस साइटस कार्यरत हैं । परिवार एवं स्वास्थ जागरूकता अभियान 6 जून से 12 जून 2005 तक चलाया गया । यहॉ 49175 आर.टी.आई/एस.टीआई रोगियों को चिकित्सा उपलब्ध कराई गई एवं परामर्श दिये गये । वर्ष 2005–06 में 16 और नये स्वेच्छिक परामर्श जॉच केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त हो गया है ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

जल प्रदाय एवं स्वच्छता

वर्ष 1993–94 के सर्वेक्षण अनुसार चिन्हित राज्य की कुल 54.81 हजार बसाहटों–ग्राम/मजरे/पारे/टोले में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया । केन्द्रशासन के निर्देशानुसार 2003 में पुनः सर्वेक्षण किया गया है । इसके अनुसार कुल 72.77 हजार बसाहटें चिन्हित की गई है ।

स्त्रोत विहीन बसाहटों एवं आंशिक पूर्ण बसाहटों में वर्ष 2005–2006 के अन्तर्गत 6.54 हजार बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जिसके विरूद्ध माह जुलाई 2005 तक 3960 बसाहटों तथा 717 शालाओं में कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

नल–जल योजना : नल–जल योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय गतिवर्धित कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है । पच्चीस लाख रूपये से अधिक लागत की योजनाऍ बजट में स्क्रूटनाईज मद तथा 25 लाख रूपये से कम लागत की योजनाओं को विभागीय बजट के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है । इस प्रकार प्राप्त 1042 स्वीकृत प्रकरणों में से 823 योजनायें पूर्ण की जाकर संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं । 95 योजनायें आंशिक रूप से पूर्ण हैं जिनसे

ग्रामवासियों को पेयजल प्रदाय किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 90 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है ।

स्पॉट सोर्स योजना :– नल जल योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 637 स्पॉट सोर्स स्कीम स्वीकृत हैं जिनमें से 442 योजनाओं को पूर्ण कर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को उनके संधारण का दायित्व सौंपा गया है तथा 92 अपूर्ण योजनाओं पर शासन द्वारा कार्य कराया जा रहा है ।

गॉव गंगा योजना : राज्य गठन के पश्चात माह नवम्बर 2000 में योजना की घोषणा की गई थी जिसमें प्रत्येक विद्युतीकृत ग्राम में एक निस्तारी तालाब को नलकूप पर पंप लगाकर भरने का प्रावधान था । इस योजना का क्रियान्वयन गत वर्ष अल्प वर्षा के कारण उत्पन्न सूखा एवं निस्तारी/पेयजल समस्या से निपटने के लिये हर संभव प्रयास प्राप्त आवंटन के माध्यम से किया गया । शासन के निर्णय के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त विभागीय आवंटन तथा पंचायतों की मूलभूत राशि से योजनाओं का क्रियान्वयन मिलजुलकर किया गया । इस प्रकार 8569 योजनाएॅ पूर्ण की गई ।

भू–जल संवर्धन कार्यक्रम : भू–जल संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत 9730 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल के वाटर शेड हेतु भू–जल पुर्नभरण एवं वर्षाजल संचयन कार्यो की कुल 78 योजना में लागत रूपये 3272.415 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है । इसके अतिरिक्त 89 योजनाओं के प्रस्ताव जिसके अन्तर्गत 2950 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल है की योजनाएं भी तैयार की जा चुकी है । इसके निरंतर में मार्च 2005 मे अतिरिक्त 13500 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में वाटर शेड की योजनाओं हेतु सर्वेक्षण एवं रूपांकन कार्य प्रगति पर है ।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम :–

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नानुसार 07 जिलों के लिए जनभागीदारी से क्रियान्वित की जाने वाली सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजनाओं की स्वीकृति जारी की गई है :–

क्र.	जिला	योजना की लागत (रू. लाखों मे)
1	दंतेवाड़ा	777.20
2	महासमुन्द	871.55
3	राजनांदगांव	1080.00

क्र.	जिला	योजना की लागत (रू. लाखों मे)
4	दुर्ग	1147.64
5	रायपुर	2720.00
6	बिलासपुर	2580.00
7	कोरबा	1499.81
	कुल	**10676.20**

योजना की उपलब्धि निम्नानुसार है :–

1	शालाओं स्वच्छता परिसर	1606
2	महिला स्वच्छता परिसर	08
3	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की स्थापना	20707

स्वजलधारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना कार्यक्रम :

स्वजलधारा .I

स्वजलधारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना कार्यक्रम के तहत राज्य के निम्न जिलों के लिए योजनाओं की स्वीकृति केन्द्र शासन से प्राप्त हो चुकी है ।

क्र	जिला	योजनाओं की संख्या	योजनाओं की लागत (रूपये लाख में)	पूर्ण योजनाएँ
1	कोरबा	28	122.19	19
2	जांजगीर–चांपा	33	82.84	08
3	जशपुर	65	92.81	47
4	कवर्धा	08	12.49	02
5	रायपुर	19	48.92	–
6	धमतरी	20	70.86	–
7	महामुन्द	16	25.90	–
8	बस्तर	20	23.99	–
9	कोरिया	10	19.36	–
10	रायगढ़	40	28.80	04
11	राजनांदगांव	26	47.81	–
12	दन्तेवाड़ा	02	17.20	–

क्र	जिला	योजनाओं की संख्या	योजनाओं की लागत (रूपये लाख में)	पूर्ण योजनाएँ
13	सरगुजा	10	4.80	—
14	बिलासपुर	15	26.60	—
	योग	312	624.57	80

स्वजलधारा II

क्र.	जिला	योजना की संख्या	योजना की लागत (रू. लाखों में)	पूर्ण योजनाएँ
1	दुर्ग	1746	4000.00	1746
	कुल (I+II)	2058	4624.57	1826

शहरी क्षेत्र : राज्य में कुल 110 शहर/नगर है । इनमें से 14 शहरों में 08 जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण है तथा 06 जल प्रदाय योजना के कार्य प्रगति पर है । केन्द्रीय गतिवर्धित नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत 40 नगरों की पेयजल योजनाओं की प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति में से 14 नगरों की योजना का कार्य पूर्ण तथा 06 में 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर जलपद्राय प्रारंभ कर दिया एवं 20 नगरों में कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय गतिवर्धित नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से 02 नगर की योजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई हैं । प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

तकनीकी शिक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 15 इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा 10 पॉलिटेक्निक संस्थायें है । 15 इन्जीनियरिंग महाविद्यालय में 03 शासकीय 09 निजी एवं 03 स्वशासी स्ववित्तीय संस्थायें है । हाल में ही शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर को नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी का दर्जा प्राप्त हुआ है । इसके अलावा 06 निजी संस्थायें फार्मेसी विषय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रही हैं । इन महाविद्यालायें में 4670 तथा 1805 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है । इन महाविद्यालयों में इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, इलेक्ट्रानिक्स, टेली–कम्यूनिकेशन, बायोटेक, बायो मेडिकल, कम्प्यूटर साइंस, एवं परम्परागत

पाठ्यक्रम– सिव्हिल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कैमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम– इनर्जी, वाटर रिसोर्स एवं कम्प्यूटर टेक्नालाजी के कोर्स संचालित है ।

वर्ष 2005–2006 की विभागीय योजना हेतु रू. 1851.91 लाख प्रावधानित है तथापि रू. 1003.05 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है । इसमें स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय हेतु रू. 200.00 लाख का अनुदान, किरोड़ीमल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी रायगढ़ हेतु रू. 125.00 लाख का अनुदान, शासकीय इन्जीनियरिग, महाविद्यालयों हेतु उपकरण के लिए रू. 563.05 लाख तथा शासकीय पालिटेक्निक संस्थाओं में उपकरण खरीद हेतु रू. 50.00 लाख स्वीकृत किया गया है ।

प्रदेश में वर्ष 2005–06 हेतु शासकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर में दो अतिरिक्त विभाग इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग एवं सिविल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं । शासकीय पालीटेक्निक अंबिकापुर में कम्प्यूटर साईंस एवं इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीक्म्यूनिकेशन के नये पाठ्यक्रमों के साथ शासकीय पालीटेक्निक कोरबा में भी इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीक्म्यूनिकेशन के नये पाठ्यक्रमों की अनुमति दी गई है ।

उच्च शिक्षा

1. छत्तीसगढ़ राज्य के 116 शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 81658 हजार छात्र छात्रायें अध्ययनरत हैं जिसमें लगभग 11 हजार छात्र अनुसूचित जाति तथा 15 हजार छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं एवं लगभग 32 हजार अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र हैं ।

2. 10 शासकीय महाविद्यालयों को उत्कृष्टता मूलक संस्थान घोषित किया जा रहा है । इसी प्रकार 5 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है । तथा दो महिला महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है ।

3. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को विज्ञान संस्थान के रूप में उन्नत किया जा रहा है एवं 17 शासकीय महाविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं ।

4. निर्विरोध छात्रसंघ चुनाव वाले महाविद्यालय को प्रति महाविद्यालय 1.00 लाख रू. अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में 50 अशासकीय एवं 24 शासकीय महाविद्यालयों को अनुदान दिया गया ।

5. 13 भवनहीन महाविद्यालयों में भवन निर्माण योजना अन्तर्गत रू. 835.00 लाख का बजट आबंटन है । साथ ही 23 महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रू. 25.00 लाख का आबंटन पी.एच.ई. विभाग को दिया गया है ।

1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध एवं 50 वर्ष या अधिक आयु का निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों को 150 रू. मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है । गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो, को पेंशन की पात्रता है । पेंशन की पात्रता केवल राज्य के निवासियों के लिये ही है । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2005–2006 में 3228.05 लाख रू. की राशि कुल 399523 हितग्राहियों को वितरित की गई ।

1.2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : राज्य शासन द्वारा जुलाई, 1996 से संचालित भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राज्य द्वारा क्रियान्वित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का एकीकरण किया जाकर युक्तियुक्तकरण किया गया है । फलस्वरूप, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 150 रूपये प्रति माह एकमुश्त पेंशन दी जा रही है । राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2005–2006 में रू. 798.18 लाख, 177262 हितग्राहियों को भुगतान किया गया ।

1.3 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 10,000 रू. दिये जाते हैं । भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है । इस योजनान्र्तगत वर्ष 2005–2006 में 5368 हितग्राहियों को 536.80 लाख की सहायता प्रदान की गई है ।

1.4 सुखद सहारा योजना :– इसके अन्तर्गत 18–50 वर्ष तक की विधवा/परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं को 150 रूपये प्रतिमाह–पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है । वर्ष 2005–2006 में 31937 हितग्राहियों को राशि रू. 1462.03 लाख का भुगतान किया गया है ।

2. निःशक्त कल्याण

निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं :–

1. शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अस्थि वाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विद्यालय संचालित हैं । मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, व बिलासपुर में विद्यालय संचालित हैं । इन स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 में राशि रू. 25.35 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

2. निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– वित्तीय वर्ष 2005–2006 में इस मद में राशि रू. 31.55 लाख की छात्रवृत्ति निःशक्त हितग्राहियों को वितरित की गई ।

3. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों को ट्रायसिकल, बैसाखी, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बेंत की छड़ी आदि उपलब्ध कराये जाते हैं । इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5000 मासिक साथ ही रू. 5000 से अधिक एवं रू. 8000 तक आय सीमा होने पर संबधित हितग्राही को भारत सरकार की सहायक यंत्र उपकरणो की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग की सहायता योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि की पूर्ति की जाती है । वर्ष 2005–06 में रू. 14.05 लाख की राशि राज्य मद से व्यय की गई ।

4. समाज रक्षा कार्यक्रम : किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत विधि अवरूद्ध बच्चों हेतु राज्य में रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर, राजनांदगावं में व दुर्ग जिले में संप्रेक्षण गृह तथा बालिका संप्रेक्षण गृह संचालित है । रायगढ़ तथा उक्त जिलों में इन बच्चों के लिए परिवीक्षा सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं । वित्तीय वर्ष 2005–06 में इस योजना पर रू. 41.00 लाख व्यय किये गये ।

राज्य में समाज रक्षा कार्यक्रम के तहत नशामुक्ति को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार एवं जनचेतना विकसित करने की व्यवस्था की गई है तथा इस संबंध में राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में नशामुक्ति मंडल का गठन किया गया है । वित्तीय वर्ष 2005–06 में नशामुक्ति कार्यक्रम पर राशि रू. 8.63 लाख व्यय किया गया । नशामुक्ति को बढ़ावा देने के लिए विभाग के अन्तर्गत कला पथक दल गठित है, जो लोकगीत एवं

सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जन–जन तक शासन की इस योजना व अन्य योजनाओं हेतु प्रचार प्रसार करते हैं ।

5. निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : 18 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं तथा 21 से 45 वर्ष के निःशक्त व्यक्तियों के लिए लागू है । वर्ष 2005–06 में 100 जोड़ों को सहायता राशि प्रदान किए जाने का लक्ष्य है । इस हेतु 21.00 लाख रू. का बजट प्रावधान रखा गया है । प्रोत्साहन की राशि 21000 रू. है । इस योजनान्तर्गत अब तक 30 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

6. निःशक्तजन पुरस्कार योजना : भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 03 दिसम्बर को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है । राज्य शासन द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों को गति प्रदान करने, प्रोत्साहित करने, सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट निःशक्त व्यक्ति प्रति विगलांगता 5001 रू. एवं निःशक्तता के नियोक्ता 10,000 रू. उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन के लिए 5000 रू. दिये जाते है । इस योजना हेतु वर्ष 2005–06 में 1.45 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । 3 दिसम्बर 2005 को 9 पुरस्कार वितरित किए गए हैं ।

7. बालिकाओं के विशेष विद्यालय : श्रवण वाधित एवं बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए धमतरी एवं सरगुजा में 02 विशेष विद्यालय क्रमशः श्रवण बाधित बालिकाओं एवं बौद्धिक मंदतावली बालिकाओं के लिए स्थापित किए गए हैं । इस वित्तीय वर्ष में 36.70 लाख रू. स्वीकृत किये गये है । इन विद्यालयों के माध्यम से बालिकाओं को निःशुल्क भोजन वस्त्र, शिक्षण–प्रशिक्षण उपलब्ध कराई जायेगी ।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

वर्ष 2004–2005 के अन्तर्गत कक्षा तीन से दस तक के 358591 विद्याार्थियों को राज्य छात्रवृति तथा 65608 विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृति वितरित की गई । इसके अतिरिक्त अस्वच्छ धंधों में लगे परिवारों के 14379 बच्चों को प्री–मैट्रिक छात्रवृति प्रदाय की गई । कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 18106 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया । इसी अवधि में 5358 को छात्रावास शिष्यवृत्ति 845 छात्रों को आश्रम शिष्यवृति का

वितरण किया गया है । अत्याचार अधिनियम के 526 प्रकरणों में राहत दी गई तथा 14 अर्न्तजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है ।

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

शालेय शिक्षा : राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा कनिष्ठ प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालाऍं, संचालित की जा रही हैं ।

छात्रावास एवं आश्रम शालाएं : अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के लिये विभाग द्वारा वर्तमान में 780 प्री–मेट्रिक, 74 मैट्रिकोत्तर छात्रावास तथा 758 आश्रम शालाएं संचालित की जा रही हैं । हाईस्कूल तक के छात्रावासी छात्रों को शिष्यवृति 350 रूपये तथा छात्राओं को 360 रूपये प्रतिमाह की पात्रता निर्धारित की गई है ।

एकीकृत आदिवासी विकास योजनायें : छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष केन्द्रीय सहायता से 19 वृहद् परियोजनाऐं, 09 मांड़ा पाकेटस्, 02 लघु अंचल एवं 06 विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण संचालित किये जा रहे हैं जिनके द्वारा वर्ष 2004–2005 की अवधि में 3461 विकास कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 2809 कार्य पूर्ण तथा शेष प्रगति पर हैं ।

छात्रवृत्तियॉं : अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखने के लिये राज्य छात्रवृत्ति एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है । महिला साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं को कक्षा तीन एवं बालकों को छठवीं से दसवीं कक्षा तक राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता है । इस योजना से वर्ष 2004–05 में 658660 विद्यार्थी लाभान्वित हुए । 28497 विद्यार्थियों को छात्रावास शिष्यवृत्ति, 42088 विद्यार्थियों को आश्रम शिष्यवृत्ति तथा छात्रवृत्ति प्रदाय की गई है ।

परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित छात्र–छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति शासन द्वारा किये जाने का प्रावधान है । वर्ष 2004–2005 में 7999 छात्र–छात्रायें इस योजना से लाभान्वित हुए हैं ।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना:– पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होने तथा कक्षा छठवीं में नियमित प्रवेश पाने पर 500 रू. की प्रोत्साहन राशि अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को दो समान किस्तों में उपलब्ध कराने की योजना है । इसके अन्तर्गत वर्ष 2004–2005 में

33024 छात्रायें लाभान्वित हुई हैं । इस योजना पर 2004–05 में रू. 157.00 लाख रू. व्यय किए गए हैं ।

अशासकीय संस्थाओं को अनुदान : अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिये कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2004–2005 में 33 अशासकीय संस्थाओं को 1226.68 लाख रूपये का अनुदान दिया गया है ।

सामूहिक विवाह योजना :–निराश्रित, साधनहीन तथा आकस्मिक/संकटापन्न स्थिति की कन्याओं के सामूहिक विवाह पर प्रति जोड़ा 1500 रू. राशि व्यय करने का प्रावधान है ।

मध्यान्ह भोजन योजना : ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन की यह योजना सभी आदिवासी प्राथमिक विद्यालयों में संचालित है । वर्ष 2003–2004 के अन्तर्गत 1215104 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं तथा वर्ष 2004–05 में 1141487 छात्र छात्राओं के मध्यान्ह भोजन के लिए 2233.55 लाख रू. की राशि व्यय की गई है ।

अत्याचार अधिनियम अन्तर्गत राहत कार्यक्रम : वर्ष 2003–04 में सवर्णो के अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जनजाति के 299 व्यक्तियों को रू. 92.38 लाख सहायता प्रदान की गई है । वर्ष 2004–05 में 526 अनु.जनजाति वर्ग के लोगो को सहायता दी गई है ।

महिला एवं बाल विकास

बच्चों का समुचित शारीरिक, मानसिक एवं बौद्विक विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार के साथ–साथ महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, पोषण की स्थिति में सुधार लाने तथा इन्हें अपने हित के प्रति जागरूक करने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित मुख्य राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं ।

पोषण आहार कार्यक्रम :

छत्तीसगढ़ राज्य में महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत कुल 152 बाल विकास परियोजनाएं हैं । इनमें से 50 (ग्रामीण) परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था, 06 (शहरी) परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था पोषण आहार कार्यक्रम संचालित है, शेष 96 (ग्रामीण) परियेाजनाएं केयर पोषित है । इनमें भारत शासन स्तर पर गठित जी.ई.ए.सी. कमेटी का क्लियरेंस प्राप्त न होने से केयर खाद्यान्न प्रदाय में उत्पन्न व्यवधान के कारण वैकल्पिक

व्यवस्था के तहत भारत शासन के निर्देशों के आधार पर राज्य शासन द्वारा तत्काल निर्णय लिया जाकर खाद्यान की स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि हितग्राही बच्चे एवं महिलाएं पोषण आहार कार्यक्रम से वंचित न रहने पायें । वर्तमान में 146 (ग्रामीण) बालविकास परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत दलिया तथा 6 शहरी परियोजनाओं एवं 2 विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत रेडी टू ईट पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है । योजनान्तर्गत 152 बालविकास परियोजनाये है जिसमें 20289 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं । लगभग 6 माह से 6 वर्ष के आयु तक के 14.42 लाख बच्चों तथा 3. 49 लाख गर्भवती–शिशुवती माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है । वर्ष 2004–05 में पोषण आहार कार्यक्रम पर कुल 5545.90 लाख रू. व्यय किये गये हैं ।

आयरन फोर्टिफाईड साल्ट

प्रदेश में महिला एवं बच्चों में आयरन की कमी होने के कारण एनिमियां का प्रतिशत अधिक है अतः भारत शासन द्वारा आयरन फोर्टिफाईड साल्ट का उपयोग किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के पश्चात अप्रेल 2003 से प्रदेश की 146 ग्रामीण बाल विकास परियोजनाओं में आयरन फोर्टिफाईड साल्ट का प्रदाय किया जा रहा है, जिससे लगभग 14 लाख हितग्राही महिलाओं एवं बच्चों को लाभ हो रहा है । वर्ष 2004–05 में आयरन फोर्टिफाईड साल्ट पर 507.54 लाख रू. व्यय हुआ था ।

नेशनल न्यूट्रीशन मिशन/मिनीमाता पोषण आहार :–

भारत शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 35 किलोग्राम से कम बजन की 11 से 19 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को प्रतिमाह छः किलो अनाज (चावल) प्रति हितग्राही के मान से प्रदाय किया जा रहा है । हितग्राहियों की सूची को ग्रामसभा से अनुमोदन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं । वर्ष 2004–05 में योजनान्तर्गत 203.12 लाख की राशि व्यय की गई है ।

स्वयं सिद्धा (एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम) : राज्य स्थापना के पश्चात प्रदेश के 17 विकास खण्डों में स्वयंसिद्धा परियोजना प्रारंभ की गई है । जिसमें एक अशासकीय संस्था के रूप में जिला साक्षरता समिति दुर्ग द्वारा गुण्डरदेही विकास खण्ड में कार्य संचालित किया जा रहा है । स्वंयसिद्धा योजना के अन्तर्गत राज्य संचालित 17 विकास खण्डों में कुल 1708 स्व–सहायता समूह गठित है जिसकी सदस्य संख्या 21843

है । माह जून 2005 की स्थिति में सभी 1708 समूहों के पास कुल रू. 157.57 लाख की राशि जमा है । 1501 समूह इन्टरलोनिंग कर रहे हैं । जिनकी इन्टरलोनिंग की राशि 68.91 लाख रू. है । 741 समूह बैंक लिंकेजेस से एवं छत्तीसगढ़ महिला कोष से रू. 71.88 लाख की सहायता दी गई है । जिससे लगभग 1321 समूहो द्वारा जिसमें 12958 महिलाओं के विभिन्न आय उपार्जक गतिविधिया प्रारंभ कर दी गई है ।

छत्तीसगढ़ महिला कोष :–

महिलाओं को ऋण/आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की योजनाओं का संवर्धन, पोषण और उनमें सहायता देना सम्मिलित है । वर्तमान में महिला कोष द्वारा 2516 महिला स्व–सहायता समूहों को रू. 12749500 ऋण के रूप में उपलब्ध कराये गये । कोष द्वारा जारी ऋण वितरण नीति के अनुसार प्रत्येक समूह को प्रथम क्रम 5000/– रू. तक का ऋण तथा सफलता पूर्वक भुगतान पश्चात 20000 रू. तक एक मुश्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान है । जोकि शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्र में प्रभावशील है । प्रदत्त ऋण पर स्व–सहायता समूह से 8 प्रतिशत एवं अशासकीय समिति से 10 प्रतिशत ब्याज गणना का प्रावधान है ।

ऋण वितरण हेतु जिला स्तर पर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को छत्तीसगढ़ महिला कोष का पदेन प्रबंधक घोषित किया गया है । प्रत्येक जिले में जिलाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में ऋण वितरण समिति का गठन किया गया है जोकि समूह को ऋण दिये जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम है ।

दहेज प्रतिषेध :

दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम–2004, 31 मार्च 2004 को लागू किया गया है । प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तर पर मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी तथा जिला स्तर पर दहेज प्रतिषेघ अधिकारी नामांकित किये गये है। प्रदेश में अधिनियम/नियम के क्रियान्वयन हेतु वित्त वर्ष 2005–06 के लिए 14.00 लाख रू. का बजट प्रावधान दहेज प्रतिषेघ प्रकोष्ठ के लिये किया गया है ।

दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य दहेज के खिलाफ तथा दहेज की रोकथाम के लिये स्थानीय लोगों के माध्यम से जन–जागरण तथा प्रचार–प्रसार करना है । इसी प्रकार प्राप्त

शिकायतों पर नियमानुसार शालीनतापूर्ण एवं गोपनीयतापूर्ण ढंग से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना है, जिससे पारिवारिक संबंधों की प्रतिष्ठा एवं समरसता बनी रहे ।

दहेज प्रतिषेध नियम में दहेज प्रतिषेध अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के संदर्भ में प्राप्त शक्तियों के प्रयोग की सीमा एवं शर्ते उल्लेखित है ।

किशोरी शक्ति योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में समस्त 152 बाल विकास परियोजनाओं में इस योजना को लागू किया गया इससे 37200 किशोरी बालिकाओं को को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया । सामाजिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ स्व–सहायता समूह के तर्ज पर किशोरी बालिका समूह का गठन, गांवो में बाल विकास के नारे लेखन, कुपोषित बच्चों की देखभाल इत्यादि कार्य भी योजनान्तर्गत किए गये ।

आयुष्मति योजना : (राजीव जीवन रेखा योजना में समाहित)

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । जिसके अन्तर्गत जिला/मेडिकल कालेज अस्पताल/खण्ड चिकित्सालयों में रोगी महिलाओं को एक सप्ताह तक उपचार हेतु भरती रहने पर 400 रू. तक तथा एक सप्ताह से अधिक भरती रहने पर 1000 रू. तक की चिकित्सा सुविधा के तहत इलाज दवायें टानिक एवं पोषण आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है । यह अस्पताल में मिलने वाली निःशुल्क दवाओं के अतिरिक्त है । रोगी महिला के साथ आए परिचारक को भी सुविधाजनक विश्राम तथा दो समय के भोजन की सुविधा दी जाती है ।

वर्ष 2004–2005 में 15527 महिलाएं लाभान्वित की गई हैं जिन पर 53.53 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2005–06 में जुलाई 2005 तक 2309 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तथा 4.21 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

बालिका समृद्धि योजना :

योजना के अन्तर्गत 15 अगस्त 1997 के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में जन्मी दो बालिकाओं के जन्म पर उनके नाम से 500 रूपये की सहायता

राशि को फिक्सड् डिपाजिट किया जाता है । यह राशि बालिका एवं विभागीय अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा की जाती है । बालिका के 18 वर्ष की होने पर ब्याज सहित यह राशि उसे प्रदान की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत बालिका छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है ।

वर्ष 2004–2005 में 18259 बालिकाएं लाभान्वित की गई हैं जिन पर 89.95 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2005–06 में जुलाई 2005 तक 115 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है ।

दत्तक पुत्री शिक्षा योजना :

योजनान्तर्गत प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रू. 300.00 प्रति वर्ष तथा माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रू. 400.00 प्रतिवर्ष की सहायता जो कि नगद राशि के अलावा कपड़े, पुस्तक आदि के रूप में दी जा सकती है, उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2004–05 में 40453 बालिकाएं लाभान्वित हुई है तथा वर्ष 2005–06 में जुलाई 2005 तक 26394 बालिकाएं लाभांन्वित हुई हैं ।

महिला जागृति शिविर :–

ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला स्तर पर महिला एवं वाल विकास विभाग द्वारा महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है । इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्ध महिलाओं को जागृत व संगठित करना है । वित्तीय वर्ष 2004–05 में 1006 जाग्रति शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें 5.15 लाख महिलायें लाभान्वित हुई हैं तथा इन शिविरों पर राशि रू. 53.02 लाख का व्यय हुआ है । वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये 66.00 लाख रू. का बजट के विरूद्ध माह जुलाई 2005 तक 50 शिविरों का आयोजन कर 0.30 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है ।

स्वेच्छिक संस्थाओं को अनुदान :

राज्य में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक स्वयं सेवी संस्थाओं को विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । उदाहरण के लिये बालवाड़ी, झूलाघर, अनाथालय, सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन आदि ।

वित्तीय वर्ष 2004–2005 में 37 स्वयं सेवी संस्थाओं को रू. 27.52 लाख का अनुदान दिया गया है । तथा इस अनुदान से इन स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा 4712 हितग्राही लाभान्वित किये गये है । वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान देने हेतु 41.75 लाख रू. का बजट प्रावधान किया गया है ।

नारी निकेतन :

अनाथ, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, व परित्यक्ता नारियों को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए प्रदेश में तीन नारीनिकेतनों का संचालन किया जा रहा है । ये नारी निकेतन–रायपुर, सरगुजा एवं दन्तेवाड़ा में संचालित हैं संस्था में नारियों के निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है ।

वर्ष 2004–05 में 43 महिलाएं लाभान्वित की गई हैं, जिन पर 20.43 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2005–06 में जुलाई 2005 तक 21 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तथा 7. 25 लाख रू. व्यय किए गए हैं ।

शासकीय झूला घर :

निम्न/मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के छः माह से छः वर्ष आयु तक के बच्चों की देखभाल के लिए प्रदेश में शासकीय झूलाघर बिलासपुर एवं रायपुर में संचालित हैं ।

वर्ष 2004–2005 में 50 बच्चों को लाभान्वित किया गया है जिन पर 4.45 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2005–06 में जुलाई 2005 तक 50 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं तथा 1.26 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

मातृकुटीरः–

मातृ (धात्री मॉ) कुटीर नामक संस्था राजनांदगांव तथा बिलासपुर में संचालित की जा रही है । संस्था में 3 से 4 अनाथ बच्चों को तथा निराश्रित एक महिला को एकसाथ परिवार के रूप में गठित कर पारिवारिक वातावरण में मॉ व बच्चें के निःशुल्क परिपालन, पोषण एवं बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल आदि की सुविधा मुहैया करायी जा रही है । बच्चे वयस्क होने और स्थापित होने तक संस्था में रहते हैं ।

वर्ष 2004–05 में 5 बच्चे लाभान्वित किए गए हैं । जिन पर 88.54 हजार रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2005–06 में जुलाई 2005 तक 08 बच्चे लाभान्वित हुए है तथा 11731 रू. व्यय किए गए ।

छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना : प्रदेश के निर्धन परिवारों की आवश्यकताओं को देखते हुए योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को प्रति कन्या 4000.00 रू. तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में देय होगी । जो कन्या की आवश्यकतानुसार सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए 1000 रू. तक व्यय की जा सकेगी । इस तरह प्रति कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 5000 रू. की सहायता राशि देय होगी ।

वर्ष 2005–06 के लिए योजनान्तर्गत 250.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है ।

बाल संरक्षण गृह :

वर्ष 2004–2005 में 185 बच्चे लाभान्वित किए गए हैं । जिन पर 38.40 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2005–06 में जुलाई 2005 तक 195 बच्चे लाभान्वित हुए है तथा 12.78 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

बालवाड़ी सह संस्कार केन्द्र :

वर्ष 2004–2005 में 65 बच्चे एवं 30 महिलाएं लाभान्वित की गई है, जिन पर 3.95 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2005–06 में जुलाई 2005 तक 65 बच्चे एवं 40 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं तथा 1.42 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

राज्य महिला आयोग :–

प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके हितों की देखभाल, व उनका संरक्षण करने महिलाओं के प्रति भेदभावमूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हे विकास के समान अवसर दिलानेमहिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है ।

स्वयं सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण :–

महिलाओं को संगठित करने, उन्हें समूह में छोटी–छोटी बचत करने एवं अपनी छोटी–मोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन करने के लिये सक्षम

बनाने में सहयोग प्रदान करने हेतु तथा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्व–सहायता समूह का गठन प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है । मार्च 2005 की स्थिति में प्रदेश में विभाग द्वारा कुल 66410 महिला स्वसहायता समूह गठित किए गये हैं जिनके माध्यम से लगभग 8.02 लाख महिलायें संगठित हुई हैं । समूह के सदस्यों द्वारा अब तक लगभग रू. 21.59 लाख की राशि जमा की गई है । 53169 समूहों द्वारा बैंक में खाता खोला गया है ।

अध्याय–15

सहकारिता

राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक : वर्ष, 2004–2005 में बैंकों की संख्या छः है । जिनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 198 है ।

वर्ष 2004–2005 में बैंकों की अँशपूंजी घटकर 5201.10 लाख रू. हो गई जिसमें राज्य शासन का अंशदान 505.24 लाख रूपये रहा । वर्ष 2003–2004 में बैंकों की अमानतें एवं कार्यशील पूँजी क्रमशः 129337.53 लाख रूपये एवं 150966.90 लाख रूपये थी जो वर्ष 2004–2005 में क्रमशः 9.03 प्रतिशत एवं 14.17 प्रतिशत बढ़कर 141025.46 लाख़ रूपये एवं 172365.20 लाख रूपये हो गई । जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2004–2005 में 55018.24 लाख रूपये ऋण वितरित किये गये जिसमें 49549.52 लाख़ रूपये अल्पकालीन एवं 4742.61 लाख रूपये मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं । इसी अवधि में बैंक का कुल बकाया ऋण 66972.52 लाख रूपयों का रहा । वर्ष 2004–2005 में छः जिला सहकारी बैंकों को 775.58 लाख़ रूपये का लाभ हुआ है ।

प्राथमिक सहकारी कृषि समितियॉ : राज्य में वर्ष 2004–2005 में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 1333 है, जो 2003–2004 के समान ही है । इन समितियों के सदस्यों की संख्या 2003–2004 में 19.18 लाख थी जो वर्ष 2004–2005 में 0.72 प्रतिशत बढ़कर 19.32 लाख हो गई ।

कुल सदस्यों में से 2.95 लाख अनुसूचित जाति, तथा 5.49 लाख अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं । प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंशपूंजी वर्ष 2003–2004 में 8205. 00 लाख रूपये थी, जो वर्ष 2004–2005 में 1.32ः प्रतिशत बढ़कर 8313.42 लाख रूपये हो गई । कृषि साख समितियों द्वारा वर्ष 2004–2005 में 459.41 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया, जिसमें 420.37 करोड़ रूपये अल्पकालिन ऋण एवं 39.04 करोड़ रूपये मध्य कालिन ऋण के रूप में है । इसी अवधि में कुल ऋणी सदस्यों की संख्या 10.81 लाख रही जिसमें 01.16 लाख अनुसूचित जाति तथा 3.65 लाख सदस्य अनुसूचित जनजाति के रहे । वर्षान्त पर सोसायटियों की बैंकों की कुल बकाया ऋण राशि 670.70 करोड़ रूपये देय रही है ।

अध्याय–16

बचत एवं विनियोजन

राज्य में केन्द्र द्वारा संचालित की जाने वाली अल्प बचत योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार तथा विनियोजन को बढ़ावा देने के लिये संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज की स्थापना नवम्बर 2000 से की गई है ।

अल्प बचत के अन्तर्गत संग्रहण : वर्ष 2005–2006 के लिये अल्प बचत योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिलों के लिये 600.00 करोड़ रूपये का शुद्ध संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2005 तक 580.00 करोड़ रू. का शुद्ध संग्रहण हुआ ।

अधिसूचित वाणिज्यिक अधिकोष

राज्य में बैंकों की कुल संख्या 45 व शाखओं की कुल संख्या 1331 है । इनमें वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 34 है जिसमें निजी क्षेत्र में 11, सार्वजनिक क्षेत्र में 22 व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में एक बैंक है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या पांच व सहकारी बैंकों की संख्या छः है । राज्य में बैकों की विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रगति का विवरण इस प्रकार है:–

राज्य में बैकिंग कार्यों की प्रगति

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	विवरण	मार्च 04	मार्च 05	वर्ष में वृद्धि	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	शाखाओं की संख्या	1319	1331	12	0-91
2	कुल जमा	15454.26	17605.53	2151.3	13.92
3	कुल अग्रिम	9101.16	11269.30	2168.1	23.82
4	साख–जमा अनुपात	58.89	64.01	5.12	8.69
5	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	2975.37	3953.63	978.26	32.88
6	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	32.69	35.08	2.39	7.31
7	कृषि में अग्रिम	1263.46	1678.33	414.87	32.84
8	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	13.88	14.89	1.01	7.28
9	लघु उद्योगों में अग्रिम	548.76	756.01	207.25	37.77
10	अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	1163.14	1519.29	356.15	30.62

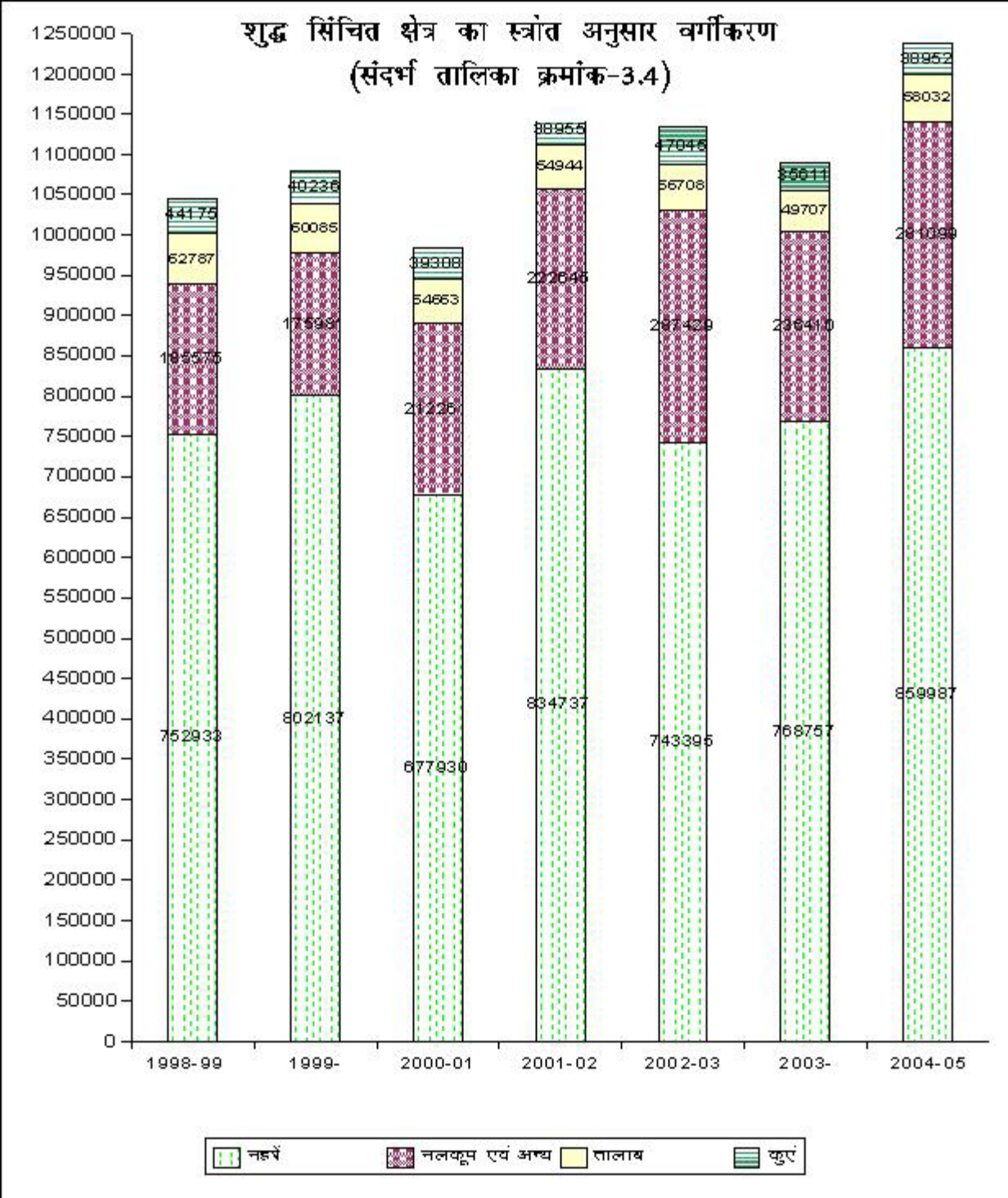

शुद्ध सिंचित क्षेत्र का स्त्रोंत अनुसार वर्गीकरण

(संदर्भ तालिका क्रमांक-3.4)

जमाः—राज्य में वित्तीय वर्ष 2004—05 में बैंकों द्वारा जमा की गई कुल राशि 17605.53 करोड़ रू. है जो गत वित्तीय वर्ष 2003—04 की तुलना में 13.92% अधिक है । विगत वर्ष की तुलना में इस राशि में 2151.3 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई है ।

अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2003—04 में बैंकों के ऋण की कुल राशि 9101.16 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2004—05 में 23.82% बढ़ कर 11269.30 करोड़ रू. हो गई । इस प्रकार इसमें 2168.14 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई ।

साख—जमा अनुपातः— यह किसी भी बैंक की कार्यक्षमता को मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है । वित्तीय वर्ष 2004—05 में राज्य में बैकों का साख—जमा अनुपात 64.01% रहा जो राष्ट्रीय बेंचमार्क से 4% अधिक है । राज्य पुर्नगठन के पश्चात् से यह अनुपात सर्वाधिक है । विगत वर्ष इसी अवधि में यह अनुपात 58.89% था । वाणिज्यिक, सहकारी व क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों के लिये यह अनुपात क्रमशः 67.29%,, 70.87% व 30.15% रहा है ।

प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2003—04 में प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 2975.37 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2004—05 में 32.88% बढ़ कर 3953.63 करोड़ रू. हो गई । प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की सर्वाधिक वृद्धि कृषि क्षेत्र में 414.87 करोड़ रू. दर्ज की गई ।

कृषि अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2003—04 में कृषि अग्रिम की कुल राशि 1263.46 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2004—05 में 32.84% बढ़ कर 1678.33 करोड़ रू. हो गई । इस प्रकार यह वृद्धि 414.87 करोड़ रू. रही । कुल साख की राशि में कृषि अग्रिम का प्रतिशत 14.89% रहा है जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है । विगत वर्ष यह 13.88% था ।

लघु उद्योगों में अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2003—04 में लघु उद्योगों में अग्रिम की कुल राशि 548.76 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2004—05 में 37.77% बढ़ कर 756.01 करोड़ रू. हो गई । यह वृद्धि 207.25 करोड़ रू. है ।

अन्य प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2003—04 में अन्य प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 1163.14 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2004—05 में 30.62% बढ़ कर 1519. 29 करोड़ रू. हो गई । यह वृद्धि 356.15 करोड़ रू. है ।

अल्प बचत : समस्त अल्प बचत योजनायें केन्द्र शासन द्वारा संचालित है । इन योजनाओं में जमाधन राशि केन्द्रीय कोष में संग्रहित होती है । ये योजनायें डाकघरों के माध्यम से

संचालित की जाती हैं । परन्तु लोक भविष्य निधि योजना अन्तर्गत राशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में भी जमा की जा सकती है । इन योजनाओं में जमा वार्षिक शुद्ध संग्रहित राशि का 100 प्रतिशत भाग भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से लम्बी अवधि के ऋण के रूप में राज्य को प्राप्त होता है ।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न आय वर्ग के लिये ऐसी बचत योजनायें बनाई हैं जिनमें सभी वर्ग के लोग अपनी आय से छोटी– छोटी बचतें निवेषित कर आकर्षक ब्याज अर्जित कर सकते हैं । कुछ ऐसी योजनायें हैं जिनमें निर्देशित राशि समयावधि की समाप्ति पर ब्याज के लाभ के साथ मूल राशि दो गुनी हो जाती है । किसान विकास पत्र, लोक भविष्य निधि योजना तथा राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 88 के अनुसार वर्ष में जमा की गई राशि पर आयकर में छूट प्रदान की गई है ।

अल्प बचत के अन्तर्गत संग्रहण : वर्ष 2004–2005 के लिये अल्प बचत योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिलों के लिये 600.00 करोड़ रूपये का शुद्ध संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2005 तक 580.00 करोड़ शुद्ध संग्रहण प्राप्त हुआ ।

अल्प बचत उपहार योजना : राज्य शासन ने विगत वर्ष दिनांक 1/10/2003 से 31/3/2004 तक अल्प बचत उपहार कूपन योजना प्रारंभ की गई है । जिसके अंतर्गत रूपये 5000 के निवेश पर निवेशकर्ता को कूपन प्रदाय किया जाता है, जिसके अंतर्गत ड्रा के माध्यम से निवेशको को आकर्षक उपहार देने का प्रावधान है ।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) देश का एक शिखर बैंक है, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । वर्ष 2004–2005 में नावार्ड की प्रमुख गतिविधियॉ निम्नानुसार हैं :–

1–कृषि क्षेत्र में उत्पादकीय साख

कृषि क्षेत्र में सामुदायिक साख की आपूर्ति सहकारिता के माध्यम से करने का प्रयास राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है । इस दिशा में केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के माध्यम से मौसमी साख आपूर्ति सीमा

वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 तक क्रमशः 78.55, 35.47 व 72.92 करोड़ रू. नाबार्ड द्वारा घोषित की गई है, जबकि वर्ष 2004–2005 में इन बैंको के लिए साख सीमा 103.51 करोड़ निर्धारित हुई है ।

कृषकों की वित्तीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमित करने के निर्णय के सापेक्ष्य में केन्द्रीय सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा वर्ष 2004–2005 में 323748 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि योजना प्रारम्भ से अब तक 680466 कार्ड जारी हुए हैं ।

सहकारिता क्षेत्र में शासन का योगदान बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्य शासन को समय–समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है किन्तु वर्ष 2004–05 में राज्य शासन द्वारा ऋण प्राप्त नहीं किया गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुमानित रूप से 42000 बुनकर हाथकरघा उद्यम में प्रत्यक्षतः संलग्न हैं । राज्य के जांजगीर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग जिलों में 70 प्रतिशत हाथकरघा संचालित हैं । इन बुनकरों की वित्तीय आवश्यकता को घ्यान में रखकर साख सीमा निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है ।

सूक्ष्म साख योजना

1. स्व–सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण : ग्रामीण निर्धन परिवार की महिलाएँ अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिये स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है । ऐसी महिलाओं के स्व–सहायता समूहों को सुदृढ़ीकरण के लिये नाबार्ड द्वारा धनराशि बैंकों के जरिए उपलब्ध कराई जाती है । उक्त योजना में मार्च, 2005 तक 18642 स्व–सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जाकर 1726.65 लाख रूपये का बैक ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिनमें से सर्वाधिक साख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा 9806 प्रकरणों में 913.93 लाख उपलब्ध कराया जाना उल्लेखनीय है । स्व–सहायता समूहों द्वारा भी स्वयं की बचत से 842.02 लाख रू. का विनियोजन किया गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2004–2005 के अन्तर्गत 8836 समूहों में से 608 समूहों को पुनर्वित्त रू.64.26 लाख साख भी प्रदाय की गई है ।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्व–सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिये नाबार्ड द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है । नाबार्ड द्वारा राज्य में 52.14 लाख रूपये की अनुदान सहायता 28 स्वैच्छिक संस्थाओं और चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं जिला सहकारी बैंक को 21.20 लाख नवम्बर 2005 तक स्वीकृत की गयी है ।

2–ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम : राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक–युवतियों, ग्रामीण दस्तकार–कारीगरों, बुनकरों आदि के लिये गैर शासकीय संगठन/स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के कदम उठायें है । 31 मार्च 2005 तक प्रदेश के 25 गैर शासकीय संगठनों को 88 उद्यमिता विकास कार्यक्रम के आयोजन हेतु 70.49 लाख रूपये का आर्थिक अनुदान स्वीकृत कर 47.80 लाख रूपये प्रदाय किये गये हैं, और 2426 ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।

3–विकास वालंटियर वाहिनी क्लब – साख ही विकास का आधार है, यह संदेश ग्रामीण कृषकों तक पहुचाने के लिये इन क्लबों की स्थापना नावार्ड के सहयोग से की गई है । छत्तीसगढ़ राज्य में नवम्बर, 2005 तक 156 विकास वालंटियर वाहिनी क्लवों की स्थापना हुई है ।

अध्याय–17

पंचवर्षीय योजना

1. दसवीं पंचवर्षीय येाजना (2002–07) :–राज्य योजना मण्डल द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना (2002–07) का दृष्टिकोण पत्र एवं रूपये 15,000 करोड़ परिव्यय का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया । परन्तु राज्य की येाजना हेतु संसाधनों के जुटाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का कुल परिव्यय रूपये 11,000 करोड़ निर्धारित किया गया है ।

2. वार्षिक योजना 2005–06 :– योजना आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य येाजना मण्डल ने 4275 करोड़ रूपये परिव्यय का वार्षिक योजना 2005–06 का प्रस्ताव तैयार किया ।

दसवीं पंचवर्षीय येाजना के अंग के रूप में वार्षिक योजना 2005–06 में भी सर्वाधिक राशि का प्रावधान सामाजिक सेवा क्षेत्रक विकास हेतु रूपये 1613.50 करोड़ का किया गया है । जो कुल परिव्यय का 37.74 प्रतिशत है । समाजिक सेवा क्षेत्रक के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल एवं कमजोर वर्गो जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं एवं शिशु कल्याण शामिल है ।

योजना आयोग के द्वारा राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2005–06 क्षेत्रकवार निम्नानुसार अनुमोदित की गई है ।

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	कुल परिव्यय (करोड़ रूपये में)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	860.97	7.83
2	ग्रामीण विकास	1158.91	10.54
3	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2506.65	22.79
4	उर्जा	133.25	1.21
5	उद्योग तथा खनिकर्म	214.12	1.95
6	यातायात	451.64	4.11
7	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	10.83	0.10
8	सामान्य आर्थिक सेवायें	169.19	1.54

9	सामाजिक सेवायें	5256.15	47.78
10	सामान्य सेवायें	238.29	2.17
	कुल योग	**1100.00**	**100.00**

3. छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक योजना के वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 की वित्तीय उपलब्धियों तथा 2005–06 के वित्तीय लक्ष्यों की जानकारी निम्नानुसार है :–

(लाख रूपये में)

क्र	प्रमुख क्षेत्रक	वर्ष 2002–03 वास्तविक व्यय	वर्ष 2003–04 वास्तविक व्यय	वर्ष 2004–05 वास्तविक व्यय	2005–06 प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	6915.00	18890.00	11388.02	25925.74
2	ग्रामीण विकास	11801.92	18289.61	21727.88	45975.26
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	1224.00	2023.97	2345.52
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	39695.00	43562.00	67723.55	91753.85
5	उर्जा	1807.00	4743.00	10976.23	17000.00
6	उद्योग तथा खनिकर्म	2339.00	3426.00	6482.05	7364.18
7	यातायात	23562.00	32080.00	26621.56	53622.91
8	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	4917.00	6959.00	6363.38	8946.53
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	2955.00	5621.00	5047.60	7402.36
10	सामाजिक सेवायें	72112.00	103202.00	111763.47	161349.81
11	सामान्य सेवायें	4642.00	2402.00	13157.33	5813.84
	कुल योग	**176745.92**	**240398.61**	**283275.04**	**427500.00**

भाग–दो

सांख्यिकी तालिकाएँ

भाग–दो

: विषय सूची :

क्र.	सांख्यिकी तालिकाएँ	पृष्ठ संख्या
1	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में	1–3
2	औद्योगिक क्षेत्रानुसार छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	4
3	औद्योगिक क्षेत्रानुसार छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर 1993–94) भावों के आधार पर	5
4	औद्योगिक क्षेत्रानुसार छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर–प्रतिशत वितरण	6
5	औद्योगिक क्षेत्रानुसार छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (1993–94)भावों के आधार पर–प्रतिशत वितरण	7
6	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	8
7	प्रमुख फसलों का उत्पादन	9
8	प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन	10
9	सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र	11
10	प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य	12
11	भारत में थोक भाव के सूचकांक	13
12	औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक –भिलाई केन्द्र	14
13	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य	15
14	महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन एवं मूल्य	16
15	महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य	17
16	सड़को की लम्बाई	18
17	कुल पंजीकृत वाहन	19

विषय सूची क्रमशः.....

18	औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा औद्योगिक संबंध के अंतर्गत संव्यवहार किये गये विवादों की संख्या	20
19	छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	21
20	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	22
21	प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ	23
22	प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति	24
23	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिवेदक कार्यालय एवं उनमें कुल जमा तथा सकल बैंक ऋण राशि	25

तालिका–1.1

छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
भौगोलिक क्षेत्रफल	**वर्ग कि. मी.**		**137898**
प्रशासन			
जिला	संख्या	2004	16
तहसीलें	–,,–	–,,–	98
विकास खण्ड	–,,–	–,,–	146
आदिवासी विकास खण्ड	–,,–	–,,–	85
कुल ग्राम	–,,–	जनगणना 2001	20308
कुल जनसंख्या	हजार	–,,–	20834
पुरूष	–,,–	–,,–	10474
स्त्री	–,,–	–,,–	10360
ग्रामीण	–,,–	–,,–	16648
नगरीय	–,,–	–,,–	4186
अनुसूचित जाति	–,,–	–,,–	2419
अनुसूचित जनजाति	–,,–	–,,–	6617
जनसंख्या वृद्धि दर (1991–2001)	प्रतिशत	–,,–	+18.06
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	–,,–	154
स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां	–,,–	989
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद–त्वरित अनुमान)			
प्रचलित भावों पर	रूपये	2004–2005	15073
स्थिर (1993–94) भावों पर	–,,–	–,,–	8266
कृषि कृषि वर्ष 2004–2005			
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	हजार हेक्टर	–,,–	4770
कुल बोया गया क्षेत्र	–,,–	–,,–	5716
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1208
कुल सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1312
कृषि जोत (कृषि जनगणना)			
कृषि जोतों की संख्या	लाख	1995–96	29.66
कृषि जोतों का क्षेत्र	लाख हेक्टर	–,,–	53.09
कृषि जोतों का औसत आकार	हेक्टर	–,,–	1.79
कृषि उत्पादन (वास्तविक)			

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
अनाज	हजार मेट्रिक टन	2003–2004	5747
खाद्यान्न	–,,–	–,,–	9179
तिलहन	–,,–	–,,–	84
धान	–,,–	–,,–	8310
गेंहूं	–,,–	–,,–	109
मक्का	–,,–	–,,–	135
चना	–,,–	–,,–	197
तुअर	–,,–	–,,–	31
विद्युत			
अधिष्ठापित क्षमता	मेगावाट	2004–2005	14111
उत्पादन	मेगावाट	–,,–	8308
उपभोक्ताओं की संख्या	हजार	–,,–	2264
घरेलू विद्युत उपभोक्ता	–,,–	–,,–	1950
विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	–,,–	18488
विद्युतीकृत पंपसेट/नलकूपों की संख्या	हजार	–,,–	107
एक बत्ती कनेक्शन	–,,–	–,,–	775
मत्स्योत्पादन			
मछली उत्पादन	हजार मीटरिक टन	2004–2005	102.072
परिवहन–लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित सड़कें			
कुल सड़कों की लंबाई	हजार कि. मी.	मार्च, 2005	34.9
पक्की सड़कों की लंबाई	–,,–	–,,–	13.1
कच्ची सड़कों की लंबाई	–,,–	–,,–	21.8
पंजीकृत वाहन	हजार	–,,–	1375
साक्षरता			
कुल	प्रतिशत	जनगणना, 2001	64.66
पुरूष	–,,–	–,,–	77.38
स्त्री	–,,–	–,,–	51.85
शैक्षणिक संस्थायें			
पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय	संख्या	सितम्वर, 2005	33420
माध्यमिक विद्यालय	–,,–	–,,–	9350
हाई स्कूल उ. मा. विद्यालय	–,,–	–,,–	2670
माध्यमिक (10+2) विद्यालय	–,,–	–,,–	1386
सामान्य शैक्षणिक महाविद्यालय	–,,–	–,,–	120

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
तकनीकी शिक्षण संस्थाएं	—,,—	—,,—	14
स्वास्थ्य सेवाएं			
जिला अस्पताल	—,,—	2004—2005	14
शहरी सिविल अस्पताल	—,,—	—,,—	15
शहरी सिविल डिस्पेंसरी	—,,—	—,,—	18
सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	116
प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	517
उप स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	4692
नियोजन			
रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार	हजार	2004—2005	22
जीवित पंजी पर दर्ज व्यक्ति	—,,—	—,,—	911
नौकरी दिलाये गये व्यक्ति	संख्या	—,,—	90
प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
कार्यालय/शाखाऐं	संख्या	2004	1039
जमा राशि	करोड़	—,,—	14629
ऋण राशि	—,,—	—,,—	5816

तालिका –2.1

औद्योगिक क्षेत्रानुसार छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

(लाख रूपयों में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	परिवहन, संचार तथा व्यापार	वित्त तथा स्थावर संपदा	सामुदायिक तथा निजी सेवाएं	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (राज्यीय आय)	प्रति व्यक्ति आय (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1993-94	511810	332212	177495	91840	102951	1216308	6539
2	1994-95	554351	344976	203270	101977	115295	1319869	6983
3	1995-96	575818	381633	234897	114818	136352	1443518	7479
4	1996-97	646285	427857	256680	129124	177289	1637235	8353
5	1997-98	630297	605577	275957	142990	179648	1834469	9218
6	1998-99	734240	607337	294307	165736	229720	2031340	10056
7	1999-00	815365	510005	374304	192458	240986	2133118	10405
8	2000-01	746186	443275	384776	217933	261700	2053870	9922
9	2001-02	1019300	479125	305350	243987	317335	2364897	11315
10	2002-03	895783	685242	474711	270490	320811	2647037	12369
11	2003-04 *	1180295	867449	579852	300406	334011	3262013	14963
12	2004-05 **	1027405	1008412	611003	341504	373038	3361362	15073

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

(*) = प्रावधिक अनुमान (**) = त्वरित अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.2

औद्योगिक क्षेत्रानुसार छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (1993–94) भावों के आधार पर

(लाख रूपयों में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	परिवहन, संचार तथा व्यापार	वित्त तथा स्थावर संपदा	सामुदायिक तथा निजी सेवाएं	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (राज्यीय आय)	प्रति व्यक्ति आय (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1993-94	511810	332212	177495	91840	102951	1216308	6539
2	1994-95	518315	316239	180777	96452	106343	1218126	6445
3	1995-96	503411	331971	197355	101834	114981	1249552	6474
4	1996-97	516883	348522	201076	112451	125209	1304141	6654
5	1997-98	429396	459219	204621	134564	127307	1355107	6810
6	1998-99	482713	429442	203525	117488	155077	1388245	6873
7	1999-00	498506	351498	244679	123897	153363	1371943	6692
8	2000-01	461573	304494	263167	134755	165631	1329620	6423
9	2001-02	596953	329402	288278	138875	193099	1546607	7400
10	2002-03	599518	388261	312505	149120	189479	1638883	7658
11	2003-04 *	659984	451409	352153	155184	187805	1806535	8287
12	2004--05 **	611201	481056	385285	163006	202675	1843223	8266

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

(*) = प्रावधिक अनुमान (**) = त्वरित अनुमान

स्त्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़,

तालिका –2.3

औद्योगिक क्षेत्रानुसार छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर – 'प्रतिशत वितरण'

क्र.	क्षेत्र	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	परिवहन, संचार तथा व्यापार	वित्त तथा स्थावर संपदा	सामुदायिक तथा निजी सेवाएं	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (राज्यीय आय)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1993-94	42.08	27.31	14.59	7.55	8.47	100.00
2	1994-95	42.00	26.14	15.39	7.73	8.74	100.00
3	1995-96	39.89	26.44	16.27	7.95	9.45	100.00
4	1996-97	39.47	26.13	15.68	7.89	10.83	100.00
5	1997-98	34.36	32.01	16.04	7.79	9.80	100.00
6	1998-99	36.14	29.90	14.49	8.16	11.31	100.00
7	1999-00	38.22	23.91	17.55	9.02	11.30	100.00
8	2000-01	36.33	21.58	18.74	10.61	12.74	100.00
9	2001-02	43.10	20.26	12.91	10.31	13.42	100.00
10	2002-03	33.84	25.89	17.93	10.22	12.12	100.00
11	2003-04*	36.18	26.59	17.78	9.21	10.24	100.00
12	2004-05**	30.57	30.00	18.18	10.16	11.10	100.00

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

(*) = प्रावधिक अनुमान (**) = त्वरित अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका–2.4

औद्योगिक क्षेत्रानुसार छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (1993–94) भावों के आधार पर – 'प्रतिशत वितरण'

क्र.	क्षेत्र	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	परिवहन, संचार तथा व्यापार	वित्त तथा स्थावर संपदा	सामुदायिक तथा निजी सेवाएं	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (राज्यीय आय)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1993-94	42.08	27.31	14.59	7.55	8.47	100.00
2	1994-95	42.55	25.96	14.84	7.92	8.73	100.00
3	1995-96	40.29	26.57	15.79	8.15	9.20	100.00
4	1996-97	39.63	26.73	15.42	8.62	9.60	100.00
5	1997-98	31.69	33.89	15.10	9.93	9.39	100.00
6	1998-99	34.77	30.93	14.66	8.46	11.18	100.00
7	1999-00	36.34	25.62	17.83	9.03	11.18	100.00
8	2000-01	34.71	22.90	19.80	10.13	12.46	100.00
9	2001-02	38.60	21.30	18.64	8.98	12.48	100.00
10	2002-03	36.58	23.69	19.07	9.10	11.56	100.00
11	2003-04*	36.53	24.99	19.49	8.59	10.40	100.00
12	2004-05**	33.16	26.10	20.90	8.84	11.00	100.00

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

(*) = प्रावधिक अनुमान (**) = त्वरित अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –3.1

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र			
		2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005
1	2	3	4	5	6
1.0	**अनाज**				
1.1	धान	3734.6	3777.7	3718.3	3843.8
1.2	गेहूँ	96.8	92.8	102.9	106.1
1.3	ज्वार	7.1	9.3	7.8	8.4
1.4	मक्का	95.2	94.0	104.9	97.9
1.5	कोदो–कुटकी	208.9	212.9	206.6	194.2
1.6	जौ	5.0	4.0	4.1	4.5
1.7	छोटे अनाज	55.1	30.7	20.3	45.9
2.0	**दालें**				
2.1	चना	157.3	175.6	189.7	233.3
2.2	तुअर	52.5	55.7	60.6	52.5
2.3	उड़द	124.0	113.1	122.2	119.5
2.4	मूग–मोठ	15.5	16.4	18.5	16.3
2.5	कुल्थी	66.4	57.5	59.7	55.4
2.6	लाख (तिवड़ा)	372.4	330.1	383.7	449.4
3.0	**गन्ना**	4.0	4.00	10.8	12.3
4.0	**तिलहन**				
4.1	मूँगफली	26.6	34.3	30.4	34.1
4.2	रामतिल	76.0	72.00	70.8	73.1
4.3	तिल	24.2	24.8	25.5	24.3
4.4	सोयाबीन	14.7	15.2	19.4	32.3
4.5	अलसी	93.1	67.6	86.0	71.1
4.6	राई सरसों	60.0	47.5	56.3	54.5

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका –3.2
प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे.टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन			
		2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005 #
1	2	3	4	5	6
1.0	**अनाज**				
1.1	धान (चावल)	5132.6	2634.9	5567.6	4383.3
1.2	गेहूँ	99.1	98.5	108.6	82.4
1.3	ज्वार	6.8	6.9	7.6	4.4
1.4	मक्का	70.9	122.6	135.0	138.0
1.5	कोदो–कुटकी	48.9	29.4	50.9	38.6
1.6	जौ	3.8	3.1	4.3	3.2
1.7	छोटे अनाज	17.1	7.2	5.6	11.6
2.0	**दालें**				
2.1	चना	112.3	113.1	197.3	114.1
2.2	तुअर	19.6	24.1	31.5	30.8
2.3	उड़द	37.6	29.4	35.1	32.8
2.4	मूँगमोठ	4.4	4.0	4.8	4.1
2.5	कुल्थी	22.2	13.8	18.4	16.4
2.6	लाख (तिवड़ा)	214.9	170.3	278.8	158.1
3.0	**गन्ना**	10.2	10.00	13.3	15.6
4.0	**तिलहन**				
4.1	मूँगफली	35.5	38.1	40.2	32.3
4.2	रामतिल	14.6	11.5	13.1	11.9
4.3	तिल	5.9	6.4	7.1	6.9
4.4	सोयाबीन	11.9	8.3	18.4	33.8
4.5	अलसी	27.0	19.7	23.1	16.5
4.6	राई सरसों	22.1	15.6	22.8	21.4

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

 # : फसल पूर्वानुमान के आधार पर ।

तालिका –3.3

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टर)

वर्ष	चावल	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयावीन	कपास	गन्ना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1998-1999	1006	1174	1072	1270	625	1037	603	275	2668
1999-2000	1337	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	988	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2160	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	683	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	1531	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005(अ)	1232	889	667	1430	542	510	1017	284	2472

(अ) – अनुमानित

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका –3.4

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टर में)

क्र	वर्ष	नहरे	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	1998–1999	752933	62787	44175	185575	1045470
2.	1999–2000	802137	60085	40236	175981	1078439
3.	2000–2001	677930	54663	39308	212261	984162
4.	2001–2002	834737	54944	38955	222645	1151281
5	2002–2003	743395	56708	47045	287429	1134577
6	2003–2004	768757	49707	35611	236410	1090487
7	2004–2005 (अ)	859987	58032	38952	281099	1208070

(अ) – अनुमानित

स्त्रोत – आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका –4.1

प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य

(रूपये प्रति क्विंटल)

फसल	किस्म	विपणन वर्ष			
		2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006
1	2	4	5	6	7
धान	सामान्य	530	550	560	570
	ग्रेड– ए	560	580	590	600
ज्वार, बाजरा आदि	सामान्य एवं अच्छी औसत किस्म	485	505	515	525
मक्का	–	485	505	525	540
गेंहूँ	–	620	*	630	640
चना	–	1220	*	1400	*
मूंगफली	–	1355	1400	1500	1520
तुअर	–	1320	1360	1390	1400
उड़द	–	1330	1370	1410	1520
मूंग	–	1330	1370	1410	1520
सूर्यमुखी	–	1195	1250	1340	1500
राई एवं सरसों	–	1330	*	1600	*
सोयाबीन	काली	795	840	-	-
	पीली	885	930	-	-

* –अनिर्धारित

रबी फसलें – गेहूँ, चना एवं राई व सरसों ।

खरीफ फसलें– धान, ज्वार, बाजरा व मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी ।

विपणन वर्ष– गेंहूँ, चना, राई व सरसों (अप्रैल–मार्च), अन्य फसलें (अक्टूबर से सितंबर) ।

स्त्रोत – संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़

तालिका –4.2

भारत में थोक भाव के सूचकांक

(1993-94=100)

वर्ष / माह	खाद्य पदार्थ	विनिर्मित उत्पाद	समस्त वस्तुयें
1	2	3	4
1998-1999	159.4	133.6	140.7
1999-2000	165.5	137.2	145.3
2000-2001	167.9	144.2	159.2
2001-2002	176.6	144.2	161.8
2002-2003	178.1	151.5	172.3
2003-2004	181.4	156.7	175.9
2004-2005	186.2	166.2	187.2
अप्रैल 2005	189.2	170.4	191.6
मई, 2005	190.3	170.8	192.1
जून, 2005	192.3	170.6	193.2
जुलाई, 2005	194.4	170.7	194.6
अगस्त, 2005	194.8	171.5	195.3

स्त्रोत –भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई,

तालिका–4.3

औद्योगिक कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक– भिलाई केन्द्र

(1982=100)

वर्ष	भिलाई		अखिल भारत	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
1	2	3	4	5
1999	390	373	444	424
2000	390	390	452	441
2001	409	407	462	458
2002	403	413	470	474
2003	417	438	490	496
2004	438	433	495	500
2005	440	482	521	532
अप्रैल, 05	424	469	507	529
मई, 05	426	470	509	527
जून, 05	424	470	512	529
जुलाई, 05	426	486	525	538
अगस्त, 05	438	492	527	540
सितम्बर, 05	467	492	530	529
अक्टूबर, 05	475	498	538	531

स्त्रोत : लेबर ब्यूरो, श्रम मंत्राालय भारत सरकार, शिमला ।

तालिका –5.1

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा

का उत्पादन एवं मूल्य

(उत्पादन मेट्रिक टन में) (मूल्य लाख रूपयों में)

वर्ष	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा, का उत्पादन एवं मूल्य								
	इनगोटस्		प्रापजी रॉडस्		एक्सटूजन		रोल्ड उत्पाद		**योग**
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000-2001	7361	5806	36621	30337	6283	6276	36267	34398	76817
2001-2002	20805	17382	23433	21443	567	702	25305	28843	68372
2002-2003	20490	12922	47490	29947	-	-	27510	18272	61141
2003-2004	13149	11834	48243	44865	-	-	35696	35696	92395
2004-2005	6342	5707	34551	32132	-	-	31803	31803	69642
2005-2006*	644	651	24321	26292	-	-	17766	21624	48567

***- अगस्त 2005 तक की जानकारी**

स्त्रोत–भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा छत्तीसगढ़ ।

तालिका –5.2

महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(हजार मेट्रिक टन में)

खनिज	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (प्रा.)
1	2	3	4	5	6
कोयला	50,226	53,677	56758	61505	69250
बाक्साइट	557	556	611	888	1108
लौह अयस्क	20,016	18,660	19781	23361	23118
डोलोमाइट	695	855	918	1005	1137
चूना पत्थर	13,954	13,149	13626	13833	14772
टिनसान्द्र(कि.ग्रा)	12,979	13,887	10630	13342	12261

तालिका –5.3
महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य

(लाख रू. में)

खनिज	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (प्रा.)
कोयला	3,00,026	286880	355239	334587	374642
बाक्साइट	2,529	1445	419	2746	4897
लौह अयस्क	49,042	63231	69834	84099	102182
डोलोमाइट	1,816	2320	235	2432	2767
चूना पत्थर	18,495	17022	1005	15492	15658
टिनसान्द्र (क.ग्र)	10	11	08	13	18

(प्रा.) – प्रावधिक

स्त्रोत – भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

तालिका–5.4

महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य

(रूपयों में)

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (प्रा.)
1	2	3	4	5	5
कोयला	597	534	519	544	541
बाक्साइट	454	260	684	312	442
लौह अयस्क	245	339	343	360	442
डोलोमाइट	261	271	253	242	217
चूना पत्थर	133	129	123	112	106
टिनसान्द्र (कि.ग्राम)	77	79	85	100	150

(प्रा.) – प्रावधिक

स्त्रोत – भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –6.1

सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राजमार्ग	प्रमुख जिला मार्ग	अन्य जिला ग्रामीण मार्ग	कुल सड़कों की लम्बाई
1	2	3	4	5	6
2000-2001	1,827	2,197	3,532	27,526	35,082
2001-2002	1,827	3,611	2,118	27,526	35,082
2002-2003	1,827	3,611	2,118	28,768	36,324
2003-2004	2225	3213	2118	28768	36324
2004-2005(प्रा.)	2225	3213	4814	24678	34930

(प्रा.) – प्रावधिक

स्त्रोत – मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़

तालिका –6.2

कुल पंजीकृत वाहन

(हजार में)

वर्ष (31 मार्च,)	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / थ्री–व्हीलर	यात्री वाहन (बस)	माल वाहन (ट्रक)	द्विपहिया वाहन	अन्य (टेक्टर ट्रोली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	34	8	14	36	707	58	857
2002	38	10	15	39	793	65	960
2003	42	11	17	52	881	75	1078
2004	50	11	19	57	991	85	1215
2005	59	13	23	66	1117	97	1375

स्त्रोत : परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

तालिका –7.1

औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत संव्यवहार किये गये विवादों की संख्या

विवरण	औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947			औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
1. विवाद समझौते के लिये पेश हुये	356	136	247	-	-	12
2. विवाद जिसमें समझौता हो गया	-	-	-	-	-	-
3. विवाद जिनमें समझौता नहीं हुआ	48	54	22	-	-	04
4. विवाद जो पंच फैसलेॉन्याय निर्णय के लिये भेजे गये	308	82	106	-	-	03

स्त्रोत : श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़

तालिका 7.2

छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

(31 मार्च की स्थिति)

नियोजन क्षेत्र	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
1	2	3	4	5	6	7	8
शासकीय विभाग (नियमित)	177988	177890	182352	174273	174423	175124	174453
नगरीय स्थानीय निकाय	14102	13107	12913	12871	14514	15472	12552
ग्रामीण स्थानीय निकाय	23535	23864	24181	25795	31083	35122	38500
विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं विशेष क्षेत्र	468	396	399	395	184	14	426 #
विश्व विद्यालय	1300	1288	2092	2323	2228	2536	2296
योग	**217393**	**216545**	**221937**	**215657**	**222432**	**228268**	**228227**

* – प्रावधिक

- वर्ष 2004 में रायपुर विकास प्राधिकरण का विलय नगर निगम रायपुर में हो गया था । पुनः 2005 में रायपुर विकास प्राधिकरण अलग हो गया है ।

स्त्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकी, संचालनालय छत्तीसगढ़

तालिका–8.1

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

(राशि लाख रू.)

विवरण	2002–2003	2003–2004	2004–2005
1	3	4	5
बैक संख्या	07	06	06
शाखाएँ	211	198	198
सदस्य (हजार)	23	21	52
अंश पूँजी(1) कुल	3691.26	4783.28	5201.10
(2) शासकीय	639.51	508.16	505.24
अमानतें	120615.65	129337.53	141025.46
कार्यशील पूँजी	159497.56	150966.90	172365.20
ऋण वितरण (अ) कुल	40140.30	43925.34	55018.24
(ब) अल्पकालीन	30805.85	40577.96	49549.52
(स) मध्यकालीन	2896.33	2086.58	4742.61
ऋण बकाया			
(अ) कुल	76134.43	58089.43	66972.52
(ब) अल्पकालीन	21085.65	30906.86	39570.63
(स) मध्यकालीन	35205.13	24515.18	24903.04
कालातीत ऋण	13849.29	29290.31	29050.22
लाभ(अ) बैंक संख्या	01	01	06
(ब) राशि	655.17	9.17	775.58
हानि (अ) बैंक संख्या	06	05	–
(ब) राशि	2007.30	1948.92	–

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

टीपः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित रायगढ़ बन्द होने के कारण बैंक की संख्या आलोच्य वर्ष में 06 हेा गई है ।

तालिका–8.2

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ

विवरण	इकाई	2002–2003	2003–2004	2004–2005
1	2	3	4	5
समितियाँ	संख्या	1333	1333	1333
सदस्य संख्या	हजार	1903	19.18	19.32
अनुसूचित जाति	–,,–	327	302	296
अनुसूचित जन जाति	–,,–	620	592	549
कुल ऋणी सदस्य	–,,–	1011	1021	1081
अनुसूचित जाति	–,,–	178	167	116
अनुसूचित जन जाति	–,,–	328	277	365
कुल अंशपूंजी	लाख रूपये	7790	820566	831342
कुल ऋण वितरण	–,,–	34484	27381	49941
(अ) अल्पकालीन	–,,–	26498	25403	42037
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	7985	1978	3904
कुल ऋण बकाया	–,,–	38366	43250	6770
(अ) अल्पकालीन	–,,–	20335	24434	42915
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	16179	18816	23614
कालातीत ऋण	–,,–	17188	25122	25113

तालिका–9.1
प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमाराशि	ऋण राशि	ऋण–जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1998-1999	1,046	5,602	2,070	36.95
1999-2000	1,045	6,116	2,379	38.91
2000-2001	1,042	7,458	2,966	39.77
2001-2002	1,036	9,605	4,219	43.93
2002-2003	1039	11443	4474	39.10
2003-2004	1319	15454	9101	58.89
2004-2005	1331	17615	11269	64.01

स्त्रोत – राज्य स्तरीय बैंक समिति ।

तालिका–9.2

राज्य में बैंकिंग कार्यो की प्रगति

(मार्च, 2005 के अन्तिम की स्थिति)

(राशि करोड़ रूपयों में)

क्र.	विवरण	मार्च 2004	मार्च 2005	मार्च में वृद्धि	अनुपात
1	2	3	4	5	6
1	शाखाओं की संख्या	1319	1331	12	0.91
2	कुल जमा	15454.26	17605.53	2151.3	13.92
3	कुल अग्रिम	9101.16	11269.30	2168.1	23.82
4	साख–जमा अनुपात	58.89	64.01	5.12	8.69
5	कुल अग्रिम (साख)+निवेश	9700.07	12529.39	2829.3	29.17
6	साख	62.77	71.17	8.4	13.38
7	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	2975.37	3953.63	978.26	32.88
8	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	32.69	35.08	2.39	7.31
9	कृषि में अग्रिम	1263.46	1678.33	414.87	32.84
10	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम	13.88	14.89	1.01	7.28
11	लघु उद्योगों में अग्रिम	548.76	756.01	207.25	37.77
12	अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	1163.14	1519.29	356.15	30.62

स्त्रोत – राज्य स्तरीय बैंक समिति ।